

भारतीय नरेश
और
राष्ट्रीयता

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र

संजय—प्रकाशन

प्रेमनगर

एटा (उ० प्र०)

प्रकाशक
शीला मिश्रा
सजय प्रकाशन
प्रेमनगर, एटा (उ० प्र०)
© जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा

प्रथम संस्करण 1100
1969

मूल्य	{ जन संस्करण	3 50
	{ राज संस्करण	7 00

मुद्रण
श्री बम्बोडिंग बेड द्वारा सिवनी मुम्बानगर विनारो बाजार
बक बासी गली सिवनी 6

समर्पण

अनेकों खण्डो-उपखण्डों मे विभक्त भारत को
एक सघ का रूप प्रदान करने वाले
सरदार वल्लभ भाई पटेल
एव
भारतीय नरेशो
को

अन्तर्मन से

मुझे न तो भूतपूर्व नरेशो से कोई लगाव है और न कांग्रेस अथवा किसी अन्य राजनैतिक दल से कोई शत्रुता। हाँ, अन्याय को चाहे वह किसी के प्रति हो और किसी भी रूप में क्यों न हो, मैं सहन नहीं कर पाता, उसका विरोध करना मैं अपना धर्म समझता हूँ।

भारत का वर्तमान सघ-रूप, नरेशो के स्व-उन्मूलन का फल है, इसलिये भारत सघ (दूसरे शब्दो में भारतीय जनता) द्वारा नरेशो के साथ किए गए समझौतो एव प्रतिज्ञा-पत्रो के उन्मूलन का नारा नरेशो के प्रति (और भारतीय जनता के प्रति) घोर अन्याय है तथा 'प्राण जाहूँ वरु वचनु न जाई' आप्त वाक्य को अपने सांस्कृतिक जीवन का मूल स्वर मानने वाले भारतीय जनमानस द्वारा अपने नरेशो को दिये वचन का भंग करना है। इस प्रस्तावित जघन्य के विरोध-स्वरूप यह पुस्तक आपके हाथो मे है।

राजनीति से अथवा किसी दलबन्दी से न मेरा कोई सम्बन्ध है और न मेरे विचारो के मूर्त रूप इन पृष्ठो का। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जो कुछ देखा, सुना, पढा एव अनुभव किया, उसे मेरे लेखक ने यहा अभिव्यजित कर दिया है। प्रस्तुत प्रणति प्रणयन काल मे सहयोग देने के लिए प्रियवन्धु श्रीराम कृष्ण शर्मा 'कवैल' का मैं आभारी हूँ।

मेरा दृष्टिकोण भारतीय जनमानस का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व कर पाया है, इसका निर्णय करना सुधि एव प्रबुद्ध पाठको पर है।

गणतन्त्र दिवस, 1969

जगन्नाथ प्रसाद मिश्र

विषयानुक्रमिका

खध्याय

पृष्ठ संख्या

एक :

प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों का राष्ट्रघाती प्रस्ताव			
कांग्रेसी प्रस्ताव	9
प्रस्ताव पारित होने की कहानी	10
प्रस्ताव एव भारत सरकार	12

दो :

भारत संघ का गठन

विभाजन	15
रियासतों की सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न स्थिति	17
रियासतों का सघ में विलय	19
रियासतों की देन	21

तीन :

संविलयन अनुबन्ध एवं प्रसंविदाएँ	22
---------------------------------	-----	-----	----

चार :

नरेशों के प्रिवीपर्स एवं विशेषाधिकार	27
प्रिवीपर्स	29
विशेषाधिकार	33

पाँच :

प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों का औचित्य

(कानूनी पक्ष)

भारतीय सविधान की दृष्टि में	40
-----------------------------	-----	-----	----

धन्तराष्ट्रीय कानून की दृष्टि में	50
-----------------------------------	-----	-----	----

नैतिक पक्ष	53
------------	-----	-----	----

(हमारी परम्पराएँ)

प्राण और वचन	64
--------------	-----	-----	----

विश्वास	67
---------	-----	-----	----

(राजनैतिक)

हमारी सीमाएँ	70
--------------	-----	-----	----

नरेशो की लोक प्रियता

नरेश और चुनाव	73
नरेशो का प्रभाव	76

बापू

बापू और समाजवाद	79
बापू और नरेश	81

प्रस्ताव की प्रतिक्रिया

समाचार पत्र और नरेश	83
समाचार पत्र (विपक्ष में)	90
(संसद के बाहर)	
श्री कट्टेपालान माणिकसाल मुन्नी	95
चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी	98
चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी	100
श्री० एम० आर० पई	103
चक्रवर्ती श्री राजगोपाला चारी	104
श्री० बी० गिबाराव	106
श्री० मुरारजा आर० दमाई	112
(संसद के भीतर)	
कुमारा माणिकेन पटेल (बायस)	119
श्री दबीमिह (स्वतंत्र)	120
श्री बनराज मधोरा (जनसंघ)	121
श्री प्रकाशचोर मन्त्रो (निर्दलीय)	122
(गविशान समा)	
डाक्टर बा० पट्टामि सागारमरा	123
नरेश	125
जनयात्री	128

प्रेरणा

“कोई भी आदमी जो सक्रिय अहिंसा में विश्वास रखता है, सामाजिक अन्याय को, फिर वह कहीं भी क्यों न होता हो, वर्दाशत नहीं कर सकता वह उसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता।”

— राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी

प्रिवापसों एवं विशेषाधिकारों के
उन्मूलन का राष्ट्रियार्थी
प्रश्नाव

हुई जिसमें निष्पक्ष किया गया कि सविधान का धारा 291 में, जो 'प्रिवापस' के भुगतान के विषय में 'गारण्टी' देनी है सशोधन कर लिया जाए।

उधर भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने भी, गृह मंत्रालय की सलाह दी है कि भारतीय नरेशा व पक्ष की हल देने वाली सविधान की धारा 291 व 362 को समाप्त कर दिया जाए।

वास्तव में कांग्रेस के प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल की आन्तरिक मामला की समिति के निष्पक्ष व विधिमन्त्रालय द्वारा दिये गये सुझाव के औचित्य या अनीचित्य का सही रूप में समझने के लिए इस विषय के कानूनी पक्ष व साथ साथ इसके ऐतिहासिक सामाजिक नैतिक एवं राजनीतिक पक्षों का अध्ययन विद्वानों को करना भी बहुत जरूरी है।

सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वाधीनता मिलने के समय और उसमें पहले देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी? संघटित भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का छोटी में वह जादू किस था गया कि जम जसे उनकी छोटी धूमनी गई भारतीय रियासतों ने एक एक करके आत्मसमर्पण कर लिया?

उस छोटी को जादुई छोटी बनाने में तत्कालीन नरेशों का कितना हाथ था? उसमें उनका भी कुछ योगदान था या नहीं? उनके और सरदार पटेल के मध्य क्या संधियां हुई थी? यह वह प्रश्न है जिनका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे भी तथाकथित समाजवादियों की निराधार एवं भ्रामक बातों के फेर में पड़कर इस विषय पर निष्पक्ष एवं यथार्थ समझ दृष्टि नहीं डाल पा रहे।

प्रस्ताव के पारित होने की कहानी

अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में नरेशों के 'प्रिवापसों' एवं विभागीय बिकारा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कराने का घटना भी बड़ी मनोरंजक है।

महासमिति के सदस्यों का कुल संख्या 600 है। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए केवल आधे ही सदस्य आ पाये थे। अधिवेशन के अंत में केवल

बीस सदस्यों की उपस्थिति में नरेशों के विरोधाधिकारों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया, महाराष्ट्र के सदस्य श्री मोहनलाल धारिया ने इस प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विरोधाधिकारों के साथ नरेशों के 'प्रिचीपलों' को भी समाप्त कर दिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं अन्य कांग्रेसी नेता उस समय उपस्थित नहीं थे। जैसे ही इस प्रस्ताव पर मतदान प्रारम्भ हुआ, उपप्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई भी मतदान में भाग लेने के लिए पहुँच गए। अब सदस्यों की संख्या 21 हो गई। प्रस्ताव के पक्ष में 17 एवं विरोध में 4 मत पड़े और वह पारित हो गया। इन 17 सदस्यों में से कुछ ऐसे भी थे जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। विरोध में दिए 4 मतों में से एक मत उपप्रधान मंत्री का था, जो ठीक मतदान के समय पर केवल अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ही वापस लाए थे। इस प्रकार महामिति के सदस्यों की कुल संख्या के तीसरे भाग में भी कम सदस्यों की राय को पूरी महामिति के ऊपर लाद दिया गया है। लोकतन्त्र प्रणाली के दृष्टिकोण से जैसा उपरोक्त इस प्रस्ताव के पारित करने में हुआ, वह अपने नमूने की एक ही घटना है।

हुई जिसमें निम्नलिखित किया गया कि संविधान की धारा 291 में, जो प्रिवीपंस के भुगतान के विषय में 'गारण्टी' देती है संशोधन कर लिया जाए।

उपर भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने भी, गृह मंत्रालय की सलाह दी है कि भारतीय नरणा के पक्ष को बल देने वाली संविधान की धाराओं 291 व 362 को समाप्त कर दिया जाए।

वास्तव में कांग्रेस के प्रस्ताव मंत्रिमण्डल की आंतरिक मामला की समिति के निम्नलिखित विधिमंत्रालय द्वारा लिये गये सुझाव के अन्वये या अनौचित्य का सहा रूप में समझने के लिए इस विषय के कानूनी पक्ष के साथ साथ इसके ऐतिहासिक सामाजिक नैतिक एवं राजनीतिक पक्षा का अध्ययन विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है।

सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वाधीनता मिलने के समय और उससे पहले देश की राजनैतिक स्थिति कसी थी? संगठित भारत के निर्माता सरकार वल्लभ भाइ पटेल की छोड़ी मे वह जादू कैसे आ गया कि जग जमे उनकी छोड़ी घूमती गई भारतीय रियासतों ने एक एक करके आत्मसमर्पण कर लिया?

उम छोड़ी को जादुई छोड़ी बनाने में तत्कालीन नरणा का किना हाथ था? उसमें उनका भी कुछ योगदान था या नहीं? उनका और सरदार पटेल के मध्य क्या संबंध हुआ था? यह प्रश्न हैं जिनका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वे भी तथ्यावली समाजशास्त्रियों की निराधार एवं भ्रामक बातों के फेर में पड़कर इस विषय पर निष्पक्ष एवं सत्य सत्य दृष्टि नहीं डाल पा रहे।

प्रस्ताव के पारित होने की कहानी

अंग्रेज भारत में कांग्रेस महासमिति में नरणा के प्रिवीपंसों एक विचार विचारों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कराने का प्रयत्न ना बड़ी मनारजक है।

महासमिति के सम्मेलन का कुल सदस्य 600 है। इस अधिसभ में भाग लेने के लिए कर्मचारी भी सम्मेलन में पाठ थे। अधिसभ के अंत में कर्मचारी

बीस सदस्यों की उपस्थिति में नरेशो के विशेषाधिकारो को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया, महाराष्ट्र के सदस्य श्री मोहनलाल धारिया ने इस प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत किया कि विशेषाधिकारो के साथ नरेशो के 'प्रिवीपर्सों' को भी समाप्त कर दिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी एवं अन्य कांग्रेसी नेता उस समय उपस्थित नहीं थे। जैसे ही इस प्रस्ताव पर मतदान प्रारम्भ हुआ, उपप्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई भी मतदान में भाग लेने के लिए पहुँच गए। अब सदस्यों की संख्या 21 हो गई। प्रस्ताव के पक्ष में 17 एवं विरोध में 4 मत पड़े और वह पारित हो गया। इन 17 सदस्यों में से कुछ ऐसे भी थे जो किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। विरोध में दिए 4 मतों में से एक मत उपप्रधान मन्त्री का था, जो ठीक मतदान के समय पर केवल अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ही वापस आए थे। इस प्रकार महासमिति के सदस्यों की कुल संख्या के तीसरे भाग से भी कम सदस्यों की राय को पूरी महासमिति के ऊपर लाद दिया गया है। लोकतन्त्र प्रणाली के बहुमत का जैसा उपहास इस प्रस्ताव के पारित करने में हुआ, वह अपने नमूने की एक ही घटना है।

इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों की नरेशो के प्रति व्यक्तिगत ईर्ष्या एवं द्वेष की प्रतिक्रिया है।

प्रस्तावित निर्णय को लोकतन्त्री जामा पहनाने के लिए इसे लोक सभा में लाया गया। जहाँ संयुक्त समाजवादी दल तथा प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए उकसाया गया, और कांग्रेसियों से 'ह्लिप' के बल पर इसका समर्थन कराया गया।

स्वतन्त्र दल के श्री सी० सी० देसाई ने, जिनका सरदार पटेल से निकट का सम्पर्क रहा था, सदस्यों को सम्बोधित करते हुए प्रश्न किया, "यदि आज सरदार जीवित होते तो क्या इस समूह में से कोई भी व्यक्ति 'प्रिवीपर्सों' के समाप्ति की बात करने का साहस कर पाता?" आगे उन्होंने सरदार पटेल के वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए बताया कि अकेले ग्वालियर के महाराजा ने ही इतनी धनराशि दी है कि नरेशो के 'प्रिवीपर्सों' का बहुत बड़ा भाग उस राशि से ही चुकाया जा सकता है।

श्री देसाई ने कांग्रेस पर प्रत्यक्ष आरोप लगाते हुए कहा, "आपका कहना उचित है, नरेश अब अपनी रियासत आपको सौंप चुके हैं और आपके शिकजे

म कम गए हैं। इसलिए आप चाहें तो अब उनक गले में फासी भी लगा सकते हैं।”

श्री प्रॉब एथानी ने भी काग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सस्ती लोक प्रियता प्राप्त करने में लग गई है। उन्होंने सरदार पटेल की सत्यनिष्ठा पर विगप बल देते हुए कहा कि सरकार ने कई बार दुहराया था कि मैं नरंगा का वचन दिया है। शियासत में क्षेत्र व सम्पत्ति के रूप में हम जा बुद्ध मिला है, वह बहुमूल्य है। इसका अर्थ है, उस महान नेता ने नरंगो के ‘प्रिथीपसों अधिकारों एवं विधेपाधिकारों का अक्षुण्ण रखने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था ताकि वातावरण में कोई उन्हें उनसे वधित करने की बात न कह सके।

प्रस्ताव एवं भारत सरकार

सविधान में संशोधन करने के लिए लोक सभा के दो तिहाई सदस्यों का एक मत होना अनिवार्य है। दुर्भाग्य से आज मदन में काग्रेस के दो तिहाई सदस्य नहीं हैं, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने इस कुमन्त्रणाजय प्रस्ताव को सदन में नहीं लाएगा। उस इस बात का पूर्ण विश्वास है कि गर काग्रेसी वामपक्षी दलों के सदस्य तथाकथित समाजवाद के नाम पर उसकी इस कुमन्त्रणा में साथ दंगे और काग्रेस, नरंगो के प्रति अपनी द्वेषात्मक प्रवृत्ति के मूल रूप, इस प्रस्ताव पर उनके मत प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। किंतु क्या ऐसा करना देश की विश्वास बगैरे जनता के साथ विश्वासघात नहीं होगा? भारतीय जनता द्वारा नरंगा को दिये वचन को नग करने के पक्ष में मन देना भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो सकता है?

पिछले आम चुनावों में लगभग 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाली काग्रेस भारतीय जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, फिर नरंगा के अनुबन्ध एवं प्रसविदाये तो भारत सरकार (अर्थात् भारतीय जनता) से हुए हैं न कि काग्रेस से। किसी एक दल के विचार राष्ट्र पर थाप देना अयाम नहीं तो क्या है?

अगस्त में रूस का चकोस्लोवाकिया पर अगस्त आक्रमण भी इसी द्वेष जय प्रतिक्रिया का मूलरूप है। चकोस्लोवाकिया का अपराध यदि कुछ था

तो केवल इतना कि उसने रूसी प्रभुत्व से मुक्त हो कर एक स्वाधीन देश की भाँति सम्मानित जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया था तथा इस दिशा में सद् प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये थे। यद्यपि रूस के अधिकांश नेता इस निन्दनीय कदम को उठाने के पक्ष में नहीं थे किन्तु कुछ सकुचित प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने येन-केन-प्रकारेण अपनी कुमन्त्रणा को व्यावहारिक रूप दिलवा दिया—और उसके लिए अपयश का भागी बनना पडा है रूसी जनता को क्योंकि अब कोई उसकी सद्भावना को निश्चयक दृष्टि से देखने को तैयार नहीं। इसी प्रकार कांग्रेस का यह प्रस्ताव केवल कुछ कुण्ठाग्रस्त व्यक्तियों की सकुचित द्वेष भावना का साकार रूप है जिसके अपयश का भागी कांग्रेस के उस श्रेष्ठ विशाल वर्ग को बनाना पड़ेगा जिसकी इसमें कोई सक्रिय रूचि नहीं है। नरेशों का अपराध यदि कुछ है तो केवल इतना ही कि उन्होंने देश को वर्तमान दूषित एवं भ्रष्ट वातावरण से मुक्त कराके इसमें श्रेष्ठ प्रशासन स्थापित करने की जन साधारण की इच्छा में अपना सक्रिय सहयोग देना अपना पावन कर्तव्य समझा और पिछले आम चुनावों में एक भूक दर्शक की भूमिका न निभाकर सक्रिय भाग लिया, जिससे इन तथाकथित समाजवादियों को अपना आसन हिलता नजर आया और उन्होंने यह कुत्सित प्रस्ताव सम्पूर्ण कांग्रेस पर थोप दिया। यदि दूर्भाग्यवश, यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो सोचिये कि फिर विश्व की दृष्टि में भारतीय जनता की सद्भावना एवं सदास्था का क्या मूल्य रह जाएगा।

कांग्रेस के इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में वे लोग भी हैं, वल्कि वे ही इस प्रस्ताव से अधिक प्रसन्न भी हैं, जिनके मक्का-मदीना, मास्को एवं पेरिस हैं, जहाँ पर समाजवाद की वेदी पर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को बलिदान कर मानव को जीवित शव में परिणत कर दिया गया है।

फ्रांस में आज भी 'नाइट' है, इंग्लैंड में आज भी 'लार्ड' है और इन दोनों देशों का विश्व के लोकतान्त्रिक देशों में अग्र स्थान है। सच तो यह है कि इन देशों में लोकतन्त्र की नींव इतनी गहरी है कि उसे दो-दो महायुद्धों का भूकम्प भी नहीं हिला सका।

आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन सब तथ्यों से-मली-भाँति अवगत होते हुए भी इस गलत कदम को रोकने के स्थान पर इसे-ससदीय स्वीकृति दिलाने का दुष्प्रयत्न कर रहे हैं। यदि उनका कहना यह है कि वे अपने दल की महासमिति में पारित प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप

दन के लिए बाध्य है तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा, और ध्यान रखिय कि राष्ट्र के सामने दल का कोई महत्त्व नहीं है नरेगा को दिए वचन को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है? क्या राष्ट्र की बागडोर सभाले इन नेताओं को जो स्वयं को प्रबुद्ध एवं विवेकी बतलाते हैं, यह छोटी सी बात समझने नहीं आती कि इस प्रस्ताव के संसद में पारित होने से सिवा मास्को पीकिंग मतों के और किसी का कोई लाभ नहीं होगा ही विश्वजनीन निंदा एवं अपयश का भागी अवश्य बनना पड़ेगा? और जहाँ तक मास्को पीकिंग भवता का प्रश्न है उनके तो दोनों हाथों में लहडू है। यदि यह प्रस्ताव अधिनियम बन गया तो उनकी लोकतन्त्रघाती कुमत्रणा सफल हो गई और यदि यह प्रस्ताव अधिनियम न बन सका तो उन्हें कांग्रेस पर कीचड़ उछालने का एक अच्छा बहाना मिल जाएगा।

एक ओर तो वे नरेगों के प्रिवीपसों एवं विश्वाधिकारों का समाप्त कराने का श्रय लेकर जनसाधारण पर यह प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे कि बिना उनके सहयोग के यह काम सम्भव नहीं था। दूसरी ओर अपने नेताओं के वचन भंग करने व नतिकता से गिर जाने का भी दुष्परिणाम हावे व अक्ली कांग्रेस को ही भुगतने होंगे जिसका व दूसरी तरह से लाभ उठावेंगे। इसे कर्तव्य है अपने पराक्रम आगे कुल्हाड़ी मारना। अपनी अदूरदर्शिता की गिंकार निरीह (?) का प्रसन्न।

इस अधिवेशन की समाप्ति के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में स्वयं को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से बचाते हुए यह स्वीकार किया है कि पिछले आम चुनावों में कांग्रेस की विफलता का कारण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस निरंतर दुबल होती जा रही थी। उन्होंने महासमिति के कुछ समस्या द्वारा कांग्रेस के नवराज के प्रति की गई आलोचना का स्वागत करते हुए कहा कांग्रेस के हर प्रगतिशील काम में नए नए उत्पन्न किए हैं और उसे नयी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि व प्रगतिशील काम कौन से थे, जिनके कारण उनके दल का पराजय का मूल्य देखा पड़ा।

संसद में नरेगों के प्रिवीपसों एवं विश्वाधिकारों का समाप्त कराने का काम उठाने से पहले कांग्रेसी समस्या का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उपयुक्त कथन को ध्यान में रखते हुए यह मान लेना चाहिए कि क्या उनका यह काम भाग्य के काम का भाग नरेश उद्वेग करने वाला एवं नया चुनौतियों का जन्म देने वाला तो नहीं है?

भारत संघ का गठन

विभाजन

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश के क्षेत्रफल का दो तिहाई भाग और तीन चौथाई जनसंख्या ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत थी, शेष एक तिहाई भाग में छोटी बड़ी 565 भारतीय रियासतें थीं। ये रियासतें सीधे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत नहीं थीं, बल्कि भारतीय नरेशों के साथ कुछ विशेष समझौतों के अनुसार ही इंग्लैंड के वादशाह का उन पर अधिकार था, इसलिए भारत को स्वाधीनता देते समय ब्रिटिश सरकार ने कानून व नैतिकता की दृष्टि से इन रियासतों को पूर्ण स्वतन्त्र ही माना।

भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 बनने से पूर्व इंग्लैंड से एक मन्त्रिमंडलीय शिष्ट मंडल भारत भेजा गया था, जिसने 12 मई 1946 को यह ज्ञापन घोषित किया था—

“इंग्लैंड के वादशाह से समझौता होने के फलस्वरूप जो अधिकार भारतीय रियासतों को मिले थे, वे अब समाप्त हो जायेंगे तथा भारतीय रियासतों ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को समर्पित कर दिये थे, उनको फिर वापस मिल जायेंगे। इस प्रकार इंग्लैंड के वादशाह एवं ब्रिटिश भारत के साथ अब तक चले आ रहे भारतीय रियासतों के राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे—इस शून्य को भरने के लिये भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारों से सघीय अथवा विशिष्ट राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने होंगे।”

16 मई 1946 को उत्ती शिष्ट मण्डल ने अपनी यह योजना घोषित की —

सायमीम सत्ता न तो इंग्लैंड के बादशाह के पास रह सकती है और न नयी सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है ।’

फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार का वक्तव्य प्रकाश में आया

‘इंग्लैंड के बादशाह की सरकार इस बात का विस्तृत स्पष्ट कर देना चाहती है कि अधिमंडलीय शिष्टमंडल के 12 मई 1946 के नापन में घोषित भारतीय रिवाजता से सम्बंधित नाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।’

इस वक्तव्य को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया और आगे चक्कर यही उत्तराधिकारी सरकारों का सत्ता हस्तांतरित करने की पद्धति का आधार बना ।

अतः भारत की स्वाधीनता देने के लिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 बनाया गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत व पाकिस्तान दो अधिराज्या में विभाजित किया गया ।

भारतीय रिवाजतो के विषय में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का खंड 7 इस प्रकार है —

नये राज्यों की स्थापना के परिणाम — (1) नियत दिवस 15 अगस्त 1947 से (ब) भारतीय रिवाजतो पर से इंग्लैंड के बादशाह का आधिपत्य समाप्त होता है और इसके साथ साथ वे समस्त संप्रिया एवं सम्झौतें भी जो इंग्लैंड के बादशाह और भारतीय रिवाजतो के शासक के बीच में हुये थे ।

×

×

×

इस उपखंड के अनुच्छेद (ब) और (स) में किसी विशिष्ट व्याख्या के न रहने पर भी आघात कर, परिवहन संचार टांक तार या इसी प्रकार के अन्य मामलों में सम्बंधित पुराने समझौते ही उस समय तक माय हाने जय तक कि भारतीय रिवाजतो के शासक कबीला के सरदार अथवा अधिराज्य और प्रदेश की सरकार उनको अमाय घोषित न कर दें या फिर नये समझौतों के अस्तित्व में आने से वे स्वयं रद्द न हो जायें ।’

प्रस्तुत उपखंड से यह स्पष्ट है कि भारतीय रियासतों पर किसी भी सत्ता या सरकार का आधिपत्य नहीं था। आयातकर, संचार, डाक-तार आदि से सम्बन्धित जो समझौता ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच था, उसे ही एक विशिष्ट उपखंड के द्वारा चालू रखा गया था। किन्तु वह भी कोई प्रतिबन्ध नहीं था बल्कि किसी भी क्षण, किसी भी रियासत का शासक उसे अपनी रियासत के लिये अमान्य घोषित कर सकता था।

ब्रिटिश सरकार की कई घोषणाओं में यह भी कहा गया था कि रियासतें चाहे तो उस अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं, जिसके साथ उनकी भौगोलिक सीमाएँ मिलती हों।

इस प्रकार हर भारतीय रियासत के शासक को यह अधिकार प्राप्त था कि वह चाहे तो पूर्ण स्वतन्त्र रहे अथवा भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में, जिसके साथ भी उसके राज्य की भौगोलिक सीमाएँ मिलती हों, अपनी रियासत को मिला दे या फिर जैसा चाहे वैसा समझौता कर ले।

रियासतों की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न स्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे देश के सामने सबसे बड़ा राजनैतिक प्रश्न यही था कि क्या देशी राज्यों के राजा-महाराजा, राष्ट्रीय एकता की वेदी पर अपनी रियासतों की बलि देने जैसा महान् त्याग कर सकेंगे? क्योंकि इन रियासतों के भारत में मिने विना हमारी स्वाधीनता अधूरी थी।

भारत के मध्य में स्वस्तिक के आकार में फैली इन रियासतों का, राष्ट्र को अखंड बनाने के लिये, भारतीय अधिराज्य में विलय होना कितना महत्वपूर्ण था, यह प्रसिद्ध अंगरेज विद्वान कूपलैंड के इस कथन से स्पष्ट होता है:—

“यदि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मुसलमानी अंगों को काट भी दिया जाये, तो उसका जीवित रह सकना सम्भव है, किन्तु क्या वह अपने हृदय के विना जीवित रह पायेगा?”

उस समय देशी नरेशों के सम्मुख भी एक समस्या थी, वे इस शून्य की स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही भर देना चाहते थे।

भारतीय अधिराज्य में कांग्रेस की समाजवादी नीति के अनुसार रियासतों के अस्तित्व को खतरे में समझते हुए भी कुछ रियासतों ने भारत में ही मिशन की इच्छा प्रकट की, बहरा कुछ ने ही स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहा। एक तो रियासतें पाकिस्तान के साथ भी मिलना चाहती थी।

इस विषय में स्थिति से निबटने के लिये भारत की मावी सरकार (उत्तम समय की अंतरिम सरकार) ने भारतीय रियासतों के गामकों का आमंत्रित किया कि वे प्रतिरक्षा पर राष्ट्र सम्बंध एवं संचार तीन विषयों में भारतीय अधिराज्य को समर्पित कर दें।

गामकों के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि इन तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त उनकी स्थिति पूर्ववत् रहेगी और इस समझौते के पत्र-संबन्ध उन पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्वायत्तता और प्रभुमत्ता पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा। भारतीय सन्धि-यान को स्वीकार करने के लिये भी वह बाध्य नहीं होंगे।

दोनों राज्यों के शासकों ने भारत सरकार की बात मान ली और उन्होंने भारत अधिराज्य का ब्रिटिश सावभौमिकता से उत्तराधिकार में मिले भारतीय स्वायत्तता अधिनियम 1947 खंड 7 में निहित उपबंध—जिसके अंतर्गत आपात कर संचार शासक तार आदि विविध मामलों में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों तथा भारतीय रियासतों के बीच अस्थायी समझौता था—उसी उपखंड के अंतर्गत उपयुक्त (प्रतिरक्षा, पर राष्ट्र सम्बंध एवं संचार) केवल तीन विषयों में अपनी रियासतों का भारतीय संघ में मिलान के लिये एक सन्धि-यान प्रालय पर 15 अगस्त 1947 से पत्र-संबंध हस्ताक्षर करने जिसे त्रिसम रूप में यह उल्लेख किया गया था —

‘इस प्रावधान में कोई ऐसा बात नहीं है जिससे हम रियासतों पर भारी प्रभुता में किसी प्रकार का अंतर पड़े। इस रियासतों के गामकों के रूप में जो सत्ता एवं अधिकार इस समय मुझ प्रांत है, वह इस प्रांत पर हस्ताक्षर करने के बाद भी बचावपूर्वक रहेगा।’

इसी दिनांक पर 5 जुलाई 1947 का सरकार बयानमें आई ५६६ में यह उल्लेख भी किया —

इस मूल सिद्धांत को रियासतों ने पटन ही स्वीकार कर लिया है कि प्रतिरक्षा, परराष्ट्र सम्बंध तथा संचार का दृष्टि में वे भारतीय

रखती है तब राजनीतिक दृष्टि से केंद्रीय सरकार व रियासतों के बीच एक गहरी गार्ड उत्पन्न हो जायेगी तथा आर्थिक एवं अर्थ क्षमता में अखिल भारतीय नीतियों का समन्वय नहीं हो पायेगा, और रियासतों में रहने वाली 8 करोड़ 90 लाख जनता लोकतंत्र व अधिकारों से वंचित रह जायेगा। इस स्थिति में भारतीय राष्ट्र कभी भी एक विकसित राष्ट्र का सही रूप ग्रहण नहीं कर सकेगा।

अतः भारत सरकार व रियासत मंत्रालय ने दलील नरेगा व सामान्य उपयुक्त सभी बातें रखते हुए रियासतों के एकीकरण का एक प्रस्ताव रखा।

उस समय नरेगा के सामने व सभी आश्वासन भी थे जो उनमें मन्विनयन प्रालेखा पर हस्ताक्षर कराते समय भारत सरकार ने उन्हें दिये थे। इसलिए सरकार इस प्रस्ताव के प्रसंग में उनके साथ न तो नतिक रूप से किसी प्रकार का बल प्रयोग ही कर सकती थी और न इसकी कोई चेष्टा ही की गई। यह तो माई चारे के रूप में नरेशों की सब हित का एक मांग बताया गया था जिसे अपनाया या न अपनाया पूणतः उनकी इच्छा पर निर्भर करता था।

नरेश भारतीय सभ्यता के प्रतीक रहे थे उन्होंने अपनी परम्पराओं के द्वारा जिस सभ्यता को अक्षुण्ण रखा था उसका अनुसार राजतंत्र में भी प्रजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और राजा शासक होते हुए भी केवल प्रजा का संरक्षक मात्र होता है। उ होने समय की गति का पहचान कर अपनी सभ्यता के अनुरूप समस्त भारतीय जनता की इच्छा का आदर करते हुये, अपनी प्रजा व हित में एव भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिये रियासत मंत्रालय के इस प्रस्ताव को भी बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया और एक एक करके 554 रियासतों ने सचिवलय अनुबन्ध व प्रसविद भां (मजर एग्जीम टस एण्ड कावनेन्स) पर हस्ताक्षर कर दिये।

इस तरह जो काम मुसलमान 700 वर्षों में अपनी तलवारों और अग्रेज 200 वर्षों में अपनी कूटनीतियों से न कर सके, भारतीय नरेशों की राष्ट्रीय भावना प्रजा की हितचिन्तना और त्याग वृत्ति ने वही काम एक रक्तहीन शक्ति के रूप में, सरदार पटेल के द्वारा करा दिया।

इस विषय में भारतीय रियासतों पर प्रकाशित श्वेत पत्र के पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित शब्दों में शासकों की सराहना की गई है

‘छोटे-बड़े समस्त राजाओं ने युग के अनुरूप स्वयं को वातकर इस भावना

धारणा के खण्डन करने में अपना अपूर्व सहयोग दिया कि भारतवर्ष की स्वाधीनता राजा-महाराजाओं के दुराग्रह की गिला से टकरा कर धूर-धूर हो जायेगी। लोकतन्त्र भारत का भवन भारत के राजा-महाराजाओं तथा जन-साधारण के समन्वित प्रयत्न की सच्ची आधारगिला पर खड़ा है।'

यह राजा-महाराजाओं के आत्मोत्सर्ग का ही फल है कि आज भारत कई शताब्दियों के बाद, एक सांविधानिक मत्ता के रूप में खड़ा है और उसने राजनीतिक एकीकरण के आदर्श रूप को प्राप्त किया है। शासकों के स्व-उन्मूलन ने भारत के इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की है। 'राजा-महाराजाओं के देशभक्तिपूर्ण सहयोग के बिना, जन-साधारण एवं शासकों के परस्पर कल्पना की दिशा में हुआ भारत में यह विशाल परिवर्तन सम्भव ही नहीं था। व्यक्तिगत शासन की पद्धति के अभ्यस्त शासकों के लिए यह नयी व्यवस्था एक आमूल-धूल परिवर्तन के समान है। उन्होंने इस परिवर्तन को शान्तिपूर्वक अपनाकर कल्पना, दूरदर्शिता एवं देशभक्ति का परिचय दिया है। जनहित एवं जन-भावना को पहचान कर उन्होंने अपनी रियासतों को भारत में विलय कर दिया तथा उनकी मत्ता जनसाधारण को अन्तर्हित कर दी। वे स्वयं को उस स्वतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक भारत का सह-गिल्पी कह सकते हैं, जिसमें प्रान्तों एवं रियासतों के लोग स्वाधीनता का समान रूप में समाश्रवादन करेंगे और स्वतन्त्र भारत के नागरिकों के रूप में एक साथ आगे बढ़ेंगे।'

—भारतीय रियासतों पर श्वेत पत्र, पृष्ठ 146-147

रियासतों की देन

भारतीय अधिराज्य का कुल क्षेत्रफल 12,60,853 वर्गमील है, जिसमें 5,87,949 वर्गमील का क्षेत्र इन रियासतों की देन है। हमारे शब्दों में गण-तंत्र भारत के क्षेत्रफल का 47 प्रतिशत भू-भाग इन रियासतों का योगदान है। 84,471 वर्गमील वाली जम्मू एवं काश्मीर रियासत तथा 82,213 वर्गमील वाली हैदराबाद रियासत इन रियासतों में सबसे बड़ी थी। 10,000 वर्गमीलसे अधिक क्षेत्र वाली 15 रियासतें थी 1000 और 10,000 वर्गमील के बीच के क्षेत्र वाली 67 रियासतें थी तथा 10 वर्गमील से कम क्षेत्र वाली 202 रियासतें थी।

जागहटा की दुर्घटना के भी इन विवाहों का सामान्य कम महत्वपूर्ण मंती है। 1941 की जनगणना के अनुसार विवाहों के बाद भारत अधिराज्य की जनसंख्या 31 करोड़ 90 लाख थी जिसमें से 8 करोड़ 90 लाख इन विवाहों का भी। दूसरे तथ्यों में भारत अधिराज्य का 28 प्रतिशत जनसंख्या इन विवाहों में रहती थी।

जब इन विवाहों का प्रथम संघर्ष हुआ था तो मदी सरकारों ने प्रथम एवं प्रथम की सरकारों को—उत्तराधिकार से 77 करोड़ रुपये का नकदी एवं विविधों की प्राप्ति हुई थी। इनका बहुत बड़ा भाग सामान्य उद्योगों में विनिवेश कर रखा था। व्यक्तिगत सम्पत्ति के विपरीत के समय सामान्य 1500 ग अधिक गांवों का अधिक था। इनके साथ ही उन्होंने जागीर की हज़ारा एकड़ भूमि सरकार को दे दी थी। लगभग साठे पार करोड़ रुपये पर से उठाए अन्तः देशी भी लगे गये थे। जो अन्य सम्पत्ति उन्होंने लक्ष्मी उद्योग महानिधि सेवा अन्तः देशी क्षेत्रों वाले वानुधान्धारी भाग पर लगे थी। कुछ गांवों के स्थिति स्थित भवना का मूल्य जो आज भारत सरकार के अधिनियम से है कई लाख रुपये है।

इनके अधिनियम 12000 मोत लक्ष्मी रत्न व्यवस्था केन्द्र का निम्न जीवन समाय आय से महत्वपूर्ण बढ़ाने की हुई है, तथा स्थान स्थान पर लगने वाला आयोजन कर समाप्त हुआ और व्यापार एवं वाणिज्य का विकास होने का अप्रतिम अवसर मिला।



संविलयन अनुबन्ध एवं प्रसंविदाएँ

26 जनवरी 1950 अर्थात् गणतन्त्र भारत के जन्म तक 554 रियासते भारत में मिल चुकी थी तथा उन्होंने स्वयं को गणतन्त्र के रंग में रंग लिया था। इन रियासतों के शासकों ने 'संविलयन प्रालेख' (इ स्ट्रुमैण्ट्स आफ एक्सेसन) पर हस्ताक्षर करके गणतन्त्र की आधार-शिला को सुदृढ़ बना दिया था। इनमें से 551 रियासतें तो 15 अगस्त 1947 के पहले ही भारतीय अधिराज्य में विलय हो गई थी, किन्तु तीन वाद में पर 26 जनवरी 1950 के पहले ही विलय हुईं।

संविलयन प्रालेखों (इ स्ट्रुमैण्ट्स आफ एक्सेसन) के बाद संविलयन अनुबन्धों या प्रसंविदाओं (मर्जर ऐग्रीमैण्ट्स और कांवेनेण्ट्स) पर हस्ताक्षर हुए, जिसके फलस्वरूप 216 रियासतें तो अपने-अपने सलग्न प्रदेश—राज्यों में विलीन हो गईं, 61 रियासतें सीधी केन्द्रीय अनुशासन के भीतर आईं तथा 275 रियासतें नये राज्यों के रूप में परिणत हो गईं। केवल दो रियासतें—हैदराबाद और काश्मीर ने—इन अनुबन्धों पर हस्ताक्षर नहीं किए और वे गणतन्त्र भारत में नये प्रदेशों के रूप में सामने आईं।

संविलयन प्रालेखों के अन्तर्गत तो रियासतों ने केवल तीन विषय - प्रति-रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध एवं संचार—अधिराज्य सरकार को सौंपे थे तथा शेष विषयों में उनकी प्रभुता स्वतन्त्र रही थी, किन्तु संविलयन अनुबन्धों और प्रसंविदाओं पर हस्ताक्षर करके रियासतों के शासकों ने अपनी सम्पूर्ण शासन-सत्ता एवं रियासत की क्षेत्रीय अखण्डता अधिराज्य सरकार को सौंप

की जिसके फलस्वरूप ये रियासत गएत-य भारत के नवधानिक एवं राजनतिक जीवन का एक अंग बन गई और उनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई ।

सविलयन अनुबंध या और प्रसविदाओं का अंतगत भारतीय नरेशों को यह बचन दिया गया था कि उनके व्यक्तिगत अधिकार एवं विशेषाधिकार बचावत रहेंगे तथा उनके प्रिवापस चानू रहेंगे । जसा कि माच 1950 में भारत सरकार ने भारतीय रियासतों पर ह्वेन पंथ प्रकाशित कर स्वाकार किया था

“प्रदेश सभों की स्थापना करने वाले सविलयन अनुबंध तथा प्रसविदा हस्ताक्षरकर्ता शासकों के लिये अंतिम अनुबंध हैं । जहा इनके अंतगत रियासतों का एकीकरण तथा शासकों में सत्ता हस्तांतरण का विधान है वहा शासकों का प्रिचीपस की मदद का उत्तराधिकार की, व्यक्तिगत अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (रियासत की सम्पत्ति में मिन) का स्वामित्व एवं उसके उपयोग उपयोग की पूरा गारंटी दी जाना है ।

शासकों का व्यक्तिगत अधिकारों विशेषाधिकारों एवं प्रिचीपसों का सम्बन्ध में सभी सविलयन अनुबंधों तथा प्रसविदाओं में इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद पाई जाती है । भारत सरकार प्रत्येक सविलयन अनुबंध में एक सविनाकारी, प्रत्येक प्रसविदा में सहमति देने वाली एवं उसमें लिखित प्रत्येक व्यवस्था की गारंटी करने वाली है । ग्वानियर इंदौर एवं मध्य भारत की कुछ अन्य रियासतों को मिला कर ग्वानियर इंदौर एवं मातवा का समुक्त प्रदेश (मध्य भारत) बनाते समय इन रियासतों का शासक तथा भारत सरकार के बीच जो प्रसविदा हुआ था उसका प्राक्कथन एवं कुछ प्रसंगोचित धाराओं का अवलाकन स यद् मन्त्री प्रकार स्पष्ट हा जाता है । उसमें लिखा गया है कि

ग्वानियर इंदौर तथा मध्य भारत की कुछ अन्य रियासतों का हम शासक लोग इस बात समझते होकर कि इन राज के लोगों का दिन इसा में है कि हमारी रियासतों का एकीभूत कर का एक नया प्रदेश बना लिया जाए जिसमें साव कार्यो हो साव विधानाग हा तथा साव व्यापार हो तथा यह निष्पत्ति करके कि (भारतीय सविधान का अंतगत) इस प्रदेश के सांख्यिक सविधान के बनाने का काम जनता का निर्वाचित प्रतिनिधियों की सविधान सभा को सौंप लिया जाए ।

भारत सरकार की सहमति एव गारण्टी मिलने के बाद, निम्नलिखित प्रसविदा करते हैं—

धारा ११

(1) प्रत्येक प्रसविदाकारी रियासत के शासक को सयुक्त प्रदेश के राजस्व से प्रतिवर्ष अपने प्रिवीपर्स के रूप में उतनी राशि लेने का अधिकार होगा जितनी कि अनुसूची 1 में उस प्रसविदाकारी रियासत के नाम के सामने लिखी है।

ग्वालियर एव इन्दौर रियासतों के सामने लिखी प्रिवीपर्स की यह राशि केवल वर्तमान शासको को मिलेगी, उनके उत्तराधिकारियों को नहीं। उत्तराधिकारियों के लिए इस सम्बन्ध में नयी व्यवस्था की जाएगी।

(2) उपरिलिखित धन राशि देने का लक्ष्य यह है कि शासक तथा उसके परिवार के समस्त खर्च इससे चलते रहे। इन खर्चों में परिवार में होने वाले विवाह, मनाये जाने वाले उत्सव, निवास-स्थानों की देखरेख आदि पर होने वाले समस्त खर्च शामिल है। यह राशि अनुच्छेद (1) की व्यवस्था के अधीन है तथा किसी भी कारण से न बढ़ाई जाएगी और न घटाई जाएगी।

(3) यह राजप्रमुख की जिम्मेदारी है कि वह उपरिलिखित धनराशि प्रत्येक शासक को तिमाही के प्रारम्भ में दे दे। इस प्रकार यह राशि चार समान किश्तों में दी जाएगी।

(4) उक्त धनराशि समस्त करो से मुक्त होगी चाहे वे कर सयुक्त प्रदेश की सरकार ने लगाए हो चाहे भारत सरकार ने।

धारा १३

प्रत्येक प्रसविदाकारी रियासत के शासक तथा उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों, आदर-सम्मान तथा उपाधि-पदों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आएगा। जिस रूप में ये चीजें 15 अगस्त 1947 के दिन के एकदम पहले हैं, अविद्य में यथावत् रहेगी।

बिल्कुल यही बात भारताय नरेगा के प्रिधीपसों एव विनोपाधिकारो के विषय म है—उन्होंने अपनी रियासतें व शासन दत्ता भारतीय अधिराज्य को सौंप दी । कि तु अपन व अपने परिवार क लिये रियासत की वार्षिक आय का कुछ अंश प्रिधीपस के रूप म निश्चित कर लिया और साथ ही कुछ अधिकार भी अपने पास रख लिये ।

य अनुबंध एव प्रसविदायें सविधान लागू होने से पहले की हैं और तभी से लागू भी है । सविधान समा जो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थी उसने इन अनुबंध एव प्रसविदाओं को उनके उसी रूप म स्वीकार करके एक प्रकार से अपने रजिस्ट्रेशन की मुहर लगा दी । भारत सरकार तो समस्या क लिये एक ट्रस्ट है । उन यह अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है कि नरेगो क प्रिधीपसों एव विनोपाधिकारो को बिना उनकी इच्छा के बलपूर्वक छीन ले ?

प्रिधीपसों एव विशेषाधिकारो को यथावत् बने रहने देने में तो सरकार की कोई उदारता नहीं है । छीन लेने म वेईमानी अवश्य है ।

वास्तव में सविलयन अनुबंधो एव प्रसविदाओ पर नरेगा क हस्ताक्षर कराने के लिये उपाधियो एव विनोपाधिकारो की गारंटी ही ऐसा आश्वासन था, जिसके कारण उन्हें अपनी रियासतों को भारत म विलीन कराने म कोई झिंझक नहीं हुई । उन्होंने सोचा—यह ऐसा समझौता है, जिसम हमारा सम्मान भी बना रहेगा और प्रजा का भी हित हो जायेगा ।

आज तक कभी किसी नरेश ने अपने विशेषाधिकारो का प्रयोग नहीं किया ?

सरकारन अनुसूचित जातियो और कबीला को भी तो कुछ विनोपाधिकार दे रखे है । इसस जातिवाद को ता प्राप्साहन मिल ही रहा है सरकारी नौकरियो व चुनावो म अ य जातियो क अधिकारो का भी प्रत्यक्ष हनन होता है ।

सरकार को चाहिये पहल इन बनावटी और जातिवाद का प्राप्साहन करने वाल विनोपाधिकारो का समाप्त करे, जिनके उपयोग और दुरुपयोग से समाज के अवाञ्छनीय एव विपले तत्व पनप रह हैं अनुशासन हीनता बढ़ रही है और योग्यता का गला घुट रहा है ।

रही नरेगा की उपाधिया की बात—आज भी भारत सरकार पदम भूषण पदमथी व भारतरत्न इत्यादि सम्मानसूचक उपाधियाँ देती है ।

ताओ को चाहे उस विषय का ज्ञान न हो, किन्तु विश्वविद्यालय उन्हें किसी विशेष विषय में 'डाक्टर' की उपाधि देकर सम्मानित कर देते हैं।

जिस वंश में शताब्दियों से जनता द्वारा मान्य उपाधियाँ चली आ रही हैं, उन्हें एकदम मिटाया नहीं जा सकता।

ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, रायसाहब, रायवहादुर आदि उपाधियाँ तो दासता की प्रतीक हैं अब वे सम्मान की वस्तु नहीं रही, फिर भी अब तक इनके प्राप्त कर्ताओ को इन उपाधियों के नाम से ही सम्बोधित किया जाता है।

प्रायः यह भी देखा जाता है कि किसी सम्मानित पद से अवकाश ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने उसी पद के नाम से पुकारा जाता है। कलक्टर अवकाश ग्रहण करने पर भी कलक्टर ही कहलाता है, यद्यपि उसके पास अधिकार कलक्टरों के नहीं होते। जज न्याय का काम नहीं करता, फिर भी जज साहब ही कहलाता है, सेना के अफसर भी अवकाश ग्रहण करने पर मेजर, कप्तान, जनरल आदि अपने-अपने पदों के नाम से ही जनता में जाने पहचाने जाते हैं।

जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जो जमींदार राजा कहलाते थे, उन्हें अब राजा कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी जनता उनको राजा साहब ही कहती है। उनके बच्चे कुंवर साहब कहलाते हैं। अभी न जाने कब तक वे राजा साहब ही कहलायेंगे और उनका घराना, राजघराना कहलाता रहेगा। इस बात को कानून बना कर रोकना नहीं जा सकता।

यदि नरेशों की यह उपाधियाँ, सधि तोड़ कर, सरकारी तौर पर हटा भी दी जायें, तो इनका हटाना केवल कागजी ही रहेगा। जनता तो उन्हें उसी नाम से पुकारेगी, वैसे ही श्रद्धा रखेगी।

प्रिवीपर्स

भारत सरकार ने नरेशों के प्रिवीपर्स रियासतों के क्षेत्रीय नेताओं व शासकों की सहमति से निश्चित किये थे। यह प्रिवीपर्स भारतीय अधिराज्य में विलय होने वाली 554 रियासतों में से केवल 284 रियासतों के लिए

निश्चित किये गये। गण 270 छोटी छोटी रियासतों का, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटी तथा सौमित्र आय वाली थी, एक निश्चित धनराशि दे दी गई।

प्रिवीपस पाने वाला इन 284 रियासतों में से 179 का एक लाख रुपये से कम, 78 को एक से पाँच लाख रुपये के बीच 13 को पाँच से दस लाख के बीच और 11 को दसलाख रुपये से ऊपर वार्षिक प्रिवीपस दिया जाता है।

प्रिवीपसों की अत्यागों के लिये भारत सरकार ने रियासतों की कुल आय का 5 से लेकर 15 प्रतिशत तक देना निश्चित किया था। किन्तु वह दस लाख रुपये वार्षिक से अधिक किसी को देना नहीं चाहती थी। रियासतों में 11 रियासत ऐसी थी जो क्षेत्रफल में दस हजार वर्गमील से भी बड़ी थी और जिनकी आय भी बहुत अधिक थी। उन्हें 5 प्रतिशत प्रिवीपस भी दिया जाता था वह बहुत अधिक बँठता था। उनके व उनके परिवार वालों के पक्षों भी बहुत अधिक थे। तब इन ग्यारह रियासतों के लिए बहा के शासक मंत्रियों एवं क्षेत्रीय नेताओं की राय से उनके लिये जो प्रिवीपस निश्चित किये गये उनका सम्बन्ध में यह रहा कि यह धनराशि इन रियासतों के केवल वर्तमान शासकों को ही मिलेगी। उत्तराधिकारी शासकों को एक के बाद दूसरे उत्तराधिकार के साथ यह प्रमश कम होती चली जायगी।

अधिक प्रिवीपस पाने वाले वे ग्यारह शासक निम्नलिखित हैं —

- 1 हिज हाईनेस, निजाम हैदराबाद 50 लाख रुपये
- 2 हिज हाईनेस महाराजा बडौला 26 लाख 50 हजार
- 3 हिज हाईनेस महाराजा ममूर, 26 लाख
- 4 हिज हाईनेस महाराजा ग्वालियर, 25 लाख
- 5 हिज हाईनेस महाराजा ट्रावनकोर, 18 लाख
- 6 हिज हाईनेस महाराजा जयपुर 18 लाख
- 7 हिज हाईनेस, महाराजा जायपुर 17 लाख 50 हजार
- 8 हिज हाईनेस महाराजा बीकानेर, 17 लाख 50 हजार
- 9 हिज हाईनेस महाराजा पटियाला, 17 लाख
- 10 हिज हाईनेस महाराजा इंदौर, 15 लाख

11 हिज हाईनेस, नवाब भूपाल, 11 लाख

इन रियासतों के विलयन के समय—सन् 1948 में नरेशों को प्रिवीपर्स के रूप में दी जाने वाली कुल धनराशि पाँच करोड़ सत्तर लाख रुपये वार्षिक थी।

इस समय उपरोक्त ग्यारह रियासतों के तत्कालीन शासकों में से अधोलिखित की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी शासकों के प्रिवीपर्स की धनराशि कम कर दी गई है —

- 1 हिज हाईनेस, हैदराबाद, 50 लाख से घटाकर 20 लाख
- 2 हिज हाईनेस, बडौदा, 26 लाख 50 हजार से घटाकर 14 लाख 54 हजार।
- 3 हिज हाईनेस, ग्वालियर, 25 लाख से घटाकर 10 लाख
- 4 हिज हाईनेस बीकानेर, 17 लाख 50 हजार से घटाकर 10 लाख
- 5 हिज हाईनेस, इन्दौर, 15 लाख से घटाकर 5 लाख
- 6 हिज हाईनेस, भूपाल, 11 लाख से घटाकर 6 लाख 70 हजार

प्रिवीपर्स पाने वाले 279 शासकों में से भी 100 से अधिक तो जागीरदार, ताल्लुकेदार आदि थे, उनमें कुछ तो कुछ सैकड़ों में ही प्रिवीपर्स पाते हैं, जैसे गुजरात में कटीदिया के राजा को, सबसे कम केवल 192 रुपये वार्षिक प्रिवीपर्स मिलता है। केवल 13 शासकों को पाँच लाख रुपये से अधिक मिलता है।

अनुबन्धों एवं प्रसविदाओं के अनुसार ग्यारह बड़ी रियासतों के शासकों को छोड़कर यद्यपि प्रिवीपर्स की धनराशि न तो घटाई जा सकती है और न बढ़ाई जा सकती है, फिर भी पाँच लाख से अधिक पाने वाले 24 नरेशों में से 9 की मृत्यु हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने स्वयं ही प्रिवीपर्सों की धनराशि घटाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। यही घटी हुई धनराशि भी 81 लाख रुपये से अधिक है।

5 रियासतों के शासकों की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी न होने से प्रिवीपर्स वन्द भी हो गया है।

इस प्रकार सन् 1948 में प्रिवीपर्स के रूप में दी जाने वाली पाँच करोड़ 70 लाख की वार्षिक धनराशि 1968 में घटकर चार करोड़ बयासी लाख रह गई है। इसी प्रकार यह शर्न शर्न कम होती चली जा रही है। और एक दिन ऐसा आयेगा कि पूरी तरह समाप्त हो जायेगी।

घरों भी भारत के 3000 करोड़ के बजट में पौन पाँच करोड़ की बचत की जा सकती है। जबकि इन बचत के दुर्परिणाम प्रभाव ही समाज पर अपना गहरा प्रभाव डालेंगे।

जहाँ तक उद्योग का प्रश्न है उद्योग चलाने में बहुत परिवर्तन हो चुका है और घटकर जा रहा है। पार पार से आम नागरिक जमा जीवन अपनाता जा रहा है। कुल ने निम्न श्रेणीय आरम्भ कर दिया है कुल में उद्योग में पना लगाया है और कुल ने कृषि पाम बना लिया है। उद्योग जहाँ तक व्यवसाय रूप की बात है वह किसी न किम्मा प्रकार अपने आजीविक परिस्थिति का अनुकूल व्यवस्थित कर सके।

किन्तु हमारे विधान के अनुसार वे धाज भी राजा महाराजा हैं। इसी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये उनके प्रिवीपर्सों का अधिकांश भाग उन हजारों लोगों पर रखा होता है जो उनके यहाँ सब भी काम पर लगे हुए हैं और जिन्हें उन्होंने रियासतों के विसीनीकरण के उपरान्त भी सेवा निवृत्त नहीं किया। इसमें नौरत खाकर उपरान्त भी बसक और आपातर सभी धनी के लोग हैं। उनकी रियासत के सबको लोग अब भी घर बैठे पैसा पा रहे हैं जिनका भुगतान प्रिवीपर्सों की धनराशि में से ही होता है। प्रिवीपर्सों की समाप्ति इन सबको बेकार कर देगी। उन हजारों लोगों और उनके परिवारों का क्या होगा? क्या भारत सरकार उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी? प्रिवीपर्सों की इस पौने पाँच करोड़ रूपों के बचत से जो कुल बजट का 0.00 भाग से कम है देश के बजट में तो कोई लाभ नहीं होगा हाँ देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेकारी के युग में हजारों परिवार अस्त व्यस्त अवश्य हो जायेंगे।

इस समय में जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनकी ओर सरकार ध्यान दे तो करोड़ों रूपों की आय बढ़ सकती है—

आयकर का करोड़ों रूपया छूटा लिया जाता है करोड़ों वसूल नहीं हो पाता। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुये 11 वर्ष हो गये धाज भी उसमें न जान कितनी अनियमितता में भरी पड़ी है जिनके दूर करने से करोड़ों का लाभ हो सकता है। अ. व. नो. का भी यही हाल है।

और फिर नरेशों को दी हुई धनराशि जाती कहीं है?—चीन के पाकिस्तान से युद्ध के समय नरेशों ने करोड़ों रूपया राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया। जब भी भारत सरकार या राज्य सरकारें जनता से ऋण लेने के लिये

'बॉन्ड्स' जारी करती हैं. नरेन्द्र करोड़ों रुपये के 'बॉन्ड्स' खरीद लेते हैं। क्या प्रिवीपर्स समाप्त हो जाने के बाद नरेशों के हृदय में इस तरह के योगदान का कोई उत्साह रह जायेगा ?

विशेषाधिकार

नरेशों के विशेषाधिकार की यद्यपि स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व कोई पूर्ण सूची बनी नहीं थी और न ही ऐसा करना कभी श्रेय समझा गया था, किन्तु भारत सरकार ने प्रत्येक नरेश के साथ अलग अलग सविलयन प्रालेखों तथा सविलयन अनुबन्धों अथवा प्रसविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इसीलिए शासकों के अधिकार भी अलग अलग हैं। एक रियासत में कुछ है तो दूसरी में कुछ। और इनका 'उपयोग भी' रियासत के भीतर व बाहर दोनों ही क्षेत्रों में किया जा सकता है। भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से प्राप्त सूची के अनुसार उसका शीर्षक है 'इलस्ट्रेटिव आफ पर्सनल प्रिविलेजेंज गारन्टीड टू रूलर्स आफ दि फार्मर इण्डियन स्टेट्स' (भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों के प्रतिभूत व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की निदर्शी सूची)। इसके अन्तर्गत निम्न-लिखित 23 विशेषाधिकार सूचीबद्ध हैं

- 1 शासकों एवं उनके परिवारों के लिए सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था,
- 2 शासकों के अधिकारी निवासों पर सशस्त्र प्रामाद-रक्षकों की व्यवस्था,
- 3 अपेक्षित भुगतान करने पर यात्रा करते समय शासकों एवं उनके परिवारों को अग्ररक्षक सुलभ कराने की व्यवस्था,
- 4 अपने निवासों, कारों तथा वायुयानों पर शासकों एवं उनके सहचरों को अपनी पताका फहराने का अधिकार,
5. भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत शासकों एवं उनके परिवारों को कुछ विशिष्ट छूटें दी गई हैं अर्थात् वे कुछ विशिष्ट प्रकार के शस्त्र बिना लाइसेंस के रख सकते हैं,

- 6 शासको का प्रिवीपग आयकर तथा अधिकर (अतिरिक्त आयकर) शोना करा से मुक्त रहेगा तथा उसकी गणना उनकी कुल आय एवं विदेश आय में नहीं की जाएगी
- 7 शासका व अधिकारी विवाहा की भाडा राशि पर भवन कर नहीं लगगा
- 8 मोटर गाडी अधिनियम व अलगग गागका की रिना गृहक श्रिय अपनी कारें रजिस्टर करान तथा अपने लिए ड्राइवर साइसस नेने का अधिकार हागा
- 9 स्थानीय कराधान से शासका को प्रमुक्ति (दूट) देने का निणय सम्बन्धित प्रदेश की सरकारें करेगी जहा तक होगा यहाँ तक 15 अगस्त 1947 व पहन की स्थिति का चानू रचन का प्रयत्न किया जायेगा । प्रदेश सरकारो को यह निर्देश दे दिया गया है कि यदि भूतपूव रिदासता व क्षत्रा में भवन कर लगया जाय तो शासका व निवासो का इससे मुक्त रघा जाए ।
- 10 शासका की जागीरो तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की करा से मुक्त रखने या न रखने का निणय सम्बन्धित प्रदेश सरकारें करेगी । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यह इच्छा भी व्यक्त कर दी है कि सामान्यत ऐसे मामलो को भू राजस्व अधिनियम व अधीन सुतज्ञाया जाए
- 11 शासका का अग्र सम्मानाधिकार 15 अगस्त 1947 के पहल के समान रहेगा
- 12 शासको की अपनी कारो पर लाल नम्बर प्लेटें लगान का अधिकार होगा
- 13 दस या दस से अधिक तोपा की सलामी पाने वाले शासका क साथ जाने या जाने वाला सामान तथा उनीस या उनीस से अधिक तोपा की सलामी पाने वाल शासका के साथ या अलग से जाने या जाने वाला सामान आयात निर्यात कर से मुक्त होगा । उनीस या उनीस से अधिक तोपो की सलामी पाने वाल शासको तथा उनके पारिवारिक सम्स्या के व्यक्तिगत उपयोग व लिए ली गई चीजो पर भी आयात निर्यात कर नहीं लगेगा । उनीस

या उन्नीस से अधिक तोपो की सलामी पाने वाले शासको द्वारा खरीदे गए पेट्रोल पर दिया जाने वाला उत्पादन शुल्क उन्हें वापस कर दिया जाएगा ,

- 14 किसी शासक के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा ,
15. शासको को उनकी मान्यता-प्राप्त उपाधियों से सम्बोधित किया जाएगा ,
- 16 शासको के मछली पकडने तथा शिकार करने के अधिकार सुरक्षित रहेंगे ,
- 17 सविलयन के पूर्व जो शासक भारतीय सेना की टुकडिया रखते थे, उनके या उनके सहचरो के या उनके युवराजो के अन्तिम सस्कार के समय उन्हें सैनिक सम्मान मिलेगा, वशर्ते कि इसका वहाँ तुरन्त प्रबन्ध हो सके ,
- 18 शासको की सहमति लिए विना तथा विना उनको उचित क्षतिपूर्ति दिये, उनके निवास के लिए उपयुक्त होने वाली उनकी भू-सम्पत्ति को न अधिग्रहीत किया जाएगा और न अभिग्रहीत ,
- 19 शासको से उनकी भूतपूर्व रियासतो मे स्थित हवाई अड्डो पर उनके हवाई जहज उतारने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा ,
20. शासको की भूतपूर्व रियासतो मे स्थित उनके निवासो मे खर्च होने वाली विजली एव पानी का मूल्य नहीं लिया जाएगा । यह दृष्ट केवल कुछ शासको को ही मिलेगी ,
- 21 भूमि के अनिवार्य अभिग्रहण से प्रमुक्ति । यह प्रमुक्ति केवल कुछ शासको को ही है ,
- 22 भूतपूर्व रियासती क्षेत्रो मे शासको के जन्म-दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी । यह अधिकार भी केवल कुछ विशिष्ट शासको को ही प्राप्त होगा , तथा
- 23 कुछ विशिष्ट शासको को (यह वर्गीकरण तोपो की सलामी पर आधारित है) डाक-तार की विशिष्ट सुविधाएं जैसे नि शुल्क रेडियो-लाइसंस तथा तार देते समय प्राथमिकता मिलेगी ।

इन विशेषाधिकारो की जितनी चर्चा हो रही है, यदि इन्हे व्यवहार की

कसीटी पर बस कर देखा जाए तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस इतना तूल दिया जाता जरूरी हो। इस सदन में इन विशेषाधिकारों के स्वरूप पर चर्चा करना असम्बद्ध न होगा। देखिये —

- 1 सरकारी अस्पताला में निशुल्क चिकित्सा—देश के प्रत्येक नागरिक का यह सुविधा प्राप्त है और भूतपूर्व नरेश भी देश के नागरिक है। तब इसमें विशेषाधिकार कहीं से घुस गया। दूसरे ऐसा कौन नरेश होगा जो इलाज क चक्कर में अस्पताला क चक्कर काटता फिरगा।
- 2 अधिकारी निवास पर सशस्त्र रक्षक यह सुविधा भी प्रत्येक नागरिक को है। यदि किसी नागरिक का अपनी जान माल का खतरा महसूस होता हो तो वह नगर अधिकारियों में प्राथना करके अपने निवास पर सशस्त्र रक्षक तनात करा सकता है।
- 3 यात्रा के समय अग्निरक्षक इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए नरेशों का भुगतान करना पड़ता है। जब भुगतान हो करना है तब मरकारी अग्निरक्षक क्या और गर सरकारी क्या।
- 4 यह सुविधा भी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। आपका यह स्वतंत्रता है कि आप राष्ट्रीय ध्वज अर्थात् तिरंगे झण्डे के अनिरिक्त किसी भी प्रकार का ध्वज अपने निवास पर फहराए अपना कार पर फहराए और यदि वायुयान हो तो उस पर भी फहराए। 15 अगस्त के दिन आप राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा सकते हैं। फिर इसमें नरेशा का कौन सा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है।
- 5 कुछ विविष्ट प्रकार के गस्त्र बिना लाइसंस के रखने का अधिकार अवश्य विंगप है, वस लाइसंस प्राप्त करके गस्त्र कोई भी रख सकता है।
- 6 आयकर एवं अधिकार से मुक्ति केवल प्रिवीपम के रूप में प्राप्त राशि पर है। नरेशा की गय आय पर (यदि कुछ है तो) नहा।
- 7 कोई विंगप राशि नहीं बतती।
- 8 नरेशों को मोटर गाड़ी अप्रिवीपम की सशस्त्र पारामों का पालन तो एक सामान्य नागरिक के समान ही करना है कबल कार रजिस्टर कराने या अपना ड्राइविंग लाइसंस लेने की फीस नष्टा देनी होगी। अर्थात् कुछ थोड़े-से रूपों की बचत है कबल।

9. स्थानीय कराधान से नरेशो को छूट देना या न देना सम्बन्धित प्रदेश सरकारो की इच्छा पर निर्भर करता है। यह नरेशो का अधिकार नहीं है। हाँ, उनके मुख्य आवास को हाउस-टैक्स से मुक्त करना जरूर एक सुविधा है। किन्तु यह भी आर्थिक लाभ है और वह भी कोई बहुत अधिक नहीं है।
10. जागीर एव व्यक्तिगत सम्पत्ति को करो से मुक्त करना या न करना प्रादेशिक सरकारो की इच्छा पर निर्भर है। नरेशो का अधिकार यह भी नहीं है। और भू-राजस्व अधिनियम तो फिर भी लागू है ही।
- 11 यह विशेषाधिकार केवल नाम का है। व्यवहार मे इसका मूल्य नहीं है। आज उन नरेशो के लिए जिन्होने अपना सब कुछ राष्ट्र की एकता के लिए त्याग दिया है, किसी अग्र-सम्मान की व्यवस्था नहीं है। सिक्किम, भूटान आदि भी तो रियासते ही है। यदि आज इनके नरेश दिल्ली पधारते हे तो भारत के राष्ट्रपति उनके स्वागत के लिए पालम हवाई अड्डे पर पहुँचते है किन्तु, यदि भारत की भूतपूर्व रियासतो के नरेश नयी दिल्ली आते है तो उनका किसी को पता भी नहीं चलता। उनका दोष केवल इतना है कि उन्होने अपनी रियासतो को भारत सघ मे विलीन करके अपना प्रथक अस्तित्व समाप्त कर दिया है।
12. कार पर लाल नम्बर प्लेट लगाने से क्या अन्तर पड़ता है। और सब नरेश लाल प्लेट लगाते कहाँ है? यदि कभी अपनी भूतपूर्व रियासतो मे जाते है तो भले ही इस अधिकार का उपयोग कर लेते हो।
13. इस कोटि मे बहुत कम नरेश आते है। उन्नीस तोपो की सलामी लेने वाले नरेश केवल 6 है और इसके ऊपर 21 तोपो की सलामी लेने वाले केवल 5। दस तोपो से ऊपर वालो की भी कोई अधिक सख्या नहीं है।
- 14 यह कोई विशेषाधिकार नहीं है; वल्कि नरेशो को व्यर्थ के झमेलो से बचाने का उपाय मात्र है। नरेशो पर मुकद्दमा तो हर तरह का चलाया जा सकता है और कोई भी चला सकता है। शर्त केवल इतनी है कि उसके लिए केन्द्रीय सरकार से पहले अनुमति लेनी

हागी। यदि मामला उचित है और नरेग पर मुकद्दमा चलाना "यायसगत है तो भारत सरकार उसको तुरन्त अनुमति देती है और अतीत म दती भी रही है। इसलिए इस विनोपाधिकार का यह अर्थ नहीं है कि नरेगा पर मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें व्यय म कोई भूख मुकद्दमा चला कर परेगान न करे।

- 15 सिख सज्जन को सरगारजी, ब्राह्मण बधु को पंडितजी तथा मस्जिद के अधिष्ठाता को 'मौलवी' कह कर सम्बोधन करते हैं उसी प्रकार नरेश मण्डल के सदस्य का 'महाराज' कह कर सम्बोधन करते हैं। इसमें विनोपाधिकार के दम तो कही दशन नहीं हुए।
- 16 आजकल नरेगो के पास इतना समय नहीं है कि वे मछली पकड़ने या शिकार खेलने म "यस्त रहें। यह भी केवल कागज पर लिखा विनोपाधिकार है।
- 17 प्रथम तो यह अधिकार सब नरेशो को प्राप्त नहीं है। दूसरे यदि उस समय "यवस्था हो तो यह सम्मान दिया जा सकता है। यह विनोपाधिकार नहीं रहा। यह तो उस क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर है। यदि उन अधिकारियों को सुविधा प्रतीत होगी तो वह अंतिम सस्कार के समय सनिक सम्मान की "यवस्था कर दंगे
- 18 यह कोई विनोपाधिकार नहीं है। एक सामान्य नागरिक की जमीन को भी बिना उसकी सहमति लिए और बिना उसे मुआवजा दिये सरकार नहीं ले सकती जब तक कि उसकी आवश्यकता किसी सावजनिक काय के लिए न हो। और बने हुए मकान आदि को सावजनिक काय के लिए भी नहीं लिया जा सकता। नागरिक होने के नाते नरेगो को भी यह अधिकार प्राप्त है।
- 19 यह विनोपाधिकार केवल कागज की शोभा बढ़ाने क लिए है। आज किसी नरेश के पास वायुयान है ही नहीं, फिर उसके उतारने का प्रश्न ही नहीं पदा होता।
- 20 निवास के लिए मुफ्त बिजली पानी कोई विशेषाधिकार नहीं है। सरकार के मन्त्रीगण एव वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह सुविधा प्राप्त है और नरेगो की तुलना म अधिक प्राप्त है।

- 21 यह अधिकार भी सब नरेशो को प्राप्त नहीं है ।
- 22 पहली बात तो यह कि यह विगेपाधिकार सब नरेशो को प्राप्त नहीं है और दूसरी बात यह है कि किसी नरेश के जन्मदिन पर किसी रियासती क्षेत्र में छुट्टी होती ही नहीं इसलिए यह भी केवल कागजी विगेपाधिकार है ।
- 23 पहली बात तो यह विशेषाधिकार सब नरेशो को प्राप्त नहीं है तथा दूसरी बात यह है कि आज यह सुविधा सब मन्त्रियों को प्राप्त है और ससत्सदस्यो को प्राप्त होने जा रही है ।

इस तरह हम देखते हैं कि नरेशो के यह विशेषाधिकार केवल नाम के ही है । वह उन्हें कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं कराते जो उनके त्याग को देखते हुए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सके । जिन्होंने अपना सब कुछ देश के चरणो में अर्पण कर दिया, वह भी तब जब आत्मनिर्णय की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी ।

— — —

प्रिवीपर्स एव विशेषाधिकारों का औचित्य

(अ) कानूनी पक्ष

भारतीय सविधान की दृष्टि में

भारतीय सविधान की जिन धाराओं का शासकों के प्रिवीपर्स, व्यक्तिगत अधिकारों तथा विनोपाधिकारों से सम्बन्ध है व है धारा 291, धारा 362 धारा 363 तथा धारा 366 (खण्ड 15 एव 22) । तुरंत स दम के लिए वे धाराएँ यहाँ उद्धृत हैं

'291 शासकों के प्रिवीपर्स की राशि—सविधान क लागू होने के पूर्व किसी भी भारतीय रिपब्लिक के शासक व साथ जो भी श्रुत ध या प्रसविदा हुआ है और उसके अन्तर्गत भारतीय अधिराज्य की सरकार ने उस शासक को जो भी प्रिवीपर्स देने की गारण्टी दी है—

(अ) उसकी राशि भारत की समेकित निधि से दी जायेगी और

(आ) शासक को दी जाने वाली यह राशि सब प्रकार के आयकर से मुक्त होगी ।

362 भारतीय रिपब्लिक का शासकों के अधिकार एव विनोपाधिकार—
देश की ससद् या प्रदण की विधान सभा द्वारा विधान बनाते समय तथा

केन्द्रीय या प्रादेशिक कार्याग द्वारा उस विधान को लागू करते समय भारतीय रियासत के शासक के व्यक्तिगत अधिकारो, विशेषाधिकारो तथा उपाधि-सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसकी कि धारा 291 में उल्लिखित प्रसविदा या अनुबन्ध में गारण्टी दी गई है।”

“363 विशिष्ट सन्धियों, अनुबन्धो आदि से सम्बन्धित विवादो में न्यायालयो द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर प्रतिबन्ध—

(1) इस सविधान में किसी व्यवस्था के न होने पर किन्तु धारा 143 की व्यवस्थाओं के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह इस सविधान के लागू होने के पहले हुए किसी भी भारतीय रियासत के शासक और भारतीय अधिराज्य की सरकार या उसकी पूर्वाधिकारी सरकार के बीच मन्ध, अनुबन्ध, प्रसविदा, समझौता, सदन या इमी कोर्ट के किसी अन्य प्रालेख की किसी व्यवस्था के सम्बन्धित किसी विवाद के उठ खड़े होने पर (अथवा) किसी ऐसी सन्धि, अनुबन्ध, प्रसविदा, समझौता सनद या इसी कोर्ट के किसी अन्य प्रालेख से सम्बन्धित इस सविधान की किसी व्यवस्था के विषय में किसी विवाद के उठ खड़े होने पर, किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सके।

(2) इस धारा में—

(अ) ‘भारतीय रियासत’ से अभिप्राय है वह कोई भी प्रदेश, जिसे इस सविधान के लागू होने के पहले इंग्लैंड के बादशाह द्वारा या भारतीय अधिराज्य की सरकार द्वारा रियासत स्वीकार किया गया हो, तथा—

(आ) ‘शासक’ से अभिप्राय है राजा-महाराजा, सरदार या वह व्यक्ति, जिसे इस सविधान के लागू होने के पहले इंग्लैंड के बादशाह ने या भारतीय अधिराज्य की सरकार ने किसी भारतीय रियासत का शासक माना हो।

“366 परिभाषाएँ— इस सविधान में, जब तक कि सन्दर्भ में दूसरा अर्थ न लगता हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है—

(15) ‘भारतीय रियासत’ से अभिप्राय उस प्रदेश से है, जिसे भारतीय अधिराज्य की सरकार ने मान्यता प्रदान की हो,

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में

यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि भारतीय रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थीं और यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वे भारत या पाकिस्तान किसा एक अधिराज्य में मिल जाएँ अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखें। सत्य यह है कि शुरू में कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा भी व्यक्त की थी। किंतु सरदार वल्लभभाई पटेल और उनका सुयोग्य सचिव श्री वी० पी० मनन की कुशल वार्ता के फलस्वरूप 554 रियासतों ने भारत में मिलने का निश्चय किया तथा बाद में सविलयन अनुबंध तथा प्रसविदाआ पर हस्ताक्षर हुए। जसा कि सरदार पटेल ने सविधान सभा में वक्तव्य देते हुए कहा था कि प्रिवीपस एवं विधेपाधिकार तो शासका के सत्ता त्याग एवं अपनी रियासतों को भारत में मिलाने की क्षतिपूर्ति रूप में दिये गए हैं। सविलयन विषयक समस्त समझौते दो स्वतंत्र एवं सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्याँ भारत अधिराज्य एवं भारतीय रियासत— में हुए हैं इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भारत सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह समझौते की शर्तों का पूर्णरूपसे पालन करे। यह कसे सम्भव है कि भारत सरकार सविलयन का लाभ तो उठाती रहे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त जाएँ? प्रिवीपस देने एवं विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में भारत सरकार की एकतरफा अस्वीकृति अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपनी प्रतिज्ञा का निन्दनीय उल्लंघन है।

इस विश्वासघात का क्षमा करने के लिए तर्क ही कारण नहीं है। गत बीस वर्षों में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी जिसमें बल पर इस प्रतिज्ञा भंग को उचित ठहराया जा सके। उदाहरण के लिए यदि कोई शासक पण्डित करता पाया जाता या उसकी रियासत का मात्र समर्थन बन्द करने के बाद बनपूर्वक भारत अधिराज्य में मिलाया जाता और भारत सरकार उस विशिष्ट शासक को प्रिवीपस देने से या उसके विशेषाधिकारों को मानने से मना करती तो उसके इस कदम को न्यायसंगत माना जा सकता था। किंतु एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की एकतरफा अस्वीकृति के लिए केवल सत्ताहट दल या राजनीतिज्ञों के नित्य परिवर्तित पक्षों और नीतियों का पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं का मूल्य बाजार के टुकड़ों से अधिक नहीं है।

सविलयन प्रालेख और सविलयन अनुबन्ध अथवा प्रसविदा परस्पर सूत्रबद्ध है और ये एक ही ऐतिहासिक एव सांविधानिक प्रसंग के सोपान हैं। इनका पृथक्-पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है अपितु ये तो एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। इसलिए, सविलयन प्रालेख और प्रिचीपर्स एव विशेषाधिकारों की गारण्टी देने वाले सविलयन अनुबन्ध या प्रसविदा को पृथक् करना सम्भव नहीं है।

यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि दो सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते से सम्बन्धित किसी विवाद के उठ खड़े होने पर केवल उस सन्धि की धाराओं का अध्ययन-विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है अपितु उस सन्धि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सन्धि के समय हुई वार्ताएँ, विचार-विमर्श, वाद-विवाद एव घोषणाएँ आदि भी महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही इस सन्धि विशेष की ऐतिहासिक श्रृंखला से सम्बन्धित पुराने कागजात भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। ऑपेनहेम के ग्रन्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून' (8वाँ संस्करण) से निम्नलिखित अवतरण महत्त्वपूर्ण है

“यदि सन्धि की किसी धारा का अर्थ आमक है तो उस सम्पूर्ण सन्धि पर विचार करना चाहिए। ऐसा करते समय सन्धि के केवल शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना है बल्कि उसके उद्देश्य तथा उसके किये जाने के समय की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए।” —पृष्ठ 953

“अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों में सुसंस्थापित नियम है कि किसी सन्धि की विवादास्पद धारा की व्याख्या करते समय वे अपने सामने सन्धि के होने में पहले की वार्ताओं का रिकार्ड, तत्सम्बन्धी समितियों की बैठकों की वातचीत तथा सन्धि के अन्तिम प्रारूप तक पहुँचने के पहले के प्रारूप आदि को रख लेते हैं तथा उनका अध्ययन-विश्लेषण करते हैं।”

—पृष्ठ 957

‘सन्धि होने के पूर्व उससे सम्बन्धित जितनी वातचीत हुई है, जितना भी विचार-विमर्श हुआ है तथा जितना भी प्रचार हुआ है, उस सब का रिकार्ड इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है।’

—पृष्ठ 958

प्रदेश (भू क्षेत्र) के स्वत्व-त्याग से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुच्छेद भी इसी ग्रंथ में सुलभ है :

“स्वत्व-त्याग का लक्ष्य है किसी ऐसे प्रदेश पर प्रभुत्व पाना जो अब तक किसी अन्य राज्य की सीमा में था। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में

यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि भारतीय रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थीं और यह उनको इच्छा पर निर्भर करता था कि वे भारत या पाकिस्तान, किसी एक अधिराज्य में मिल जाएँ अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखें। सत्य यह है कि शुरू में कुछ रियासतों ने स्वतंत्र रहने का इच्छा भी प्रकट की थी। किन्तु सरदार वल्लभभाई पटेल और उनका सुयोग्य सचिव था वी० पी० मनन का कुशल वातावरण फलस्वरूप 554 रियासतों ने भारत में मिलने का निश्चय किया तथा बाद में सचिबलय अनुबंधों तथा प्रसविदाओं पर हस्ताक्षर हुए। जसा कि सरदार पटेल ने संविधान सभा में वक्तव्य दत्त हुए कहा था कि प्रिवी पस एवं विधायक अधिकार तो शासक के सत्ता त्याग एवं अपनी रियासतों को भारत में मिलाने की शक्ति पूर्ण रूप से लिये गए हैं। सचिबलय विषयक समस्त समझौते दाखिल न एवं सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्यो भारत अधिराज्य एवं भारतीय रियासतों में हुए हैं, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भारत सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह समझौते की शर्तों का पूर्णतः पालन करे। यह कसे सम्भव है कि भारत सरकार सचिबलय का लाभ तो उठाती रहे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त जाएँ? प्रिवी पस देने एवं विधायक अधिकारों के सम्बंध में भारत सरकार की एकतरफा अस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में अपनी प्रतिज्ञा का निःसंशय उल्लंघन है।

इस विश्वासघात का क्षमा करने के लिए तनिक सा भी कारण नहीं है। गत बीस वर्षों में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी जिसमें बन पर इस प्रतिज्ञा का उचित ठहराया जा सका। उदाहरण के लिए यदि कोई शासक पद पर वरता पाया जाता या उसकी रियासत का मात्र सम व्यवहार करने के बाद बनपूर्वक भारत अधिराज्य में मिलाया जाता और भारत सरकार उस विधिगत शासक को प्रिवी पस देने से या उसके विधायक अधिकारों को मान्यता में मना करती तो उसके इस कृत्य को 'पापमग्न माना जा सकता था। किन्तु एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की एकतरफा अस्वीकृति के लिए केवल सत्ताह्वय दल या राजनीतिज्ञों के नित्य परिवर्तित पक्षों और नीतियों का परोक्ष नही माना जा सकता। यदि ऐसा होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं का मूल्य बाजार के टुकड़ों से अधिक नहीं है।

सविलयन प्रालेख और सविलयन अनुबन्ध अथवा प्रसविदा परस्पर सूत्रबद्ध है और ये एक ही ऐतिहासिक एव सांविधानिक प्रसंग के सोपान हैं। इनका पृथक्-पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है अपितु ये तो एक ही शृंखला की कड़ियाँ हैं। इसलिए, सविलयन प्रालेख और प्रिवीपर्स एव विशेषाधिकारों की गारण्टी देने वाले सविलयन अनुबन्ध या प्रसविदा को पृथक् करना सम्भव नहीं है।

यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि दो सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते से सम्बन्धित किसी विवाद के उठ खड़े होने पर केवल उस सन्धि की धाराओं का अध्ययन-विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है अपितु उस सन्धि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सन्धि के समय हुई वार्ताएँ, विचार-विमर्श, वाद-विवाद एव घोषणाएँ आदि भी महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही इस सन्धि विशेष की ऐतिहासिक शृंखला से सम्बन्धित पुराने कागजात भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। ऑपेनहेम के ग्रन्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून' (8वाँ संस्करण) से निम्नलिखित अवतरण महत्त्वपूर्ण है।

“यदि सन्धि की किसी धारा का अर्थ आमक है तो उस सम्पूर्ण सन्धि पर विचार करना चाहिए। ऐसा करते समय सन्धि के केवल शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना है बल्कि उसके उद्देश्य तथा उसके किये जाने के समय की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए।” —पृष्ठ 953

“अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिव्यूनलो में सुसस्थापित नियम है कि किसी सन्धि की विवादास्पद धारा की व्याख्या करते समय वे अपने मामले सन्धि के होने में पहले की वार्ताओं का रिकार्ड, तत्सम्बन्धी समितियों की बैठकों की वातचीत तथा सन्धि के अन्तिम प्रारूप तक पहुँचने के पहले के प्रारूप आदि को रख लेते हैं तथा उनका अध्ययन-विश्लेषण करते हैं।”

—पृष्ठ 957

‘सन्धि होने के पूर्व उससे सम्बन्धित जितनी वातचीत हुई है, जितना भी विचार-विमर्श हुआ है तथा जितना भी प्रचार हुआ है, उस सब का रिकार्ड इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है।’

—पृष्ठ 958

प्रदेश (भू क्षेत्र) के स्वत्व-त्याग से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुच्छेद भी इसी ग्रंथ में सुलभ है :

“स्वत्व-त्याग का लक्ष्य है किसी ऐसे प्रदेश पर प्रभुत्व पाना जो अब तक किसी अन्य राज्य की सीमा में था। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का

सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र व किसी प्रदेश व स्वत्वत्याग का अधिकार है, और यदि वह चाहे तो उसे दूसरे राज्य में पूर्णरूपण विलय हो जाने का भी अधिकार है।" —पृष्ठ 548

स्वत्व त्याग को प्रभावोत्पादक बनाने का एक ही रूप है कि अपरावर्तित राज्य एक अनिग्राही राज्य व बीच एक संधि हो जिसमें यह समझौता लिखित हो। यह संधि गांतिपूर्ण धार्ता का पत्र भी हो सकती है और युद्ध का भी तथा स्वत्व त्याग क्षतिपूर्ति व बदल में भी हो सकता है और बिना क्षतिपूर्ति व भी। —पृष्ठ 548

वर्तमान प्रसंग में भारतीय रियासतों का स्वत्व त्याग की क्षतिपूर्ति प्रिवी पर्सों के रूप में की गई। क्या एक सरकार को जितने एक मुनिश्चित क्षतिपूर्ति की गारण्टी देकर दूसरी सरकार को प्रदेश का स्वत्व-त्याग को प्राप्त किया है यह कहने का अधिकार है कि अब वह अपने वचन का पालन करना नहीं चाहती ?

संविधान की धारा 291 जिस पर पिछले अध्याय में विचार किया गया है, प्रिवी पर्स प्राप्त करने का शासका का अधिकार का पूर्ववर्ती मानता है। दूसरे शब्दों में प्रिवी पर्स न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से ही सगत है अपितु उक्त सांविधानिक गारण्टी भी प्राप्त है। इसी प्रकार, शासका का व्यक्तिगत अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को भी संविधान की धारा 362 में मान्यता दी गई है तथा सविलयन अनुबंधों या प्रसविकाओं में उनकी गारण्टी की गई है इसलिए बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किंवा उनको भी समाप्त नहीं किया जा सकता।

यदि भारत सरकार शासकों को दिये गए अपने वचन को भंग करता है और भारतीय विधायक इस वचन को रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं तो इस बात में तो कोई शका है ही नहीं कि भारत सरकार का यह प्रचिन भंग करना सांविधानिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में तो अनुचित एवं अयोग्य है ही।

संविधान की धारा 51 में उल्लिखित राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों में एक यह है 'सुव्यवस्थित लोग के साथ व्यवहार करत हुए राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं की गई संधि की शर्तों का सम्मान करेगा।' प्रिवी पर्स समाप्त करने का उद्देश्य देने वाला को मान्य यह धारा भंग गई है।

ध्यान देने की बात यह है कि लोकतन्त्र भारत का 47 प्रतिशत क्षेत्रफल भारतीय रियासतों की देन है। साथ ही यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ रियासतों—कश्मीर, कच्छ, त्रिपुरा—की सीमा भारत के सीमान्त काम करती है। कश्मीर एवं कच्छ के रण के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद पर भारत के पक्ष में केवल यही तर्क है कि इन दोनों रियासतों के शासकों ने सविलयन प्रालेख पर हस्ताक्षर करके भारत में अपनी रियासतों का सविलयन स्वीकार किया है और कच्छ के शासक ने सविलयन अनुवन्ध पर भी हस्ताक्षर किये हैं। एक ओर तो भारत की क्षेत्रीय अखण्डता केवल सविलयन प्रालेखों एवं अनुवन्धों या प्रसवदाओं पर निर्भर करती है और भारत सरकार उनका इस दृष्टि से सम्पूर्ण लाभ उठाती है; दूसरी ओर उन्हीं अनुवन्धों या प्रसवदाओं को एकतरफा खत्म करना चाहती है। इस प्रकार के सन्धि-उल्लंघन से सीमा-पार ताक में लगे हमारे शत्रुओं को हमारे विरुद्ध प्रचार-सामग्री मिलती है और वे आज की विपन्न परिस्थिति में हमारे लिए अनेक नयी समस्याएँ खड़ी कर सकते हैं।

नैतिक पक्ष

यद्यपि, भारतीय रियासतों और उनके शासकों के विषय में, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गये मंत्रि—मंडलीय गिफ्ट मंडल के 12 मई 1946 के घोषित ज्ञापन से लेकर 3 जुलाई 1968 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आन्तरिक मामलों की समिति के निर्णय तक का इतिहास निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार नरेशों की शांति प्रियता का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। फिर भी एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है—क्या भारत सरकार का यह पग केवल कानून की दृष्टि से ही अनुचित है या इसका कोई नैतिक मूल्य भी है ?

वास्तव में किसी भी कानून का व्यय समाज का नैतिक स्तर बनाये रखना ही होता है—समाज का कोई अंग (व्यक्ति या समूह) किसी दूसरे अंग के अधिकारों का हनन न कर सके। समाज कुछ विशेष नियमों का पालन करता हुआ एक अनुशासन में चलता रहे

हमारी सविधान सभा न भी नरघा व प्रिधा पम एव विगपाधिकारा का उनका अधिकार माना है इसीलिए उसका धारा 291, 362 व 363 को सबधानिक रूप देकर उन अधिकारों को सुरक्षित किया है।

सरकार भी समाज का एक अंग ही होती है सविधान में केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों पर यह अक्षुण्ण लगाया गया है कि वे गामको को उन अधिकारों से वंचित न कर सकें।

कानून की व्यवस्था तो उन लोगों के लिये होती है जो नतिकता का मूल्य नहीं जानते। हमारी संस्कृति में वचन देकर उसका पालन करना नतिकता का अभिन्न अंग है। इस विषय में हम अपने देश के साधारण से साधारण एवं अधिक्षिप्त 'यत्तियो तक' में इस प्रकार की वार्ताएँ नित्य सुनते हैं —

'भय्या' जबान से तो बेटा बेटा पराये हुद जात हैं मैन जबान दई है तो मैं अपने घर में नाहि हारंगो।

यह है आत्स हमारे जीवन दर्शन का हमारी संस्कृति का।

इसी निये हमारी सविधान सभा भारतीय सविधान का प्राप्ति तयार करत समय इस नतिकता में अनुप्राणित थी जिसका सभा के मन्त्रीय सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में स्पष्ट भी किया है —

स्वाधीनता मिलने के समय जो व्यक्ति सरकारी सेवा में पहले से ही थे उन सरकारी कर्मचारियों को जाग्वासन देने के लिए सविधान सभा के सभी सदस्यों ने एक एक करके खड़े होकर इस बात पर अपनी सहमति प्रकट की कि 'हमारे नेताओं द्वारा दी गई' गारण्टियों को राष्ट्र हर कीमत पर पूरा करे। (देखिए सविधान सभा की बहस 10 अक्टूबर 1949 भाग 10 सरया 3, पृष्ठ 38)

डॉक्टर पी० एम० देशमुख का तो भारतीय संस्कृति और उनकी परम्पराओं पर इतना अगाध विश्वास था कि उन्होंने सविधान में किसी प्रकार की गारंटी को लिखना ही यथ समभवत हुए कहा —

यदि गारण्टी है यदि हमने वचन दिया है, तो हमारा वह वचन ही न केवल पौर-अधिसेवा एवं अन्य प्रतिश्रुत सेवाओं के लिए अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए पयाप्त है। यदि हम अपने वचन का मूल्य नहीं जानते तब उसे सविधान की धारा के रूप में लिखने से न राष्ट्र को कोई लाभ है और न पौर अधिसेवा को।' (वही पृष्ठ 40)

भारतीय परम्परा में दिये गए वचनों का कितना बड़ा नैतिक मूल्य है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है ?

इसी विषय पर उसी दिन 10 अक्टूबर 1949 को सविधान सभा में श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद ने कहा, "उस राष्ट्र का जो प्राणमूलक सिद्धान्तों को भूल चुका है, जो अपने दिये वचन को पूरा नहीं करता, राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम कि भारत की भावी ससद में किस प्रकार के लोग आएंगे। किसी अतिवाद के जोश में या किसी पराकाष्ठावादी विचार धारा की वेदी पर, वे इन व्यवस्थाओं को ममाप्त कर देना चाहे जिन्हें कि हमने इस सविधान की धाराओं में बाँधा है। हमारे नेताओं ने कुछ वायदे किए हैं। हम उनका समर्थन करते हैं। हम प्रभुत्व-सम्पन्न हैं, भावी ससद नहीं। कार्याग, न्यायाग अथवा ससद के विवेक पर हम अकुश लगा सकते हैं। यही वह उद्देश्य है जिसके लिए हम सविधान का प्राख्य तैयार कर रहे हैं।"

"सदन को सर्वसम्मति से इस धारा (प्रतिश्रुत अधिकारियों की सेवा-विषयक विशिष्ट शर्तों की गारण्टी) का समर्थन करना चाहिए जिससे विदेशों में पता लगे कि हम अपने वचन का पालन करते हैं। यह तो केवल पहला कदम है — न मालूम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में हमें कितने वायदे करने पड़ेंगे। हमारा एक गलत कदम हमें विनाश के कगार पर पहुँचा देगा।"

—वही, पृष्ठ 45

कितने सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया है कि दिये गए वचनों का पालन करना किमी भी राष्ट्र का मूल सिद्धांत तो होना ही चाहिए किन्तु राजनैतिक दृष्टिकोण में भी उसका कितना महत्व है !

सविधान सभा और ससद के अधिकारों में क्या अन्तर है ? और सविधान का उद्देश्य क्या है ? यानी केवल सविधान सभा ही सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न थी, ससद प्रभुत्व-सम्पन्न नहीं है। सविधान सभा को अधिकार था कि वह भावी ससद पर जो चाहे सो अकुश लगा सके। क्योंकि ससद को शक्ति या अधिकार देने वाला तो सविधान सभा द्वारा बनाया गया सविधान ही है।

प्रतिश्रुत सेवाओं को अतीत में जो गारण्टियाँ दी गई थी, उनके सम्बन्ध में उन्नी दिन मरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा

"क्या आपने उम इतिहास को पढ़ा है ? या स्वयं इतिहास बनाना शुरू करने के बाद आग उम इतिहास की परवाह नहीं करते। यदि आप का

इ वार वर दें जिनमे हमारी जिम्मेदारी का उल्लेख हो। विश्व का नतिक भाग नष्टन करने की महत्वाकांक्षा रखने वाल हम सागा की अपने विषय म यह नही कहलवाना चाहिए कि हमे कीमत तो हर धाज की पता है किंतु मूल्य किसी का नहीं पता।”

— भारतीय रियासता व एकीकरण की कहानी पृष्ठ 467

इसम सदेह नही भारतीय नरेशो के इन त्यागा का राष्ट्र सदैव ऋणी रहगा। यदि सविधान की धारा 363 या अन्य धारायें नरेशो का पक्ष निबल भी बना व तब भी राष्ट्र व नेताजी द्वारा नरेशो को दिये गये वचनो एव आश्वासनो को पूरा करना नतिक रूप स तो हमारा कर्तव्य है ही अत राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी इसका बडा महत्व है—हमे ससार को यह बता देना है, हम वस्तु की कीमत पर ध्यान न देकर उसक मूल्य का सम्मान करते है।

रियासतो के भारत म सविलयन के समय नरेशो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामन सुषाव रखा था कि सविलयन अनुव धा को समुक्त राष्ट्रसघ म रजिस्टर करा लिया जाय ताकि काला तर मै भारत इनका उल्लयन न कर सके। उत्तर मे सरदार पटेल न ध्यगात्मक स्वर म कहा था कि गोरी चमडी (ज प्रेजो) के ग न पर तो उहोने दो सौ वष तक विश्वास किया कि तु अपनी चमडी (भारतीयो) के गणो पर उहे शुरु मे ही अविश्वास होने लगा। नरेशो ने सरदार को बात मान ली और समुक्त राष्ट्र सघ मे अनुबन्धा के रजिस्टर कराने का विचार त्याग दिया।

नरेशो की आशका निमूल नही थी, किंतु सरदार का विश्वास सही नही रहा—गोरी चमडी वाने विदेशिया ने तो नरेशो के साथ अपने वचनो का पालन अत समय तब करक नतिकता की रक्षा की। किंतु काली चमडी वाल अपने ही भाई व धु व्यवितगत राग द्वेष की भावना से द्रस्त केवन 20 वष बाद ही नतिकता का ठुकरा कर विश्वासघात करने पर तुल रह है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काली गोरी चमडी की इस तुलना का प्रभाव केवल भारतवासियो के विरुद्ध ही नही, समूचे अफ्रीका व एशिया, दाना महा द्वीपों के निवासियो, के विरुद्ध पड़ेगा।

17 अक्टूबर 1949 के दिन सविधान को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद

मारे वयोवृद्ध नेता आचार्य जे० बी० कृपलानी ने सविधान सभा में अपने
 इद्गार प्रगट किये जो सदैव स्मरण रखने योग्य हैं :—

“मैं चाहता हूँ कि सदन इस बात का ध्यान रखे कि हमने जो कुछ
 यहाँ प्रतिपादित किया है, वे केवल कानूनी, साविधानिक तथा औप-
 चारिक सिद्धांत ही नहीं हैं बल्कि नैतिक सिद्धान्त हैं और जीवन नैतिक
 सिद्धान्तों के बल पर आगे बढ़ता है। जीवन में नैतिक सिद्धान्त अनिवार्य
 है चाहे वह जीवन व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, वाणिज्यिक हो, राज-
 नीतिक हो अथवा प्रशासक का हो। उनको तो पूर्णरूपेण जीवन में
 घटाना पड़ता है। यदि हम सविधान की सफलता चाहते हैं तो हमें इन
 बातों को याद रखना होगा।”

सविधान सभा की वहस, भाग 10, सख्या 10, पृष्ठ 454

हमारे राष्ट्रीय नेता के इन शब्दों में केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि
 विश्व की सभी सरकारों एवं सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक सदेश है —

कोई भी समाज बिना नैतिक सिद्धान्तों के स्वस्थ नहीं रह सकता।
 नैतिकता का संचार तो समाजरूपी शरीर के अंग-अंग में रक्त की भाँति होते
 रहना चाहिये। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में रक्त का संचालन रुक
 जाने से वह अंग कार्यशील नहीं रहता। इसी प्रकार समाज के जिस भाग में
 नैतिक सिद्धान्तों की अवहेलना की जायेगी, उमी भाग की व्यवस्था शिथिल
 पड़ जायेगी।

राज्य व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो ? उममें सरकार एवं कानून की
 आवश्यकता नैतिक सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए ही होती है।

समाज रूगी शरीर में शासक वर्ग मस्तिष्क सरकार हृदय एवं कानून
 रक्त वाहिनी नाडिया हैं। हृदय का कार्य तो दूषित रक्त को शुद्ध करके उसे
 शरीर में प्रवाहित करना है। यदि शरीर के राजा मस्तिष्क के किसी कार्य
 के कारण, हृदय से ही दूषित रक्त प्रवाहित होने लगे तो शरीर का क्या
 होगा ? एवं स्वयं मस्तिष्क की क्या दशा बनेगी ?

सविधान सभा, जिसके प्रति राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता श्रद्धावान थी, जो
 सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न थी, जिसने अतीत एवं वर्तमान के आधार पर देश के
 उत्थान के लिए सविधान का प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप में
 संसद की सीमायें निर्धारित की गई हैं। उसी सभा के प्रमुख सदस्यों के

संस्था में सविधान की आत्मा प्रतिबिम्बित हो रही है—सविधान द्वारा दी गई गारंटियाँ का पूरा कराना—राष्ट्रीय नताभ्रा द्वारा नियमित आस्वागता एवं सपना का पालन करना—उनके विपरीत जाना नसक सिद्धांतों का सत्ता घोटना एवं सत्ता का दुर्गुणयोग है जो देश के समाज के लिए हानिकारक होगा।

नरेशों के शिवायकों एवं रिगपापिहारा का समाप्त करने का विचार है, नसक दृष्टि में एक वि. कामपात है हमारा सत्त्वृति एवं सविधान की आत्मा के विरुद्ध है। इसमें हमारे राष्ट्रीय गौरव का ता. डेम पञ्चमी ही उन स्वर्गीय नताभ्रा का आत्मा का जो दुःख होगा जि. हान इन मूल नरेशों का मौन मौन के आ. कामन लिए थ।

हमारी परम्पराएँ

प्राण और वचन

महाराजा दशरथ ने अपना प्रिय रानी कर्कई को दो बरदान देने का वचन दिया। कर्कई ने एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को बनवास मागा तो महाराज दशरथ प्रिय पुत्र राम से 14 वर्षों के विषाण की कल्पना माग्न स. हा. कौप उठे उ. होने कौध में भरकर कर्कई को बहुत बुरा मला तक कह डाला। तब कर्कई ने यश्व करते हुये कहा था—ता महाराज आप अपने वचना से फिर जाण्य।

इसी यश्व के उत्तर में दशरथ जी ने अपने बचन की रीति बतलाई थी—

‘रघुकुल रीति सदा धलि आई। प्राण जाहुँ यह बचनु न जाई ॥’

दशरथ अपने वचना से नहीं फिरे और उन्होंने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। किंतु राम ने केवल अपने पिता के वचनों का ही पालन नहीं किया बल्कि इस परम्परा को अपने जीवन एवं व्यवहार में इस सीमा तक डाला था कि उन्होंने राजनीति में भी उसको सबसे अधिक महत्त्व दिया।

जब उन्होंने विभीषण को लका का राजा बना देने का वचन दिया तो जामवन्त ने शका करते हुए राम से प्रश्न किया, “महाराज! यदि किसी कारण वश रावण भी आपकी शरण में आ गया तो आपके इन वचनों का क्या होगा ?”

राम ने बड़े सहज स्वभाव से उत्तर दिया “लका का राजा तो विभीषण ही होगा। रावण को मैं अयोध्या का राज दे दूँगा।”

“और आप ?”

“मैं अपना सारा जीवन इसी तरह जगलो में व्यतीत कर दूँगा।”

यह थी वचनों को पालन करने की हमारी परिपाटी और भावना।

सबसे अधिक मार्मिक स्थल लक्ष्मण शक्ति के समय का है—लक्ष्मण के प्राण वचन जाने की आशा धूमिल हो चली है, उस समय राम करुण विलाप करते हुए कहते हैं :—

“हे लक्ष्मण ! सीता रावण की कैद में है, अयोध्या में भरत व माताएं हम लोगों के वियोग में दुःखी हैं, अयोध्या वासी भी अपने को अनाथ समझ रहे हैं। इस घोर विपत्ति में भी तू मुझे अकेला छोड़ कर जा रहा है। किन्तु इन सब दुखों : से अधिक दुःख तो मुझे इस बात का है— हमने विभीषण को लका का राजा बना देने का वचन दिया है, वह तेरे बिना पूरा हो सकेगा, इसमें मुझे सन्देह है।”

लक्ष्मण जैसे प्रिय भाई की मृत्यु के गाल में जाते हुए देखकर भी राम को दिए हुए वचनों का कितना ध्यान है ? उन्हें पूरा करने की कितनी लगन है ? उन्हें भाई की मृत्यु से भी अधिक वचन पूरा न हो पाने का दुःख है।

राम के इस चरित्र में हमारी सस्कृति हमारी परम्पराएँ, हमारे पूर्वजों के चरित्र एवं उनके वचन पालन की झलक है। हमारी सामाजिक मर्यादा का दिग्दर्शन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए तो बापू ने भारत में राम राज्य लाने की कल्पना की थी।

इसी प्रकार महाभारत काल में राजनीतिज्ञों में शिरोमणि भगवान् कृष्ण के चरित्र में भी हम यही बात पाते हैं—उनका राजनैतिक जीवन सार्वजनिक हितों से भरा हुआ था। यद्यपि उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कूटनीति को भी अपनाया था किन्तु दिये गए वचनों की पावन परम्परा को कभी भंग नहीं होने दिया। अपने बड़े भाई बलराम व कौरवों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह युद्ध में पाण्डवों को केवल अपनी राय देंगे, कौरवों के व. शस्त्र नहीं उठावेंगे।

युद्ध में ऐसे अनरवा अस्तर आय, जब श्रीकृष्ण के लिए भीरवों का विरुद्ध गस्त्र ग्रहण करना अनिवार्य सा ही था कि तु उहान अपना वचन नहा तोडा । यहां तक कि उनका सोलह वर्षीय भात्रे अभिमन्यु को सात महारथियों से निहत्था करने योगे से मार डाला, फिर भी वह शांत ही रह ।

एक बार अवश्य ही भीष्म पितामह द्वारा पाण्डवों की सेना का बुरी तरह हनन किये जान पर उहान का म भरकर रथ का पहिया उठा लिया । भीष्म पितामह, श्रीकृष्ण की इस सामय से भनी भांति परिचित था कि वह रथ के पहिय का ही चक्र के रूप में प्रयाग करके भीरवा की सेना का बहुत सहार कर सकते थे । पितामह न दौड़ कर कृष्ण को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और कृष्ण ने रथ का पहिया भूमि पर फेंक दिया ।

इस घटना का द्वारा था कृष्ण ने एक सदेश दिया है—युद्ध जस स्थल पर भी यदि किसी जात में आकर मनुष्य अपने दिये हुए वचन का भंग करने के लिए तत्पर हो उठे तो भी उन वचनों की याद चाहे मनु द्वारा ही क्या न दिलाई जाए, उसे अपना वचन भंग नहीं करना चाहिए ।

वचन निभाने की बात हमारे देश की केवल पौराणिक गाथायें ही नहीं हैं बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं । सिकंदर के आक्रमण से लेकर वर्तमान काल तक का हमारा इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा पडा है जब हमने बड़ी बड़ी हानियां उठाकर भी दिए गए वचन का पालन किया है ।

सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप की देश भक्ति और धय में प्रभावित होकर एक शाही फरमान निकाला था— 'महाराणा प्रताप की सेना युद्ध में एक बार जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेगी, उस क्षेत्र पर शाही सेना फिर दूसरी बार आक्रमण नहीं करेगी ।'

सम्राट ने इस वचन का पूरी तरह पालन किया । भले ही महाराणा प्रताप अपने जीवन में मेवाड़ विजय न कर सके किंतु जितने क्षेत्र पर उहोंने अधिकार किया था वह उनका व उनके वंशों का स्वतंत्र राज्य समया गया ।

कच्छ के रत के विषय में कच्छ ट्रिबूनल' के फमले के अनुसार पाकिस्तान का जब भूमि देने का प्रश्न उठा तो विरोधी दलों ने उसका डटकर विरोध किया । इस विरोध का उत्तर देते हुए हमारे उपप्रधान मंत्री मन्मथ प्रसाद मुरारजी देसाई ने भी यही कहा था —

“रघुकुल रीति सदा चर आई ।

प्राण जाहें वह वचन न जाई ।’

हमने 'ट्रूनुल' का फ़ैपला मानने का वचन दिया है, इसलिए हमे उमके अनुसार काम करना ही चाहिए। कांग्रेस दल के सदस्यो ने हर्षध्वनि करके उसका समर्थन किया।

विभाजन के समय हमारा देश विकट आर्थिक संकट से ग्रस्त था, शरणा-र्थियो की समस्या भयानक रूप से मुँह वाये सामने खडी थी। किन्तु विभाजन के समझौते के अनुसार हमे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना था। भारतीय नेता इस रुपये की देनदारी को टालना चाहते थे। किन्तु महात्मा गान्धी ने यह रुपया पाकिस्तान को दिलवाया। उनका कहना था, "शत्रु को भी दिए गए वचनो को भंग करना कभी भी और किसी भी दशा मे उचित नही है।"

कैसी विडम्बना है ? शत्रु को तो भूमि और रुपया देने के लिए हम दिए गए वचनो का पालन करना अपना कर्तव्य और सांस्कृतिक परम्परा मानते है। किन्तु जिन नरेशो ने अपने राज्यों का पाँच लाख वर्ग मील का क्षेत्र सहज ही मे राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उन्हें दिए गए वचनो की हम अवहेलना करना चाहते है ?

विश्वास

प्राण देकर भी वचनो का पालन करना तो हमोरी सांस्कृतिक परम्परा है ही। किन्तु एक पक्षीय विश्वास को पूरा करना भी हमारे चरित्र की एक विशेषता रही है।

विभीषण राम की शरण में इस विश्वास को लेकर आया था कि राम उसे अपना सरक्षण अवश्य प्रदान करेगे। यह विभीषण का राम के प्रति एक पक्षीय विश्वास ही तो था। केवल वचन देकर उसे निमाने की नीति मे तो राम उसे अपनी शरण मे लेने के लिए बाध्य नही थे। किन्तु हमारे यहाँ शरणागत की रक्षा करना भी वचन—पालन के समान ही नैतिक एव पवित्र कर्तव्य माना गया है। इसीलिए श्री राम ने, यह जानते हुए भी कि विभीषण उनके शत्रु रावण का छोटा भाई था, न केवल सस्नेह उगको अपना सरक्षण प्रदान किया अपितु उसे लका का राजा भी घोषित कर दिया।

इंद्र ने माचक के रूप में कण से उनके कवच और कुंडल मागे। इन दो वस्तुओं के कारण ही कण अजेय था। किंतु इंद्र भी एक पत्नीय विश्वास लेकर कण के पास गए थे। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि कवच व कुंडल दे देने से मेरी मृत्यु अवश्यम्भावी है वे दोनों वस्तुएँ इंद्र को दे दीं।

सत्यवाणी हरिश्चंद्र की कथा जिससे महात्मा गांधी अपने बचपन में ही बहुत प्रभावित हो चुके थे कौन नहीं जानता ?

चंद्र टर सूरज टर, टर जगत व्यवहार।

पट्ट हरिश्चंद्र की टर न सत्य विचार ॥

राजस्थान का ता इतिहास ही बचनो एवं प्रतिभाओं का इतिहास है। आगा और विश्वास का लहर रक्षा सूत्रा का गाथा-या स भरा पडा है यदि किसी नारी ने किसी के पास राखी का एक डोरा भेज कर अपनी रक्षा की मांग कर लाता राखी प्राप्त करवा वाला उस नारी के आगा एवं विश्वास के कारण उसकी रक्षा के बंधन में बंध गया। मल ही उसने अपने इस मुह बोली बहिन की सुरत भी न देखी ही उससे परिचित भी न हा किंतु उस तो बहिन की रक्षा में अपना तन मन, धन सब कुछ दौव पर लगा हा दना होता था।

भारत की इस परम्परा का केवल हिन्दुओं ने ही नहीं मुसलमानों ने भी निभाया। इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना रानी कणवती और हुमायूँ का है। रानी कणवती हुमायूँ के पिता बाबर के गुरु राणा सांगा की पत्नी थी। किंतु हुमायूँ ने रानी कणवती की राखी पाकर गुजरात के नवाब से मवाड की रक्षा की। इस प्रकार राखी के एक डोरे ने धार्मिक कट्टरता व पुराणी गुरुता के बंधन को तोड़ कर दा गुरुओं को भाई-बहिन बना दिया।

यदि ध्यात पूर्वक दया जाये तो भारतीय रिवाजों का सन्निवृत्त की घटना इन घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय नेताओं ने समस्त भारतीय जनता की आर में एक आगा एवं विश्वास लेकर नरेगा न उनके राज्या एवं अधिकारों की रक्षा का। भारतीय संस्कृति के उपासक व सरल नरेगा न स्वयं का मानवीय रूप की परम्परा में रखन हुए इस मांग का स्वीकार करके अपना सब कुछ त्याग कर दिया।

या० वा० पी० मनन के द्वारा न 'जमा कि मरणा ने स्वाकार दिया या कि शासक सांग अनुभव के अनुसार करना कर्णिय पुरा कर कुछ अदा

उन्होंने तो अपनी रियासते एव शासन सत्ता भारत सरकार को सौंप दी । इस समय उनके पास मोल भाव करने की कोई ताकत नहीं बची है ।”

इतिहास की यह अपूर्व घटना है जब कि देने वाले ने [मांगने वाले पर विश्वास करके अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दिया हो । किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने भी नरेशों के विश्वास को टूटने नहीं दिया, उन्होंने नरेशों से वात-चीत करके उनकी इच्छानुसार ही उनके प्रिवीपर्सों की घन राशि को निश्चित करके उनके विशेषाधिकारों को भी सुरक्षित रखा ।

श्री० वी० पी० मेनन ने आगे कहा है, “यदि ऋण दाता निर्बल हो जाये तो ऋणी को यह शोभा नहीं देता कि वह ऋण चुकाने से इन्कार कर दे ।”

राष्ट्र, नरेशों की राष्ट्रीय भावना एव उनके त्यागों का ऋणी है, अपने त्यागों के कारण ही तो वे आज इतने निर्बल हो गए हैं कि भारत सरकार उनके विरुद्ध अपनी मन मानी करने पर उतारू हो रही है ।

यदि सरकार प्रिवी पर्सों एव विशेषाधिकारों को समाप्त करने की अन्याय पूर्ण नीति में सफल हो गई तो इस से हमारे पुराणों की गौरव गाथाएँ एव वे ऐतिहासिक घटनाएँ, जिन पर हमें गर्व है, फीकी पड़ जायेगी ।

क्योंकि अपना आचरण ही यदि अपनी सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल न हो तो केवल पूर्वजों के सत्कार्यों पर गर्व करना भी कोई महत्त्व नहीं रखता ।

भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री अशोक सेन ने उचित ही कहा है कि इस घटना का प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा । क्या हमारी भावी पीढ़ियाँ हमारे ऊपर उसी तरह गर्व कर सकेंगी, जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों पर करते हैं ?

जब वे इतिहास में यह पढ़ेंगी की हमने अपने पूज्य नेताओं द्वारा दिये गये वचनों एव आश्वासनों को भग करके अन्याय पूर्ण कार्य किया था तो उनका मस्तक लज्जा से झुक जायेगा ।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कहा था, “यदि राणा सांगा और मेरे बीच में मेवाड़ की गद्दी पर और कोई राजा न हुआ होता तो आज मेवाड़ पराधीन न होता ।”

हमारी भावी पीढ़ियाँ यदि गाँधी के आदर्शों पर चलने वाली हुईं, उनमें नैतिक बल हुआ तो वे भी कहेगी, “मले ही हमारा देश नौ सौ वर्ष परतन्त्र

इंद्र ने माचक के हथ म कर्ण से उनका कवच लीर कु डल मागे । इन दो वस्तुओं के कारण हो कण अजय थ । किंतु इंद्र भी एक पत्नीय विश्वास लेकर कण के पास गए थे । कण ने यह जानते हुए भी कि कवच व कु डल द हन से मरी मृत्यु अवश्यम्भावी है व दोनों वस्तुएँ इंद्र को दे दी ।

मत्स्यवादी हरिश्चंद्र की कथा जिससे महात्मा गांधी अपने कवचन म ही बहुत प्रभावित हा चुके थे, कौन नहीं जानता ?

चंद्र टर मूरज टर, टर जगन यवहार ।

ये हउ हरिश्चंद्र को टर न सत्य विचार ॥

राजस्थान का ता इतिहास ही कचना एव प्रतिभाभा का इतिहास है । आगा और विश्वास को लेकर रक्षा भूना की गाथाभा स मरा पडा है । यदि किसी नारी न किसी के पास राखी का एक डोरा भेज कर अपना रणा की याग कर ली ता राखी प्राप्त करने वाला उम नारी के आगा एव विश्वास के कारण उसकी रक्षा के कथन म बध गया । मने ही उसने अपनी इन मुह बोधी बहिन की मूरत भी न देखी हा । उससे परिचित भी न हा, किंतु उम तो बहिन की रक्षा म अपना तन मन धन सब कुछ दौव पर लगा हा दना हाता था ।

भारत की इस परम्परा का कवल हिन्दुआ नै ही नगी मुसलमाना न भी निभाया । इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना रानी कणवती और हुमायू की है । रानी कणवती हुमायू के पिता बाबर के सत्रु, राणा सहा की पत्नी थी । किंतु हुमायू ने रानी कणवती की राखी पाकर गुजरात के नबाब स मवाड की रक्षा की । इस प्रकार राखी के एक डोरे न पारिभक कट्टरता व पुराना सत्रुता के कथन का तोड कर दा गनुआ को माई-बहिन बना दिया ।

यदि ध्यान पूवक दया जाये ता भारतीय रिषामता के मकिनयन की घटना न घटनाभा से भा अधिक महत्वपुन है ।

राष्ट्रीय भेषाभा ने मममन भारतीय जनता का भार न एक आगा एक विश्वास सहर नरेगा म उनक राज्या एक अधिपरा की याचना का । भारतीय मस्तिष्क के उपासक व मरणा नरेगा न स्वयं का मानशा कण को परम्परा म रगत हुए हम मांगे का स्वाकार करके अपना सब कुछ राष्ट्र को अर्पण कर दिया ।

धा० धी० धी० मनन के लया म जमा रि मरणा ने स्वीकार किया वा रि लानक सग अनुभव के अनुसर माना कर्णिय पुरा कर कुछ अर्पण

उन्होंने तो अपनी रियासते एव शासन सत्ता भारत सरकार को सौंप दी । इस समय उनके पास मोल भाव करने की कोई ताकत नहीं बची है ।”

इतिहास की यह अपूर्व घटना है जब कि देने वाले ने [मागने वाले पर विश्वास करके अपना सब कुछ उसके हाथों में दे दिया हो । किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने भी नरेशों के विश्वास को टूटने नहीं दिया, उन्होंने नरेशों से बातचीत करके उनकी इच्छानुसार ही उनके प्रिवीपर्सों की घन राशि को निश्चित करके उनके विशेषाधिकारों को भी सुरक्षित रखा ।

श्री० वी० पी० मेनन ने आगे कहा है, “यदि ऋण दाता निर्बल हो जाये तो ऋणी को यह शोभा नहीं देता कि वह ऋण चुकाने से इन्कार कर दे ।”

राष्ट्र, नरेशों की राष्ट्रीय भावना एव उनके त्यागों का ऋणी है, अपने त्यागों के कारण ही तो वे आज इतने निर्बल हो गए हैं कि भारत सरकार उनके विरुद्ध अपनी मन मानी करने पर उतारू हो रही है ।

यदि सरकार प्रिवी पर्सों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने की अन्याय पूर्ण नीति में सफल हो गई तो इस से हमारे पुराणों की गौरव गाथाएँ एव वे ऐतिहासिक घटनाएँ, जिन पर हमें गर्व है, फीकी पड़ जायेगी ।

क्योंकि अपना आचरण ही यदि अपनी सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल न हो तो केवल पूर्वजों के सत्कार्यों पर गर्व करना भी कोई महत्व नहीं रखता ।

भूतपूर्व विधि मन्त्री श्री अशोक सेन ने उचित ही कहा है कि इस घटना का प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा । क्या हमारी भावी पीढ़ियाँ हमारे ऊपर उसी तरह गर्व कर सकेंगी, जिस तरह आज हम अपने पूर्वजों पर करते हैं ?

जब वे इतिहास में यह पढ़ेंगी की हमने अपने पूज्य नेताओं द्वारा दिये गये वचनों एव आश्वासनों को भग करके अन्याय पूर्ण कार्य किया था तो उनका मस्तक लज्जा से झुक जायेगा ।

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कहा था, “यदि राणा सांगा और मेरे बीच में मेवाड़ की गद्दी पर और कोई राजा न हुआ होता तो आज मेवाड़ पराधीन न होता ।”

हमारी भावी पीढ़ियाँ यदि गाँधी के आदर्शों पर चलने वाली हुईं, उनमें नैतिक बल हुआ तो वे भी कहेगी, “भले ही हमारा देश नौ सौ वर्ष परतन्त्र

रहा था किन्तु हमारी नतिकता का स्तर कभी नहीं गिरने पाया। यदि पड़ित नेहरू और सरदार पटेल की पीढ़ी व हमारी पीढ़ी के बीच में, पड़ित नेहरू के बाद वाली पीढ़ी न हुई होती, तो आज हमारे बचन पर किसी का सन्देह करने का साहस न होता।"

नरेशा व साथ किये गये समझौते को भंग करना पीढ़ी दर पीढ़ी व लिए राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है।

राजनैतिक

हमारी सोमाएँ

क्षत्रपत के विचार से हैराबाद व कश्मीर सब से बड़ी रियासतें थीं। अथ 552 रियासतों व भारतीय मध्य व विलानी कारण व उपरान्त में इन दोनों रियासतों ने अपना अस्तित्व स्वयं ही बनाये रखा। हैराबाद भारत व विरुद्ध चुपक चुपक कार्य कर रहा था। किन्तु जम्मू व कश्मीर की स्थिति कुछ दूसरी थी, इसका धारा और रूस, चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान व भारत की सीमाएँ इस परे हुए थीं। पाकिस्तान का रियासत की स्वतन्त्रता का अनुचित लाभ उठाने का अवसर हाथ आ गया उगन बबर कबालिया की उकता कर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया।

हिज हार्दिक महाराजा हरीसिंह ने अपनी जनता को पाकिस्तान व लानागही सामन से बचाने के लिए अपनी रियासत जम्मू व कश्मीर का भारत मध्य व अलग कर दिया। जिन 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार और महाराजा कश्मीर के बीच में एक समझौता हुआ जिसका अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य एक प्रान्त के रूप में भारत में विभक्त हो गया। भारत की सेवा का अपने इस प्रान्त की रक्षा के लिए सर्वप्रधानी मता ग पार संघ हुआ और पाकिस्तान की मता पीछे सके दी गई।

इसी बीच अंग्रेजी कूटनीति के हम फिर शिकार हो गए। भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड माउन्ट बैटन ने प्रयत्न करके दोनो देशो के बीच युद्ध विराम की घोषणा करा दी। जिस देश की सेनाएं जहाँ तक पहुँच सकी थी, वही युद्ध विराम की सीमा निर्धारित कर दी गई।

इस प्रकार हमारे इस सुन्दर प्रदेश के एक तिहाई भाग पर जिसमे गिलगित्त का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, पाकिस्तान ने अपना अनैतिक रूप से अधिकार जमा रखा है। किन्तु कश्मीर के शासक महाराजा हरीसिंह ने अपना राज्य भारत सरकार को समर्पित किया है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर का जो भाग हमारे पास है, वह तो हमारा है ही, किन्तु पाक-अधिकृत एक तिहाई भाग पर भी हमारा नैतिक व कानूनी अधिकार है।

भारतीय नरेशो के साथ हुए अनुबन्ध एव प्रसविदाये समाप्त किए जाने पर जम्मू कश्मीर नरेश के साथ हुए अनुबन्ध एव प्रसविदाए भी समाप्त हो जायेगी तब सयुक्त राष्ट्र मे भारत और पाकिस्तान के बीच मे चल रहे विवाद पर हमारा पक्ष भी निर्बल पड जायेगा। यह समझ मे नही आता कि सरकार नरेशो के 'प्रिवी पर्सो' एव विशेषाधिकारो को समाप्त करने के अनैतिक कार्य करने की वजाय जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष श्रेणी प्रदान करने वाली सविधान की धारा 370 को समाप्त क्यों नही करती ?

सिक्कम के शासक महाराजा चोग्याल ने जब भारत सरकार से भारत और सिक्कम के बीच हुई सन्धि पर नये सिरे से पुन. विचार करने का आग्रह किया तो भारत सरकार ने उसे टाल दिया। निस्सन्देह सन्धि की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सरकार का यह कदम उचित ही था किन्तु भारतीय नरेशो के साथ वचन भंग किये जाने का वहाँ के शासक एव जनता पर घुरा प्रभाव पडना अनिवार्य ही है, उन्हे अपने साथ हुई सन्धि पर भी शका होने लगेगी जो हमारे लिए किसी प्रकार भी हितकर नही है।

कच्छ और त्रिपुरा की सीमान्त रियासतो के विषय मे पहले ही लिखा जा चुका है। लका से भी कच्चा तिवू, जो हमारी एक भूत पूर्व रियासत का ही एक भाग है, के सम्बन्ध मे विवाद ही है। इन सभी विवाद ग्रस्त क्षेत्रो की क्षेत्रीय अखडता, हमारे पक्ष मे, इन क्षेत्रो के नरेशो के साथ हुए सविलियन प्रालेखो, अनुबन्धो एव प्रसविदाओ पर ही निर्भर करती है।

इसके अतिरिक्त जिन विदेशियो की पूँजी विनियोग मे लगी हुई है, भारत सरकार ने उन्हे आश्वासन दिया है—वे अपना लाभ अपने देश भेज सकते हैं तथा जब उनकी इच्छा हो वे अपनी पूँजी वापस ले जा सकते हैं।

क्या उन्हें सरकार के आश्वासनों पर भरोसा रह जाएगा ? क्या विदेशी सरकारें अपने कर्णों को सुनाए जाने के लिए हमारा विश्वास करेंगी ?

इसी तरह उन सरकारी 'बॉर्डो' के भुगतानों पर से भी जनता का विश्वास उठ जाएगा, जिस पर सरकार ने भविष्य में रुपया देना या दते रहने का यकन दे रखा है । क्या माथूम इस सरकार के बॉर्डो का भुगतान देने के लिए दूसरी सरकार मना कर दे ? क्या इसका उदारतापूर्वक वर्तमान सरकार पर नहीं होगा, जो नरेशों के प्रिवीपस बन्त करके इस अनतिवृत्ता का माग खोलने जा रही है ?

नरेशों की लोकप्रियता

नरेश और चुनाव

चुनाव लोकतन्त्र का मूलाधार होते हैं और किसी भी विजयी प्रत्याशी की लोक-प्रियता का परिचायक कहे जा सकते हैं। किन्तु उल्टे-सीधे हथकण्डो और 'स्टटो' के बल पर सफलता पा लेने को ही लोक-प्रियता की सजा नहीं दी जा सकती। लोक-प्रियता तो वह है, चुनाव 'स्टटो' और भारी चुनाव प्रचारों के बिना ही प्रत्याशी स्वयं तो हजारों-लाखों मतों से विजयी हो ही जाये किन्तु जिस किसी दूसरे प्रत्याशी की ओर अपने समर्थन का संकेत भर कर दे, विजय श्री उसी के गले में माला पहिना दे।

एक समय था जब भारत में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दूसरा राजनैतिक दल नहीं था, उन दिनों गांधी और नेहरू की लोक-प्रियता के बल पर मत वटोर कर, सम्पूर्ण कांग्रेस दल की लोक प्रियता का ढिंढोरा पीटा जाता था। कुछ तो सकुचित मनोवृत्ति के लोग यहाँ तक दम्भ भरते पाये गये कि यदि कांग्रेस किसी वन्दर को भी खड़ा कर दे तो वह भी चुनाव में जीत जाएगा।

'भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार ब्रिटिश भारतीय जनता को प्रान्तीय स्वराज्य का अधिकार दिये जाने पर भारत में सब से पहला चुनाव 1937 में हुआ था।

इस चुनाव में मत देने के दो तरीके व्यवहार में लाये गये थे — एक तो पढ़े लिखे लोग मत पत्र पर प्रत्याशी के नाम के आगे चिन्ह लगा कर मतदान पेट्टी में डाल देते थे। दूसरा मतदाता से पूछ कर चुनाव अफसर स्वयं मत पत्र पर उसके बतलाये प्रत्याशी के नाम के सम्मुख चिन्ह लगा देते थे। जब मत-

दाता से पूछा जाता था कि वह किस अपना मत देना चाहता है ? तो कांग्रेस प्रत्याशी व समयन करने वाला मे से अधिकांश क उत्तर थे - गांधी बाबा को जवाहरलाल नेहरू को भारत माता को, तिरये झंडे को । स्पष्ट है, मतदाता प्रत्याशा से या उसके नाम तक से परिचित नहीं था । कांग्रेस ने भी ब्रिटिश सरकार से यह सय कर लिया था—क्योंकि देश में यह पहला चुनाव है मत दाता, मतदान से परिचित नहीं है, इसलिये कोई भा सकेत जो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जाता हो सही माना जाये और मत धारिज न किया जाये । यद्यपि इस चुनाव में अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस की ही विजय हुई, 11 प्रांता में कांग्रेस मलि मडल बना । और यह विजय केवल गांधी और जवाहरलाल की लोक प्रियता की ही विजय थी । फिर भी कांग्रेस को कई स्थानों पर उल्टे-सोप हथकड़ा और 'स्टा' का सहारा लेना पडा । उत्तर प्रदेश के एटा धन से लीडर पत्र व सम्पादक श्री० सी० वाई० चिन्तामणि जो उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में गिना सदस्य (गिना मंत्री) रह चुके थे, जिन्हें अवागड़ व राजा साहब सूरपाल सिंह (उत्तर प्रदेश के एक बम्ब बडे जमींदार) का पूरा समर्थन प्राप्त था केवल इन हथकड़ी और स्ट । के कारण ही उन सामान्य कांग्रेसी प्रत्याशी से पराजित हो गये थे ।

स्वतंत्रता प्राप्ति और रियासतों के भारतीय मध्य में मंत्रियन हो जाने के बाद भारतीय नरेशों ने चुनाव धन में उत्तरदा आरम्भ करके लोक प्रियता का एक दूसरा नमूना प्रस्तुत कर दिया । दूसरा नमूना हमलिये कहेंगे कि नरेश न तो महारत्ना गांधी व श्री जवाहर लाल नेहरू की मानि नता हा थे और न उहाने प्रत्येक रूप में कोई जन सेवा का ही काय किया था और राज्य व अपने छोड ही चुके थे । इसलिये उनकी लोकप्रियता का अधिकांश श्रेय उनकी वनानुगत प्रतिष्ठा एवं सम्मान को ही दा जा सकती है । व चुनाव में जिस प्रत्याशी के विरुद्ध छडे हुये हजारों लाला मता न उहाने विजय प्राप्त की । उनकी विजय किसी राजनतिक दल व कारण नहीं थी बल्कि व किस दल की आर म छडे हुये उम दल को उनमें गति मिली ।

सन् 1962 के आम चुनावों में नरसिंह मड़ (मध्य प्रदेश) व महाराष्ट्र जो इस समय कांग्रेस दल से एम० पी० और केंद्रीय सरकार में कामगार हैं, एम० पी० व एम० एम० ए० (दोना ही स्थानों के लिये) के चुनाव क लिये छडे हुये थे और दोनों ही स्थानों पर बम्ब बडे बहुमत में विजयी हुए । उन्होंने एम० एम० ए० के पक्ष से त्याग पत्र दे दिया । मध्य प्रदेश के मुख्य

मन्त्री डाक्टर कैलाश नाथ काटजू जो अपने घर के क्षेत्र में ही इस चुनाव में पराजित हो चुके थे, उन्हें महाराजा नरसिंह गढ ने अपने स्थान जओरा क्षेत्र से पुनः खड़ा करके अपना समर्थन दिया। डाक्टर काटजू एक बार भी जओरा क्षेत्र में नहीं गये, किन्तु यह महाराजा साहब की ही लोकप्रियता थी कि उनके सकेत मात्र से ही वह चुन लिये गये।

पिछले आम चुनाव में गुजरात में, ध्रांगध्रा नरेश जो लोक सभा की सदस्यता के लिये स्वतन्त्र दल की ओरसे खड़े हुए कांग्रेस द्वारा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विरोध करने पर भी जनता ने अपने भूतपूर्व महाराजा के इस निर्णय का हृदय से स्वागत किया। महाराजा साहब के प्रभाव से चकित होकर कांग्रेस पत्र फूलछाव के सम्पादक ने उनसे साक्षात्कार प्राप्त करके प्रश्न किया, “भूतपूर्व देशी रियासतो की जनता अब भी इतनी पिछड़ी हुई और अन्ध-विश्वासी क्यों है, कि वह अपने राजाओ-महाराजाओ के प्रति ऐसी श्रद्धा रखती है ?

महाराजा साहब ने कहा, “मैं इस बात का उत्तर तब ही दूंगा, जबकि तुम यह वचन दो कि मेरे उत्तर को अपने पत्र में तदनुरूप प्रकाशित करोगे।”

सवाददाता ने उत्तर प्रकाशित करने का वचन दिया।

ध्रांगध्रा नरेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, “देशी रियासतो की जनता अपने राजा-महाराजाओ के द्वारा किए गए अत्याचारों की चक्की में सैकड़ों वर्ष तक पिसती रही, असुविधाओं को धैर्यपूर्वक सहन करती रही। उसके बाद रियासतो के भारत में सविलयन हो जाने पर वर्तमान शासन ने उसे स्वतन्त्रता दी, सुविधाये दी, प्यार दिया, किन्तु इन पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा दिये गये प्यार, सुविधाओं व स्वतन्त्रता से यह भगा गई है, अतएव उस अन्याय व अत्याचार को याद करके वह हमारा रयागत कर रही है।”

सवाददाता महोदय इस व्यगात्मक उत्तर और दृग्गामी सचाई का अनुभव करके दग रह गये, उन्होंने महाराजा साहब के इस उत्तर को अपने पत्र में प्रकाशित भी किया।

ध्रांगध्रा नरेश चुनाव में लाखों मतो से विजयी हुये। उसके बाद एक उप चुनाव में महाराजा साहब ने भूतपूर्व सचिव श्री एच० एम० पटेल का कांग्रेस प्रत्याशी के विरुद्ध समर्थन किया, कांग्रेस की पूरी शक्ति लग जाने के बावजूद भी श्री पटेल 18000 मतो से चुनाव जीते।

टिहरी गढ़वाल के हिज हार्नस मले ही कांग्रेस दल की ओर से लोक सभा के सभ्य है किन्तु जनता में उनकी अपनी लोक प्रियता है। बीवानेर के हिज हार्नस महाराजा कर्णोसिंह के विषय में कुमारी मणि बेन पटेल का राज्य सभा में दिया गया वक्तव्य उनकी लोक प्रियता बताने के लिये क्या पर्याप्त नहीं है। ग्वालियर की राजमाता महारानी विजय राजे मिथिया के जयपुर की महारानी गायत्री देवी की लोकप्रियता से कौन परिचित नहीं है ?

महाराजा छतरपुर को मैंने बहुत समीप से देखा है। महाराजा होने का उनमें कोई गव नहा, रहन सहन बहुत सादा तथा बातचीत का ढंग बड़ा मधुर व आकर्षक है। राजनीति से दूर रहते हुए भी हर एक से मिलते हैं उसके दुःख दद को सहानुभूति पूर्वक सुनते हैं और यथा शक्ति सहायता करने को भी तत्पर रहते हैं। जनता के हृदय में उनका प्रति थड़ा और सम्मान किसी भय के कारण नहीं बल्कि उनका गुणों के कारण है। बहुधा लोगो को यह कहत सुना जाता है 'हमारे महाराजा तो सत है।'

इन राजाओं महाराजाओं व महारानियों की लोक प्रियता मले हा महारत्ना गांधी और पंडित नेहरू के समान अग्नि भारतीय स्तर की न हा किन्तु अपन अपने क्षेत्र में य लोकप्रियता के सूय हैं वहाँ उनके सामने किसी राजनतिक दल के बड़े बड़े सिंगज तक टिक नहीं सकते।

नरेशों का प्रभाव

गत तीसरे के मुस्लिम काल और दो तीसरे के अथवा सामन में रह कर भी भारतीय नरेशों ने अपने नियमों रीति रिवाजों व परम्पराओं को निभान हुए भारतीय सभ्यता को अशुण बनाय रखा है। लयाका प्रभाव उनकी जनता पर भी भरपूर रहा है।—यही कारण है—अंगरेजिमन त्रिन्ती ब्रिटिश भारत में पनपा व फना, उनका यह सिद्धान्तों में भरना प्रभाव न जमा सकी। यह भारतीय नरेशों की राष्ट्र का बहुत बड़ी दन है।

अस ही कुछ नरेशों में व्यक्तिगत दाव रह हो किन्तु उनके सामन काल में जनता को सहाई भुषमरी, बेकारी और भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पडा। यदि आज इनदूव दला रा दो की जनता से पूछा जाता है तो

अधिकांश लोग यही कहते पाये जाते हैं," अब से तो हम लोग अपने राजाओं के समय में अधिक सुखी थे। राजाओं ने रियासत छोड़ कर अच्छा नहीं किया।"

फिर भी नरेशों ने अपनी दुर्बलताओं पर कभी पर्दा नहीं डाला। अच्छाइयों और गुणों के ढोल नहीं पीटवाये, प्रचार नहीं कराया।

इधर कांग्रेस के शासन में नारे तो भारतीयता के लगाये जा रहे हैं। किन्तु प्रसार अग्रेजियत का हो रहा है। स्वयं कांग्रेसी नेताओं का लिबास भले ही खादी और भारतीयता का है, किन्तु रहन-सहन, आचार-विचार, यहाँ तक कि बहुत सो का तो खान पान भी विशुद्ध अंग्रेजी ढंग का हो गया है।

अब स्वतन्त्र भारत में अग्रेजियत, अंग्रेजों के समय से कहीं अधिक फैल चुकी है, और फैलती जा रही है। भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है।

जहाँ तक व्यक्तिगत दोषों का प्रश्न है, जिन दोषों की नरेशों में केवल कल्पना मात्र ही की जा सकती थी, वे सारे दोष बहुत से नेताओं में भरपूर पाये जा रहे हैं। उनका जनता पर बड़ा दुःप्रभाव पड़ा है—वह समझ रही है—यदि बीस वर्ष की सत्ता का मद्दतना अधिक हो सकता है कि सत्तारूढ़ि व्यक्ति अपने दुर्गुणों को अपना अधिकार समझने लगे, तो जिनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी से सत्ता थी, यदि उन नरेशों में कुछ व्यक्तिगत दोष थे भी तो अनहोनी बात क्या थी ?

सच तो यह है, नरेशों और जनता के बीच में एक मजबूत कड़ी है जो एक दूसरे से सम्बन्ध तो बनाये हुए हैं किन्तु न तो जनता ही उस कड़ी की भावना को समझ रही है और न नरेशों ने ही कभी इस ओर ध्यान दिया है। दोनों ही यह समझ रहे हैं—वे उसके भूतपूर्व नरेश हैं और वह उनकी भूतपूर्व प्रजा है। उन पुराने सम्बन्धों की जान तो निकल गई, केवल मुर्दा शेष रह गया है।

कांग्रेस भी यह समझ रही है कि वह प्रिवीपर्स और विरोधाधिकारों की समाप्ति के रूप में मुर्दों को दफना कर इस रही सही कड़ी को भी समाप्त कर सकती है।

इस में सन्देह भी नहीं, इस कड़ी का बाहरी रूप तो यही है, किन्तु इस मुर्दों में अभी प्राण शेष है, इसकी आत्मा अभी मरी नहीं केवल सोई हुई है। मुर्दों को दफना कर भी आत्मा नहीं दफनाई जा सकेगी।

सही रूप में दृग् बन्दी का आरम्भ या दृग् का भावार्थमक रूप यह है— जनता का बचपन बचिस ही नहीं, बिसी भी राजनतिक दल पर भरोसा नहा है, उसे वर्तमान नेतागिरी से डर लग गया है। इसलिये वह अपने भूतपूर्व नरेशों से पय प्रसन्नता को आगा करती है। यहा कारण है नरेश चुनाव में त्रिम प्रयागी का समर्थन करत हैं यदुपा यही विजयी हो जाता है।

पय प्रसन्नता को ही दूसरे शब्दों में नेतृत्व कहत है। दृग् प्रकार नरेश जनता का नेतृत्व करत हुए भा नरेश गिरी का जामा नहीं पहिनत और जनता उन्हें अपना नेता समझत हुए भी, नेता नाम से नहीं मानती।



बापू

बापू और समाजवाद

जिस समाजवादी समाज के नाम पर हमारी सरकार, नैतिक सिद्धांतों के विपरीत, प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने का वहाना ले रही है, उसी के विषय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार भी यहाँ दे देना अप्रसंगिक न होगा।

बापू से एक बार प्रश्न किया गया—“काँग्रेस समाजवादी दल ने काँग्रेस के लिये जो कार्यक्रम पेश किया है, उसके बारे में आपकी सामान्य टीका क्या है ?”

बापू का उत्तर था —

“वह मानव स्वभाव में अविश्वास प्रकट करता है। उसकी सारी भूमिका ही गलत है।”

13 जुलाई मन् 1947 के हरिजन में बापू ने—“समाजवादी कौन ?” नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था। लेख काफी बड़ा है इस लिए इसकी कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें ही यहाँ लिखी गई हैं.—

“समाजवाद एक मुन्दर शब्द है और जहाँ तक मुझे मान्य है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं।”

इसी बात को कुछ उदाहरण दे कर, अधिक स्पष्ट करके उन्होंने आगे लिखा है :—

“इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं रह

सहा रूप में दृग बन्दी की आत्मा या दृग का भाषात्मक रूप यह है— जनता को बचाने की ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है, उसे वर्तमान नेतागिरी से दूर रखा गया है। इसलिए वह अपने भूतपूर्व नरेशों से पक्ष प्रशस्ति को आगे बढ़ाती है। यही कारण है नरेश चुनाव में जिग प्रशस्ति का सम्मान करते हैं यद्यपि यही विजयी हो जाता है।

पक्ष प्रशस्ति की ही दूसरे दलों में पैदाय कहते हैं। इस प्रकार नरेश जनता का अनुभव करने में नया गारा का जामा नहीं पहिनते और जनता उन्हें अपना नेता सम्भवतः हुए भी, नेता नाम से नहीं मानती।



बापू

बापू और समाजवाद

जिस समाजवादी समाज के नाम पर हमारी सरकार, नैतिक सिद्धांतों के विपरीत, प्रिवीपसों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने का वहाना ले रही है, उसी के विषय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार भी यहाँ दे देना अप्रसंगिक न होगा।

बापू से एक बार प्रश्न किया गया—“काँग्रेस समाजवादी दल ने काँग्रेस के लिये जो कार्यक्रम पेश किया है, उसके बारे में आपकी सामान्य टीका क्या है ?”

बापू का उत्तर था —

“वह मानव स्वभाव में अविश्वास प्रगट करता है। उसकी सारी भूमिका ही गलत है।”

13 जुलाई सन् 1947 के हरिजन में बापू ने—“समाजवादी कौन ?” नामक शीर्षक से एक लेख लिखा था। लेख काफी बड़ा है इस लिए इस की कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें ही यहाँ लिखी गई हैं :—

“समाजवाद एक सुन्दर गद्द है और जहाँ तक मुझे मालूम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं।”

इसी बात को कुछ उदाहरण दे कर, अधिक स्पष्ट करके उन्होंने आगे लिखा है —

“इस अवस्था तक पहुँचने के लिए हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं रह

सकते। जब तक सारे लोग समाजवाद न बन जायें तब तक हम कोई हल चल न करें। जीवन में कोई फेर फार न करके मायण दत रहें और बाज पत्नी की तरह जहाँ गिकार मिल जाये वहाँ उस पर झपट पड। यह समाज वाद नहीं है। समाजवाद जसी शान्तर चीज झपट मारने में हम से दूर जाने वाली है।)

(समाज वाद आरम्भ करने के विषय में उनके विचार)

समाजवाद पहले समाजवादी में शुरू होता है। यदि आरम्भ करने वाला स्वयं ही शूय हा ना परिणाम भी शय ही होगा।"

(समाज वाद क्या है और कस आये ? इस विषय में उनके विचार)

'यह समाजवाद स्फटिक की तरह शुद्ध है। इस लिये मिद्ध करने के साधन भी शद्ध होने चाहिए। अशुद्ध साधनों में प्राप्त होने वाला माध्य भी अशुद्ध ही होता है। इसलिये राजा का मिर काट टालने से राजा और प्रजा बराबर नहीं हो जायगे। और न मालिक का मिर काटने से मालिक और मजदूर बराबर हो जायगे। हम असत्य से सत्य का प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य आचरण द्वारा ही सत्य का प्राप्त किया जा सकता है।

अंत में उन्होंने लिखा है —

"सत्य परायण, अहिंसक और गुड ह्यूम समाजवादी ही भारत और ससार में समाजवादी समाज स्थापित कर सकेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ ससार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो गुड समाजवादी हो उपरोक्त मायना के बिना ऐसे समाज का अस्तित्व में आना अभम्भव है।

बापू के इस अमर से देश में समाजवादी लाने वालों के लिए एक चुनौती है—यदि उन्होंने समाजवादी को अपने जीवन में डाल कर सत्यपरायण अहिंसक और गुड ह्यूम से नरंगी क सामने प्रिथी पनों एन विरोधाधिकारों का समाप्त करने का विचार रखा हाता ता वे अवश्य इस पर विचार करते। किन्तु यह तो बाज पत्नी की तरह गिकार पर झपट मारने जमा बात है जो हम समाजवादी से दूर ल जान वाली है।

बापू और नरेश

सन् 1933 का सविन्य कानून भंग आन्दोलन, महात्मा गांधी द्वारा, स्थगित किये जाने के बाद कांग्रेस में समाजवादी दल का उदय हुआ। कुछ नेताओं ने महात्मा जी से समाजवाद के विषय में विभिन्न प्रश्न किये। उनमें से एक प्रश्न था .—

“भारत के राजा—महाराजाओं के शासन का अन्त करने की समाजवादी दल की जो माँग है, उसके बारे में आपकी क्या राय है ?”

महात्मा जी ने उत्तर दिया था, “मिथ्यान्त की दृष्टि से मैं राजार्थों महाराजाओं के शासन का अन्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विश्वास हमें यह है कि लोकतन्त्र की सच्ची भावना के अनुसार उनके शासन में सुधार किया जाये।”

श्री जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के पास समाजवाद के विषय में एक प्रस्ताव का मसविदा बना कर, रामगढ़ में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति के मामले रखने के लिए भेजा था, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, राजा-महाराजाओं को समाप्त करने की भी बात कही गई थी। उस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुये, भारतीय नरेशों के विषय में महात्मा जी ने कहा था .—

“मैं राजाओं सम्बन्धी उनकी सूचना का समर्थन नहीं करता। कानून की दृष्टि से वे स्वतन्त्र हैं। यह सच है, उनकी स्वतन्त्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं है, क्योंकि एक प्रबल शक्ति उनका संरक्षण करती है, लेकिन वे अपनी स्वतन्त्रता का दावा कर सकते हैं जबकि हम नहीं कर सकते। श्री जयप्रकाश की प्रस्तावित सूचनाओं में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार अगर अहिंसात्मक साधनों द्वारा हम स्वतन्त्र हो जायें, तो उस हालत में, मैं ऐसी कोई समझौते की कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें राजा लोग अपने को खुद ही मिटाने के लिए तैयार होंगे।

समझौता किसी भी प्रकार का क्यों न हो, राष्ट्र को उसका पूरा-पूरा पालन करना ही होगा। इसलिये मैं तो सिर्फ ऐसे समझौते की कल्पना कर सकता हूँ, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें अपने दर्जे को कायम रखेंगी। एक तरह से वह चीज आज की स्थिति से बढ़कर होगी, लेकिन दूसरी दृष्टि में राजाओं की सत्ता इतनी सीमित रह जायेगी कि देशी रियासतों की प्रजा को अपनी रियासतों में स्वायत्त शासन के वे हैं

अधिकार प्राप्त रहेंगे जो हि दुस्मान के दूमरे हिंसो की जनता को प्राप्त रहेंगे । उनको मापग लखत तथा मुग्ण का स्वतन्त्रता और गुड पाप प्राप्त रहेगा ।

भायद श्री जयप्रकाश का यह विश्वास नही है कि राजा लोग स्वच्छा स अपनी निरकुसरा को त्याग लेंगे । मुझे यह विश्वास है एक तो इसलिये कि वे भी हमारी ही तरह मते आदमा है और दूसरे इसलिये कि मेरा गुड अहिंसा की अमोघ शक्ति म सम्पूर्ण विश्वास है । अत अत म मैं यह कत्ना चात्ना हूँ कि क्या राजा महाराजा और दूसरे लाग समा सच्चे और अतुल्य बन जायेंगे ? तब हम गुद अपने प्रति—यदि हम म थदा है—और राष्ट्र के प्रति सच्चे बनेंगे । अघक्चरी थदा स ल प कभी प्राप्त नही किया जा सकता । अहिंसा का आरम्भ और अत आत्म निरीक्षण म होता है ।'

पूज्य बापू क प्रात्म विश्वास क अनुसार राजा महाराजाआ ने तो, समय आने पर, स्वच्छा से कवन निरकुसरा का ही नही अपनी सत्ता का भा त्याग कर दिया । अब तो राष्ट्र का ही यह कर्त्तव्य रह जाता है कि वह राष्ट्रपिता की आत्मा राष्ट्रीय नेताओं क वचना एव नतिफ दुष्टि बाण क अनुसार समझौत का परा पूरा पानन करे ।

विशेष रूप स जब कि हम 2 अक्तूबर 1968 मे मारे विश्व म अपने पूज्य राष्ट्रपिता की जय गताली मनाने जा रहे है —क्या राष्ट्र उस महामानव क वचना का धरनना करे उस का अतना म की थदाजति अर्पित कर सकेगा? क्या हम विश्वास म यत् कहुवाना चाटन, जिग गांधी क मिडानो की ओर विश्व का जनमन आट्टन दारन विश्व गाति का आगा कर रना है उसा गाँजा का भारत गांधी क वचना की जवना कर रना है ?

प्रस्ताव की प्रतिक्रिया

समाचार पत्र और नरेश

हमारे देश के समाचार पत्रों ने भी नरेशों के प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों के विषय में पर्याप्त रुचि ली है। कुछ प्रमुख पत्रों के मत बहुत सक्षिप्त रूप में निम्न हैं :—

—द हिन्दुस्तान टाइम्स नई-दिल्ली

जून 26, 1967

प्रिवीपर्स नरेशों के राज्यों का एकीकरण निर्विघ्न बनाने और भारतीय संघ में एक रूपता का जडाव करने के लिये कांग्रेस सरकार द्वारा किये गए पवित्र समझौते का अंग है। जो मूल्य चुकाने का समझौता हुआ था, वह उस पूरे होने वाले कार्य के महत्व की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिसे मरदार पटेल ने पूरी तरह से समझा था।

— — —

—द मेल, मद्रास

जून 26, 1967

कोई सरकार अपनी पवित्रता को हानि पहुँचाये बिना जनता के किसी भी भाग के साथ अपना वचन भंग नहीं कर सकती। दल की चुनाव मन्थनी दलितों के लिये बलिदान के बकरे प्राप्त करने का प्रयत्न उन्हें स्वयं पीटे-ट्टा देगा। सरकार ने किसी को जो कुछ देने का समझौता दिया है, उसे उनसे दन्त कर देने से कांग्रेस का समाजवाद मिट्ट नहीं होता और भ्रमपूर्व नरेशों

के प्रिवीपर्सों एव विगपाधिकारो के उन्मूलन से कांग्रेस को एक भी अतिरिक्त मत (वोट) का लाभ नहीं होगा।

—द इंडियन नेशन, पटना

जून 26, 1967

आज प्रिवीपर्स समाप्त किये जा रहे हैं। बल को सरकारों को इस ओर प्रमाण पत्र (सर्टीफिकेट्स) में जमा धन भी जन हो जायेगा। क्या रुपये का अवमूल्यन 'पाकिट मारो' नहीं थी? किन्तु जनता क्या कर सके? सरकार को यह अब भी सिद्ध करना है कि यह जनता के हित में किया गया था। साम्यवादी उचित परिणाम के लिए उचित मांग गृहण करने का बहाना नहीं करते। किन्तु कांग्रेस तो राजनीति में नतिवता का आवश्यकता पर बल देती रही है। यदि कांग्रेस अपने बचन का पालन नहीं कर सकती तो नतिवता कहाँ रही? तब कांग्रेस और साम्यवादी दल में अंतर ही क्या रहा?

—द लीडर इलाहाबाद

जून 29 1967

क्या किसी सदन के लिये नरेगा के प्रिवीपर्सों सम्बन्धी धाराओं में परिवर्तन करना जमा कि भविष्य में होने जा रहा है सम्भव होगा? सत्य तो यह है जो कांग्रेस का मानना पड़ेगा—कई राज्या में यह बहुमत प्राप्त करने में असफल रही है क्योंकि मत दाताओं का बहुत बड़े भाग ने उमक शासन का अयोग्य और भ्रष्ट समना। लोग खाना, मुरगा और कपड़े उचित मूल्य पर चाहते हैं। मुख्य समस्या है जिस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए।

—द मेल, मद्रास

जुलाई 16 1967

मिस्टर फक अचानी ने लोक सभा में सदन किया है उद्धान कहा "भूदान और सिक्कम की रियासतों का स्थिति उन रियासतों के समान ही है, जिन्होंने सविलयन पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। यदि हम एक बात में निराप कर लें, हम हमारे मामला में उन्हें पता लेंगे। जबतक यही दो रियासतें नहीं हैं

जो कि यह शका करेंगी कि भारत सरकार का कहीं तक विश्वास किया जाये? भारत सरकार उधार लेने की आदी है, बहुत से देशों की ऋणी है इस का कोई भरोसा नहीं है कि एक समझौता तोड़ दिया गया है तो दूसरे रखे जायेंगे। नरेशों को दिये जाने वाले तुच्छ धन का, सरकार की प्रतिष्ठा के विचार से कोई मूल्य नहीं है।”

— द हिन्दू, मद्रास

जुलाई 28, 1967

बहुत से कांग्रेसी नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिछले माह की सम्मति को दल का आदेश बतला कर और इसे सरकार पर दबाव देने की पवित्रता का आधार बतला कर, सरकार को इस मामले में निर्णय करने के लिये धकेल से रहे हैं।

घटनाओं का एक विभाजन— जिसमें श्री मोहन धारिया का प्रिवीपर्सों की समिति के लिये सशोधन पास होना बतलाता है कि उस माँग को अधिकार पूर्वक बहुत बड़े लोकमत का सहारा कहना, एक बहुत बड़ी धृष्टता है। सशोधन (श्री० एस० के० पाटिल के अनुसार) चार के विरुद्ध सत्तरह मतों से पास हुआ। जिसका अर्थ है, मतदान में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{1}{3}$ भाग से भी कम लोगों ने भाग लिया।

सविधान की पवित्र धाराओं और पूर्व ऐतिहासिक घटनाओं का, जिनके फलस्वरूप भारतीय सधि में नरेशों की रियासतों का सविलयन हुआ, आदर किये बिना अधिकार पूर्वक यह कहना कि इस तरह का नियम विरुद्ध निर्णय सरकार को बाध्य करता है, (दल के पिछले भाग पर) दल की दुम पर सरकार व मसद को आज्ञा देने का अधिकार प्रतिपादन करता है।

— वीकेन्द रिच्यू, नई दिल्ली

जुलाई 29, 1967

जब सिक्कम के चोग्याल की, भारत—सिक्कम सधि के पुनः सशोधन के लिए बार-बार प्रार्थनाओं का सामना करना पड़ा, भारत ने बहुत उचित रूपसे निवेदन किया कि चोग्याल सधि की धाराओं का सम्मान करते हैं। इस विषय में वह (भारत) विनीत नहीं हुआ। भारत का सिक्कम के प्रति अपने सिद्धांत पर जमे रहना बहुत निर्बल हो जायेगा, यदि उसने पहले के “प्रिसैंज चैम्बर”

के सदस्यों के साथ हुये, समझौते को उनकी स्पष्ट महमति के बिना बदलने का इरादा किया।

—द भेल, मद्रास

जुलाई 31 1967

वास्तव में विधि मंत्रालय का सम्बंध इस विषय में केवल वाचनी दृष्टि कोण से है, उसका नतिकता से कोई सम्बंध नहीं है। किन्तु कोई सरकार बिना गम्भीर हानि दिये हुए, नतिक कृत्यों का त्याग नहीं कर सकती।

—द लीडर, इलाहाबाद

अगस्त 3, 1967

यदि हर समय दिये हुये वचना को लपेटा गया तो राजनीतिज्ञ राज नतिक साधना को नतिक सिद्धांतों से अधिक आवश्यक बना दग और वचना की पवित्रता जिसकी कि निश्चय पूर्वक कल्पना की गई है 'सारभूत नैतिकता' का नाम लिया गया है, किसी प्रकार के भी समझौते का गज के टुकड़ा के अति रिक्त कुछ नहीं रह जायेंगे, जिनको कि वे काम निकल जाने पर फक देंग।

श्री० सी० राजगोपालाचाम

—स्वराज्य, मद्रास

अगस्त 5, 1967

जिस सरकार ने वाणिज्य का अतिरिक्त जमिनिय ग्रहण लिया हा जीर अंतर्राष्ट्रीय नृण के आधीन हो गई हो, वह अपने मुकुट पर से इस जादश वाक्य—सत्यमेव जयते सत्यम्—की वचन एवं काय में, ईमादारी के साथ उपेक्षा नहीं कर सकती।

द कैपीटल, कलकत्ता

अगस्त 10 1967

यह बड़ी मनोरंजक बात है जिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सामने शासका की समस्या है वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कर रहे है। मध्य पदग में कांग्रेस मंत्रिमंडल के क्षय होने के पहले भी, मुख्य मंत्री श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा इसके विरोध में थे। यही बात गुजरात के मुख्य मंत्री श्री हिते द्र दसाई की है। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया को भय है—कि महत्कदम उनके लडखडाते मंत्रिमंडल को वहीं उलट ही न दे। यह स्वीकृत तथ्य है कि कांग्रेस के उच्च-थणी के-नेता

प्रिवीपर्स के उन्मूलन के विषय में उल्टा नहीं थे, वे तो इस घम्की के द्वारा शासको को केवल भुक्ताना चाहते थे। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यह नीति निशाने पर सही नहीं बैठी।

द हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

अगस्त 12, 1967

कांग्रेस की वर्तमान चित्त वृत्ति के अनुसार उसके विषय में वचन और प्रतिज्ञाओं के पालन की बात करना ही व्यर्थ है। यहाँ तक कि श्री चह्वाण भी, जो प्रिवीपर्सों के उन्मूलन का कदम उठा रहे हैं, किसी तरह से घुमा फिरा कर यह स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने शासको से वायदा किया है जो कानूनी और नैतिक रूप से सही है। किन्तु उनका तर्क यह है कि कांग्रेस ने विशाल जनता से भी तो वायदा किया है जिसकी सख्या राजाओं से दस लाख गुनी है।

यह सही है। किन्तु जनता से किया गया वायदा क्या है? श्री चह्वाण ने यह नहीं स्पष्ट किया, किन्तु इस विषय में उनके मस्तिष्क में जो बात स्पष्ट है वह यह है, कि कांग्रेस ने उस जनता के जीवन स्तर को कुछ सरल बनाने का वायदा किया है, जो कि कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन में अब तक गरीबी की चक्की में पिसती हुई कराह रही है। गणना के अनुसार वास्तव में उसकी स्थिति इन 20 वर्षों में और अधिक खराब हो गई है।

किसी भी विचार से यह स्थिति बड़ी अपमानजनक है। मुझे आश्चर्य है, क्या श्री चह्वाण भी यह विश्वास करते हैं कि उनके दल द्वारा राजाओं के प्रति कर्त्तव्य पालन न करने का जो आचरण आरम्भ किया जा रहा है, उससे चार करोड़ रुपये वार्षिक की वचत जनता से किए गए वायदे को पूरा करा सकेगी?

द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली

अगस्त 15, 1967

कांग्रेस के सभी नेता प्रिवीपर्सों के उन्मूलन के पक्ष में नहीं हैं। उदाहरण के लिये, श्री मुरार जी देसाई ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। यद्यपि कांग्रेसी होने के नाते, वह अपने आपको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य समझते हैं। तब भी यह अस्वीकार्य विदित

है कि यह नियम समुचित साव विचार कर नहीं किया गया था, बल्कि यह तो कुछ चलते फिरते मता के फल स्वरूप ही है। कांग्रेस दल के निजी दृष्टि कोण से भी उस पर पुनर्विचार की अत्यन्त आवश्यकता है। श्री देसाई और अन्य कांग्रेसी नेताओं को जो उन्हीं के जमे विचारों वाले हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी आगामी बैठक में इस समस्या पर अधिक विचार करने का जोर देना चाहिए। यह सम्भव है यदि इस मामले को फिर से उठाया जाये तो दिल्ली की सभा में शीघ्रता से पारित हुआ प्रस्ताव समाप्त कर दिया जाये। ऐसी बहुत सी अन्य समस्यायें हैं जिन पर सरकार व दल को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए। यह सत्य है कि प्रिवीपस का रहना या न रहना, जिसकी कुल राशि पाँच करोड़ वार्षिक है उन प्रमुख समस्याओं में से नहीं है।

द हिन्दू, मद्रास

अगस्त 17 1967

अनेका कांग्रेसी ससद सदस्या द्वारा अपने हित में महत्वपूर्ण समर्थन पाने पर भी (जसा कि ससद में हुए अभी हाल ही के वान विवादों से स्पष्ट है) यह आश्चर्य की बात नहीं है कि नरेशा ने स्वयं एक सावधानी बर्ती है और अपने प्रिवीपसों एवं विशेषाधिकारों के लिए दी जाने वाली धमकी के विरोध में कोई सघन भी खड़ा नहीं किया है। इसमें सन्देह नहीं उठाने एक समिति बनाई है जो कि उनके भूतकालीन नरेश मडल (चम्बर आफ प्रिंसज) के समान ही हो सकता है कि तु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अपन इस नियम पर पुन विचार करने के लिए उन्हाने अपील बहुत सोच विचार कर उड़े समयमिल शर्तों में का है। 600 सदस्या वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा 4 के विरुद्ध 17 मतों द्वारा अधिवेशन के अंतिम दिन जिस नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई है उसके गुण व दोषों पर पुनर्विचार परके अधिक स्वस्थ नियम लिया जा सकता है।

द मेल, मद्रास

अगस्त 22 1967

यह मली भाँति विदित है, नरेशा द्वारा राष्ट्रीय एकता के हित में अपना सत्ता, अधिकारों एवं राजस्व त्यागने के मूल्य का प्रिवीपसों के रूप में सरकार ने बहुत बड़ा समझा था।

यदि उस समय वह (सरदार) सविधान मे ऐसी धारा चाहते थे, जिसके अनुसार नरेशो के साथ किए गये समझौते न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे तो उसका कारण यही था कि उन्हें यह तनिक भी पसद नही था कि भावी सरकार या कोई नागरिक नरेशो को कानूनी मुकद्दमो मे फसा कर तग करे। किन्तु विधि मन्त्रालय ने इस धारा की जो व्याख्या की है वह बिल्कुल उससे उल्टी है जो वारतव मे सरदार पटेल ने इस धारा के विषय मे सोचा था। विधि मन्त्री चकित करने वाले वक्तव्य देते रहते है, "रियासतो के लिए सघ में मिलने के अतिरिक्त कोई चारा ही नही था और इसका प्रिवीपर्स से कोई सम्बन्ध नही है।" इसके विपरीत इसका (प्रिवीपर्सो) उनसे (सघ मे विलय से) पूरा सम्बन्ध है। विलीनीकरण तो प्रिवीपर्सो एव विशेषाधिकारो के बदले में किया गया था और इनके लिए नरेशो को गारण्टी दी गई थी। चूंकि अब नरेश शक्ति हीन है, इसलिए सरकार इन समझौतो को तोड सकती है क्योंकि उसके इस कार्य के लिये उसे कोई दण्ड नही दे सकता। किन्तु बुद्धिमानो तो इसी मे है कि कानून आर नैतिकता का अभिमन्त्रित न किया जाये क्योंकि ये दोनो पूर्ण रूप से नरेशो के पक्ष मे है।

द इंडियन ऐक्सप्रेस, नई दिल्ली

अगस्त 23, 1967

श्री मैनन ने अपने विचार प्रकट किए है कि नरेशो के साथ हुए समझौते एव प्रसविदाये सविधान लागू होते ही प्रभाव हीन हो गई। केन्द्रीय विधि मन्त्री के लिए सबसे उचित बात तो यह है कि वह शीघ्र से शीघ्र इस बात को समझ ले कि उनका यह कहना बडी गम्भीर उलभने उत्पन्न करने वाला है।

अगर श्री मैनन का यह कहना सही है, प्रसविदाय और समझौते 26 जनवरी 1950 को प्रभावहीन हो गये तो पाकिस्तान व अन्य देश इस बात को बडी खुशी से ग्रहण करेगे—तब वे इस पर वाद-विवाद कर सकेंगे कि जम्मू व कश्मीर के महाराजा हरीसिंह ने जिस सविलयन पत्र पर हस्ताक्षर किए है वह सविलयन पत्र अपना महत्त्व 17 वर्ष पूर्व ही खो चुका है। वास्तव मे यह मामला इतना सरल नही जितना कि विधि मन्त्री समझ रहे है। जो कुछ श्री मैनन ने सोमवार को कहा है उसका विवेचन इतनी उलझने उत्पन्न करने वाला है कि केन्द्रीय मन्त्रिमडल को कि इस प्रश्न के रूप

पर अपना सम्मिलित मस्तिष्क लगाने में मग्न नहीं होता चाहिये। भारत सरकार के लिए उस सिद्धान्त पर अमल करना अनुउत्तरदायित्वपूर्ण और अपवादाकारक हो सकता है जिसके बल पर कश्मीर का भारतीय संघ में सम्मिलन एवं कानूनी अधिकार टिक रहा है।

द पायोनियर, लखनऊ

जगस्त 24, 1967

यदि सरकार प्रिवीपमों के उन्मूलन लिए कानूनी विजय प्राप्त कर लेती है तो भी ऐसा करना क्या उचित है? मुख्य विषय कानूनी नहीं है बल्कि सम्मान और इमानदारी का है। सरकार ने जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करने के कथन में वह बंधी हुई है। वास्तव में देश के संविधान का निर्माण कुछ विंगप प्रकार के पवित्र वचन पर ही आधारित है एक वचन धार्मिक अल्पमह्ययका को दिया गया था और यह घोषित किया गया था कि भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा। सरकार ने दूसरा वचन पौर मेवा कमचारिया को उनका सुविधा के लिए दिया था। तीसरा वचन नरेगा का दिया गया था। क्या सरकार के लिए 20 वर्ष बाद इन पवित्र वचन में से किसी को तोड़ना उचित है? यह तक कि सरकार का समाजवाद से गठबंधन हो चुका है इसलिए नरेगा के विशेषाधिकार छान लेने चाहिए कोई अच्छा तक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह आश्चर्य की बात है कि सरकार 20 वर्षों तक तो इस विषय में चुप रहा और अचानक ही उसने यह अनुभव कर लिया कि नरेगा के विशेषाधिकार सत्ता धारी दल के समाजवादी सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

समाचार पत्र (विपक्ष में)

प्रिवीपमों एवं विशेषाधिकारों को कबल भारत सरकार की आगता समझन जाने, कम पत्र लोगो को ता कट ही क्या? हमारे यहां के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों तक का यह हान है। कभी कभी तो इन पत्रों की मूल दृष्टि पर न्या आती है—बिना सोचे समझे नरेगा के विरुद्ध कुछ न कुछ ऊल जमूल लिखते रहेंगे ही वे अपने विचारों की प्रगति पीतता का सिक्का जमाना

चाहते हैं :—

दिल्ली के एक हिन्दी दैनिक ने अपने मई 1968 के किसी अंक में एक कार्टून छापा था, जिसमें भारतीय नरेशों को अपने अपने हाथों में शिक्षा पात्र लिये हुए गृह मंत्री के सम्मुख प्रिवीपर्स की शिक्षा माँगते दिखलाया गया था।

इस कार्टून के विषय में स्वयं इस पत्र के पाठकों ने इसकी निन्दा की है एवं इसे अमंगल तथा अविवेकपूर्ण कहा है।—

इसी पत्र ने 22 जुलाई 1968 के पत्र में अपने 'विचार प्रवाह' कालम के अन्तर्गत, राजाओं की अपील नामक शीर्षक से इस विषय में अपने विचार प्रगट किये।

इन पंक्तियों को पढ़कर यह समझ में नहीं आता— हम इसे पत्र की इस विषय में अनभिज्ञता समझे ? भ्रम समझे ? या जान बूझ कर पाठकों को वहकाने का प्रयास समझे ?

इसका निर्णय, विचार प्रवाह की पंक्तियों और उनके यहाँ दिये गये उत्तरों को पढ़कर, पाठक स्वयं कर लें :—

राजाओं की अपील

राजाओं की ओर से एक बार फिर यह अपील की गई है कि भारत सरकार प्रिवीपर्स और विज्ञेपाधिकारों के सम्बन्ध में अपने वचनों और आश्वासनों का पालन करे, कोई शक नहीं कि सरकार ने वचन और आश्वासन दिये थे, परन्तु कोई क्या इसका यह अर्थ ले सकता है कि वे शाश्वत काल के लिये थे ? यह बात भूलने की नहीं कि जिस सरकार ने यह वचन दिये थे उसने अपना लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना नहीं स्थिर किया था, तब परिस्थितियाँ और थी और जमाने के साथ वे निरन्तर बदल रही हैं, ऐसी सूरत में नयी परिस्थितियों में वे पुरानी बातें कैसे कायम रखी जा सकती हैं जो असमानता और सामत शाही की प्रतीक हैं, इसलिये राजाओं ने सभ्य समाज का नाम लेकर सरकार के वचनों और आश्वासनों की जो दुहाई दी है उसका कोई अर्थ नहीं है।

फिर उनका यह कहना तो और भी विचित्र लगता है कि भारत को एक बनाने के लिये उन्होंने जो सहयोग दिया उसके महत्व को नहीं समझा जा रहा। क्या वे समझते हैं कि उन्होंने ऐसा करके बहुत अहसान किया ? उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनमें क्या वे इसके विपरीत आचरण कर सकते

विशेषाधिकारों को समाप्त कर यह एक दम आकाश से उतर कर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा ?

समाजवादी समाज का ढोल पीटने वाले पहले स्वयं को तो समाजवादी सिद्धांतों व अनुकूल ढाल कर दिखलाएँ ।

परम पूज्य बापू के शब्दों में —

‘ समाजवाद पहले समाजवादी से शुरू होता है । यदि आरम्भ करने वाला स्वयं ही गूँथ हो तो परिणाम भी गूँथ ही होगा ।

फिर उन क्षतिपूर्ति देती रही ।

ऐसा प्रतीत होता है, पत्रकार महोदय ने सविधान सम्मेलन में हुए वक्तव्यों के द्वारा सरदार पटेल आदि नेताओं के विचार नहीं पढ़े और न उठे होने उस समय की परिस्थितियों पर ही कभी चिन्तन किया है नहीं तो वह नरेशों के इस विरुद्ध प्रकार की भाषा का प्रयोग कदापि न करत ।

यदि नरेश चाहते तो वे भी मुस्लिम लीग की तरह अंग्रेजों से भारत व पाकिस्तान से पनाह, राजस्थान की माँग कर सकते थे । और अंग्रेजों का नतिकृत दृष्टि से यह मानना ही पड़ता । कदाचित् अंग्रेज चाहते भी सक्ते थे ।

प्रिन्सिपल एव विशेषाधिकारों को भारत सरकार की उत्तरदायिता कहने वाले केवल उसकी कीमत ही जानते हैं इसका वे मूल्य नहीं समझते ।

यह भी छीन लेती ।

यह कोई तक सगत बात नहीं मालूम पड़ती । क्या इसके उत्तर में यह नहीं कहा जा सका कि अंग्रेजों ने जिन भारतीय राजाओं व नवाबों व राज्य लिखे यदि वे उनका बगला को ही राज्य वापस कर जाते तो क्या होता ?

सबसे बड़ी सन्तुष्ट रहना चाहिये ।

यह भी समझने का भूल है यह प्रश्न केवल प्रिन्सिपल एव विशेषाधिकारों का ही नहीं— प्रश्न है सिद्धांतों का विश्वास—अविश्वास का नतिकृता—अनैतिकता का आया अयाय का भारत सरकार ने प्रिन्सिपल एव विशेषाधिकारों को समाप्त करने का जो स्वयं अपनाया है, वह अनतिकृत एव तानाशाही का माग है । यह तो लोकतन्त्र के लिए मायन गारंटी से बड़े अधिकृत भयकर है ।

अहिंसा कांग्रेस का मूल सिद्धांत था, किन्तु उसने गान्धियों का बागडार हाथ में लते ही अहिंसा को केवल नीति के रूप में प्रयोग करना प्रारम्भ कर

दिया था। किन्तु अब तो ऐसा प्रतीत होता है, वह अहिंसा को नीति रूप में भी प्रयोग करना नहीं चाहती, अब तो वह केवल हिंसा के द्वारा ही अपनी सत्ता को अटल बनाये रखने पर उतारू हो चुकी है।

किसी लोकप्रिय पत्र में ऐसे एक पक्षीय एवं उथले विचार पढकर आश्चर्य व दुःख होता है।

समाचार पत्र लोक तन्त्र की रीढ होते हैं। उन्हें अपने विचार प्रकट करते समय केवल सरकारी नीतियों का मुँह नहीं ताकना चाहिए, और न किसी दल विरोध से ही कोई लगाव रखना चाहिए। उनका उद्देश्य तो निपक्ष और निर्भय हो कर जनता का हित व उसकी रुचि स्पष्ट करने का होना चाहिए।

आज जन साधारण को नरेशों के प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारों की समाप्ति में कोई रुचि नहीं है। और न वे उसमें अपना कोई विशेष हित ही देखते हैं। वास्तव में सरकार को यदि समाजवादी समाज की स्थापना करना ही है और वह उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहती है तो वह अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सबसे पहले समाज की नस-नस में व्याप्त होते जा रहे भ्रष्टाचार के विष को समाप्त करने में क्यों नहीं करती? यही विष घूस खोरी, जमा खोरी, काला बाजार, तस्करी व्यापार एवं अनुशासनहीनता आदि अनेक रूपों में अपनी जड़े फैलाता जा रहा है। समाज निर्बल होकर समाजवादी समाज से कोसों दूर भागता चला जा रहा है।

राजनीतिज्ञ

संसद के बाहर

श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी

प्राण जाहूँ बर वचन न जाई

गांधीजी को तुलसी की निम्नलिखित दो पक्तियों से विशेष अनुराग था और वह उन्हें आम तौर से दोहराते रहते थे।

रघुकुल रीति सदा चलि आई ।

प्राण जाहू बर बचनु न जाई ॥

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संविधान सभा (काम्प्यूट एंड असेम्बली) ने स्वदेशवासियों का प्रतिनिधि सभा के रूप में अपना देश के संविधान का निर्माण किया और उसकी आधारशिला को दृढ़ करने के लिए स्वदेशवासियों को कुछ वचन दिये। प्रथम विविध धर्मों के अल्पसंख्यक अनुयायियों को यह वचन दिया गया कि भारतवर्ष किसी एक विधिष्ठ धर्म में आस्था नहीं रखेगा तथा कि ही दो धर्मों में कोई अंतर नहीं मानेगा अर्थात् यह धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और सब धर्मों को समान सम्मान देगा। संविधान सभा द्वारा लिये गए इस आश्वासन का संविधान में लिख कर अटल बना दिया गया। द्वितीय सिविल सेवा के सदस्यों को जिन्होंने स्वधीन भारत के काम काज यथास्तु चलाने का दायित्व उठाया था विश्वास लाया गया कि उनकी सेवा नियमावलि में कोई भंग नहीं किया जाएगा तथा उनके वतन आदि में कोई कठौती नहीं की जाएगी। तृतीय भारत में फली सफटा रिवाजता के तत्कालीन शासकों का यह वचन दिया गया कि उन्हें प्रिवी-कंस मिलती रहेगी तथा उनके विभागाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

भारत की इन सैकड़ों विश्वरी रिवासियों का भारत गणराज्य में विलय अर्थात् भारत की इस अद्वितीय एकता के लिए तीन चीजें जिम्मेदार हैं— 1) सरदार पटेल की तीव्र बुद्धि और सामान्य मूल-बुद्धि 2) बी० पी० मनन का व्यवहार कुशलता तथा 3) इन रिवासियों के शासकों की देशभक्ति उत्साह और दूरदर्शिता। उस समय इन शासकों का ही जान वाली प्रिवी कंस की राशि छ करोड़ रुपये में भी कम बनी थी जो प्रत्येक शासक के मरने के साथ कम होनी जानी थी। इस प्रकार यह राशि घट कर पांच करोड़ रंगी तथा अब और भी घट गई अब तीन करोड़ से कुछ ज्यादा है। अर्थात् यह राशि विभागाधिकार सरकारी छव में नागरिक मूद के समान है।

इस प्रश्न के आर्थिक पहलू का छोड़ दीजिए जा कम महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे पहलू को देखिए जो भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि में भारत के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। प्रिवीकंस हमारे राष्ट्र के संविधान की नींव में रंगी हुई अनेकों इन्टरम एक्ट है जिससे निकाल देने से हमारे संविधान के मूलभूत ऋण गिर जाने की आशंका है— सुरक्ष नहीं, कुछ समय बाद। प्रिवीकंस के उन्मूलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी

में मिल जाती है, भारत के वचन का महत्व दो कीड़ी रह जाना है। सच पूछो तो यह कदम भारत के जीवन वृक्ष की जड़ को खोदने के बराबर है।

जो लोग आज इस प्रस्ताव के जन्म दाता एवं पोषण कर्ता है, वे एक बात भूल जाते हैं कि 1947 में ऐसी अनेक शक्तियाँ थी जो भारत को एक सगठित एवं विस्तृत राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहती थी, जो इस दिशा में किए गए भारत के प्रत्येक कदम को विफल करने के लिए रात-दिन प्रयत्नशील थी।

[उस समय प्रत्येक भारतीय रियासत को छूट थी कि वह चाहे भारत में मिले और चाहे पाकिस्तान में।]

सरदार पटेल ने जब सब रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिला लिया और उन रियासतों के भूतपूर्व शासकों को प्रिवीपर्सों मिलनी शुरू हो गई तो कांग्रेस दल के अनेक सदस्यों ने सरदार से इस विषय पर चर्चा की, कि प्रिवीपर्सों को वन्द कर दिया जाए क्योंकि रियासतें तो भारत में मिल चुकी थी और उनके वापस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। सरदार पटेल ने इन आपत्ति उठाने वालों को शान्तिपूर्वक सुना और अचानक उनसे प्रश्न किया, "क्या आपको स्वराज मिला? क्या आपने रियासतों की प्रभुसत्ता को समाप्त किया?"

क्या आपने इन भूतपूर्व शासकों को कुछ वचन दिये और उन्हें सविधान में लिखा? मुझे यह नहीं मालूम कि अन्य लोग जिन्होंने यह वचन दिये थे, आज क्या सोचते हैं। आप चाहें तो उनके पास जा सकते हैं। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इन दिये वचनों का पूरी तरह पालन करूँगा।"

आज दुर्भाग्य से सरदार पटेल नहीं हैं जो दिये वचन से मुकरने वाले इन लोगों को डाँट कर चुप करा देते। आज जवाहरलाल भी नहीं हैं जिनका अन्तर्मन इस प्रकार के विश्वासघात से आतंकित हो उठता। आज गाँधीजी भी नहीं हैं जो हमें समझाते कि अपने वचन से मुकरना और आध्यात्मिक मृत्यु में कोई अन्तर नहीं है।

यदि आज के निरकुश शासक, लोकतन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं तो उन्हें धर्म और कानून के बीच भयकर गड्ढे को पहचानना होगा और इसमें

गिरने से बचना होगा। सरदार पटेल को भी 'निरकुश शासक' कहा जाता है। लोह पुरुष कहकर सम्बोधित किया जाता है तथा बहुत निमम और कठोर बतलाया जाता है। किन्तु उनका मान्यता या धार्मिक निरकुश शासक ने अपना सत्ता सत्ता सत्ता और पहचानिये। सरदार पटेल को इस बात का ज्ञान था कि राष्ट्र का सुस्थिरता की आधारभूत घम है न कि विधेयक प्रतिपत्न या काननी मत। हमारा दा राष्ट्रिय महाकाव्य रामायण और महाभारत जीवन के विविध पाठ का निरूपण करत है और उनका आदर्श रूप प्रस्तुत करत है। किन्तु उनका मूल सदा यही है कि अपने अपने बचन का हर कीमत पर पालन करना चाहिए। अपने बचन का रक्षा के लिए राज्य सिंहासन को छोड़ दिया गया तथा बनवास भी स्वीकार किया गया। आज हम उस नतिक स्तर का सामना रखना है जिसका हमने 1947 में प्रदर्शन किया था। उस नतिक पथ का भूलन के कारण हम काफी गुरुमान सहना पडा है किन्तु अब भी समय है कि हम अपने मे अपक्षित सुधार कर ल तथा जोर भयानक गलतियां न करें।

संविधान की धारा 362 की अवहणना करना, उसके विपरीत कार्य करना तथा धारा 363 की गरण लेना मात्र एक कानूनी छलना है प्रयचना है, आत्मघात है। कितने आश्चर्य की बात है कि विधि मंत्री ने भी प्रिन्सिपल के उ मूलन के पक्ष में संविधान की धारा 363 को ताडने मरोडने का पथ रचा है। यह ठीक है कि पंच समझौते की किसी धारा के विषय में मतभेद होने पर पंच का निर्णय मान्य होता है तथा उस मतभेद का अदालत में नहीं रो जाया जा सकता, किन्तु यदि पंच समझौता ही किसी पक्ष द्वारा रद्द कर दिया जाए तो अदालतों को पूरा पूरा अधिकार है कि वे उस समझौते पर विचार कर जोर अपना निष्पक्ष निर्णय दें।



चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी।

**नरेशों के साथ किए गए समझौते
कागज के टुकड़े नहीं, पावन प्रतिज्ञा-पत्र ह**

अपना अद्यव्यवस्था को सुदृढता एवं सुस्थिरता प्रदान करना हमारा प्रथम धर्म है। इसके लिए हमें अपने राष्ट्रीय ध्येय में प्रत्येक सम्भव कटीती तथा अपने राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्येक सम्भव वृद्धि करनी चाहिए। सावजनिक

व्यय के अनावश्यक पक्षों को समाप्त करना, सैनिक व्यय को कम करने के लिए प्रबुद्ध विदेश नीति का निर्धारण करना, राजकीय उद्यमों से लाभपूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उनमें सुप्रबन्धता एवं कार्यकुशलता प्रविष्ट करना आदि अनेक मार्गों के अनुसरण से हम उपरिर्वाणित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। किन्तु इसके लिए नरेशों के 'प्रिवीपरम' बन्द करना अर्थात् अपने दिये वचन को तोड़ना किसी भी दृष्टि से सगत नहीं है।

जीवन में वचन की पावनता सर्वोपरि है। उसको किसी भी रूप में भग करना जघन्य पाप है। इससे न केवल अपने हृदय की सात्त्विकता विनष्ट होती है अपितु दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार समझौता दो पक्षों के बीच हुआ ऐसा पावन सम्बन्ध है जिसकी मर्यादा अनुल्लङ्घ्य है, यह दो पक्षों को जोड़ने वाला ऐसा पवित्र बन्धन है जिसके पालन करने में ही जीवन का आनन्द है। यह बन्धन दोनों पक्षों के लिए समान रूप से मान्य है इसको तोड़ने का किसी पक्ष को अधिकार नहीं है। और यदि एक पक्ष इसका पूर्णरूपेण सम्मान कर रहा हो तो दूसरे पक्ष द्वारा इसकी पावनता भग करने का विचार भी मन में लाना अपराध है।

अयोध्या नरेश दशरथ ने अपने वचन का सम्मान करने के लिए राम जैसे आदर्श पुत्र के वियोग का दारुण दुःख सहन करना भी स्वोकार किया। राम ने अपने पिता के वचन की मर्यादा को अभंग रखने के लिए युवराज-पद त्याग कर चौदह वर्ष वन में वास किया। 'प्राण जाहूँ वरु वचन न जाई' इस देश का आप्त वाक्य है, इस देश के वासियों के जीवन का निर्देशक मन्त्र है, भारत के पचास करोड़ लोगों के प्राणों का मूल मन्त्र है। राम को भी अनेक लोगों ने वहकाने का असफल प्रयास किया था कि वह, युवा पत्नी के सौन्दर्य बन्धन में बंधे वृद्ध पिता के दिये वचन को न माने किन्तु राम ने इन कुतर्कों की ओर तनिक भी ध्यान न दिया और वचन की पावनता को अमरता प्रदान की।

भारत के सामने आज इसी घटना की पुनरावृत्ति है। देश को स्वाधीनता दिलाने वाले एवं देश के सविधान का निर्माण करने वाले हमारे पूज्य नेताओं ने देश के भूतपूर्व नरेशों के साथ समझौता किया, उनकी रियासतों को भारत अधिराज्य में विलय करके उन्हें प्रिवी पर्स देते रहने का वचन दिया, अपने वचन को समझौते का रूप दिया और उसे सविधान का संरक्षण प्रदान किया। इसलिए नरेशों के साथ किये गए ये समझौते कागज के टुकड़े नहीं, पावन

प्रतिष्ठा पत्र हैं जिनमें एक दो को नहीं अपितु पचास करोड़ भारतीयों की वाणी प्रतिध्वनित है, जिनके भग होने से एक दो को नहीं बल्कि पचास करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा धूल में मिलती है।

प्रिबी पर्सों के उ मूलन से न ता समाजवाद आता है और न आय वषय मिटता है हाँ, बचन निर्वाह के लिए विश्व प्रसिद्ध भारत के मस्तक पर कलक का अमिट धबा अवश्य लगता है। ठीक है कि सविधान में छोटे मोटे परिवर्तन सशोधन करने का ससद् को अधिकार है किंतु क्या पचास करोड़ जनसंख्या वाले विशाल क्षेत्रीय एवं विश्व सम्मानित भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का भी ससद् को अधिकार है ? यह अधिकार ससद् को नहीं है यह तो ससद् में बड़े तथाकथित समाजवादियों का अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात है, यह तो मुट्ठी भर लोगों का पचास करोड़ लोगों की प्रतिष्ठा से खेलना है यह तो महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल की आत्माओं को बलेश पहुँचाना है।

मरेगो के प्रिबी पस ब द करने का कुञ्चिचार नतिकता का हनन है भारत की धमप्राणता की हत्या है देशवासियों के साथ विश्वासघात है।



चश्रवती थी राजगोपालाचारी

मूर्ख गुड को डली न दे, भेली दे

किये हुए अनुबन्ध को ईमानदारी के साथ पूरा करना केवल सद्नीति ही नहीं है अपितु नतिकता की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और यदि अनुबन्ध किसी सरकार ने किया है और वह भी काफी सोच विचार के बाद तब ता डमका पूरा करना और भी जरूरी है। हाँ सरकार भी वह जिसने वाणिज्य एवं व्यापार में भाग लेना शुरू कर दिया हो तो उसने लिए अपने अनुबन्ध का पूरा करना अपनी अन्तर्राष्ट्रीय साध की बनाए रखने की दृष्टि से भी अनिवाय है। और यदि उस सरकार का राजकीय चिह्न सत्यमव जयत है ता धमक लिए तो मन से बचन में कम से सत्य का पालन करना अनिवाय है क्योंकि यह केवल उसकी अपना प्रतिष्ठा का ही प्रश्न नहीं है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्राण जाहू बरु बचनु न जाई आप्त वाक्य का पालन करने वाले धमप्राण भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

जब भोगिया ने गाइलाक से दयावान् होने के लिए कहा तो उसने पूछा, क्यों ? मुझे दयावान् होना क्यों जरूरी है ? तब हमारे लिए ही अग्न बचन

का पालन करना क्यों जरूरी है ? किन्तु जो प्रश्न शाइलॉक ने किया, वह कोई सरकार नहीं कर सकती । वह केवल सविधान के अनुसार ही आवश्यक नहीं हैं कि सरकार अपनी कथनी और करनी में सत्य का पालन करे अपितु यह तो हमारी परम्परागत निधि है, हमारी संस्कृति का मूल है । श्री के० सन्तानम ने गाँधीजी का उदाहरण ठीक ही उद्धृत किया है । भारत ने विभाजन के समय पाकिस्तान को पचपन करोड़ रुपये का वचन दिया था किन्तु सरदार वल्लभभाई इस राशि को देने के पक्ष में नहीं थे । सरदार पटेल का तर्क अपनी जगह बड़ा अकाट्य था कि पाकिस्तान इस धन से अपनी सैनिक शक्ति दृढ करेगा और बाद में भारत के लिए मुसीबत बन जाएगा । किन्तु गाँधी जी पर राष्ट्रीय सुरक्षा-विषयक इस तर्क का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह 'सत्य' के विरुद्ध था । वचन देकर मुकर जाना गाँधीजी को असह्य था, इसलिए उन्होंने यह धन दिलवा कर छोड़ा । उस समय लोग गाँधीजी की इस बात से सहमत नहीं हुए किन्तु बाद में उन्हें इस घटना के ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार करना पड़ा ।

ईमानदारी सदा लाभकारी सिद्ध होती है । हो सकता है कि ईमानदारी का फल तुरन्त न मिले किन्तु इसका फल मिलता जरूर है और मीठा फल मिलता है । भारत इतनी विशाल और दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार कर रहा है, इसलिए उसके लिए तो ईमानदारी का व्यवहार करना और भी जरूरी है । यदि अपने दिये गए वचन या किये गए अनुबन्ध को पूरा करने में राजकोप पर कुछ खर्चा भी पड़े, तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए । या यह केवल समाजवाद के प्रति हमारा प्रेम है ? किन्तु जिस समाजवाद की नींव वायदों और अनुबन्धों के खून पर रखी जाएगी, वह समाजवाद भी अधिक दिन नहीं टिक पाएगा । सरकार के बदनीयत होते ही सारा राष्ट्र बदनीयत हो जाता है और लोकतन्त्र की नींव खुद जाती है ।

जब मैं भूतपूर्व शासकों की वकालत करता हूँ तो कुछ लोग मुझे प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं किन्तु किसी शोषित की वकालत करना चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या भूतपूर्व शासक हो, प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति नहीं है । यह तो एक उदार सघर्ष है और इसके लिए काफी साहस की आवश्यकता होती है । किसी स्थान पर गाँधीजी ने धनिकों को अच्छत बताते हुए कहा है कि उनकी वकालत करना तथा समाज में उनको ठीक स्थान दिलाना कर्त्तव्य है । भीड़ को खुश करना कोई सरल काम नहीं है किन्तु अपने धर्म का पालन

प्रतिष्ठा पत्र हैं जिनमें एक ढो की नहीं अपितु पचास करोड़ भारतीयों की याणी प्रतिध्वनित है जिनके भग होने से एक ढो की नहीं बल्कि पचास करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा धूल में मिलती है ।

प्रिबी पर्सों के उ मूलन से न तो समाजवाद आता है और न आय वषम्य मिटता है हाँ, वचन निर्वाह के लिए विश्व प्रसिद्ध भारत के मस्तक पर कलक का अमिट धब्बा अवश्य लगता है । ठीक है कि सविधान में छोटे मोटे परिवर्तन सशोधन करने का ससद् को अधिकार है किन्तु क्या पचास कराड जनसख्या वाले विंगाल क्षेत्रीय एव विश्व सम्मानित भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का भी ससद् को अधिकार है ? यह अधिकार ससद् का नहीं है, यह तो ससद् में बठे तथाकथित समाजवादियों का अपने मतदाताओं के साथ विद्रवासघात है, यह तो मुट्ठी भर लोगों का पचास करोड लोगों की प्रतिष्ठा से खेलना है यह तो महात्मा गांधी एव सरदार पटेल की आत्माओं को क्लेश पहुँचाना है ।

भरतों के प्रिबी पस ब द करने का कुविचार नतिक्ता का हनन है भारत की धमप्राणता की हत्या है, देगवासियों क साथ विगवासघात है ।



चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी

मूख गुड को उली न दे, भेली दे

किये हुए अनुबध को ईमानदारी के साथ पूरा करना केवल सद्नीति ही नहीं है अपितु नतिक्ता की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है और यदि अनुबध किसी सरकार ने किया हो और वह भी काफी सोच विचार के बाद तब ता उसका पूरा करना और भी जरूरी है । हाँ सरकार भी वह जिसने वाणिज्य एव व्यापार में भाग लेना शुरू कर दिया हो तो उसक लिए अपने अनुबध को पूरा करना अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को बनाए रखने की दृष्टि से भी अनिवाय है । और यदि उस सरकार का राजकीय चिह्न सत्यमव जयत हा ता उसक लिए तो मन से वचन से कम स सत्य का पालन करना अनिवाय है क्योंकि यह केवल उसका अपना प्रतिष्ठा का हा प्रश्न नहीं है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्राण जाहू बर वचनु न जाई आप्ण वाक्य का पालन करने वाले धमप्राण भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है ।

जब पाणिपा ने गाइलाक से दयावान् होने क लिए कहा ता उसने पूछा क्या ? मुझे दयावान् होना क्या जरूरी है ?' तब हमारे लिए ही अग्न वचन

करना और भी कठिन काम है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति एवं अपनी साख को ध्यान में रखते हुए अपने वचन का पालन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा जरूरी है। भूतपूर्व शासक एवं उनके वंशज अपने अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वाणिज्य एवं राजनीति के क्षेत्रों में जिस योग्यता की अपेक्षा है उनमें वह मौजूद हैं। प्रिवी पस बढ़ कर देने से वे भूने नहीं मर जाएंगे। जनसाधारण में आज भी उनकी साख है, उनकी प्रतिष्ठा है और शक्ति अधिक है जितनी कि सत्तारूढ़ कांग्रेसियों को न कभी मिली है और न कभी मिल सकेगी। प्रिवी पस बढ़ कर देने की धमकी पराजित कांग्रेसियों को दूषित मनोवृत्ति की परिचायिका है। उनका विचार है कि प्रिवी पस बढ़ कर देने से भूतपूर्व राजा महाराजाओं का लोकप्रियता घट जाएगी किंतु इनको जिस बात का पता नहीं वह यह है कि इनका उस कदम का प्रभाव उल्टा पड़ेगा और स्वयं इन लोगों की लोकप्रियता कम हो जाएगी।

संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की धारा थी वहैपालाल माणिक लाला मुंशी ने रखवाई थी। उनका विचार था कि इस प्रकार वह स्वदेशवासियों की सेवा कर रहे थे। यदि ये मूल अधिकार संविधान में न लिख गए होते तो सर्वोच्च न्यायालय इनकी सख रूपेण रक्षा कर सकता था। किंतु इनका संविधान में लिखा जाना (यद्यपि स्वेच्छा से यह कदम उठाया गया था) आज नागरिकों के लिये एक अभिशाप बन गया है क्योंकि सत्तारूढ़ इतम तरह-तरह के परिवर्तन करना अपना अधिकार समझती है और इस तथा कथित अधिकार का दुरुपयोग करती रहती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की धारा रखवाते समय श्री मुंशी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वास्तव में यह सब कुछ उनका इच्छा के विरुद्ध एवं प्रतिद्वन्द्व है। इसी प्रकार जब भूतपूर्व शासकों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुबंध किया था और उनकी रिपासों के बदले में प्रिवी पस एवं कुछ विशेषाधिकार देने का वचन दिया था, तो उनकी इच्छा अपने वचन या अनुबंध को भंग होते देखने की नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस बात को भी संविधान में सम्मिलित कर दिया था जिसमें सगोपन करने के बहाने प्राण का प्रतीक अपनी ईर्ष्या एवं दुबुद्धि को साकार कर रहे हैं। यदि यह अनुबंध संविधान में सम्मिलित न किया जाकर पृथक् से सधि पत्र या अनुबंध पत्र के रूप में होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय भूतपूर्व शासकों की आर सत्ता है और उनका

अधिकारो की रक्षा करता । यद्यपि सरदार पटेल का दृष्टिकोण इस अनुबन्ध को दुगुनी सुरक्षा प्रदान करने का था और इसलिए उन्होंने उसे सविधान में शामिल किया था, किन्तु वर्तमान कांग्रेसी स्वार्थान्ध एव ईर्ष्यान्ध होने के कारण उस अनुबन्ध की पावनता को भग करने पर तुले हुए हैं ।



श्री एस० आर० पंडे

मन्त्री प्रबन्ध उद्यम मन्त्र

प्रिवीपसों और शाही विशेषाधिकारो को अन्त में समाप्त कर देने के प्रस्ताव ने काफी गर्मी पैदा कर दी है ।

शाही विशेषाधिकारो को खत्म करना कठिन है । राजे-महाराजे उनका उपयोग सरकार के साथ एक पवित्र समझौते के परिणामस्वरूप करते हैं । इसके विपरीत ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ हैं जो इस प्रकार के विशेषाधिकारो अथवा सुविधाओ का उपयोग बिना किसी आधार के किये जाते हैं ।

उदाहरण के तौर पर जिस मन्त्री-महोदय ने दस लक्षीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए जोरदार दलीले दी थी यदि उन्होंने उनकी वजाय यह प्रस्तावित किया होता कि मंत्रियो, ससद्-सदस्यो और विधान सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारो और सुविधाओ को रद्द कर दिया जाए तो जनता उनकी आभारी होती और लोगो को उनकी दलीले पसन्द आती । एक केन्द्रीय मन्त्री को केवल 2250 रुपये माहवार मिलते हैं लेकिन उन्हें लगभग 4,000 रुपये के मूल्य की मुफ्त बिजली पानी की विशेष सुविधाएँ मिलती हैं । इसका मतलब यह हुआ कि उनका कर-दायित्व और वार्षिकी-जमा में रकम भरने की मात्रा में कमी होना । वास्तव में उचित बात तो यह होती कि मंत्रियो को 80,00 से 10000 रुपये माहवार तक का वेतन दिया जाए लेकिन कोई चीज मुफ्त नहीं । आमदना पर उनको अपने कर देने चाहिए और सामान्य नागरिको की तरह उनको भी प्रत्येक वस्तु के लिए बाजार की कीमतें चुकानी चाहिए ।

ससद् और विधान सभा के सदस्यों को भी अनेक प्रकार की विशेष सुविधाएँ और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिन्हें तत्काल खत्म कर देना चाहिए । उदाहरण के तौर पर एक संसद्-सदस्य केवल एक बार हाजिरी-रजिस्टर में दस्तखत कर 31 रुपये प्रतिदिन की दर से 15 दिन की रकम वसूल कर सकता है, भले ही वह 14 दिन ससद् में मौजूद न रहे ।

को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो न्यायाधीश महोदय ने उसके दण्ड की घोषणा के पहले उसकी मर्त्तना करते हुए कहा . 'जो तुम पर विश्वास करता है, उसे छलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती।' अपराधी ने उत्तर दिया : 'न्यायाधीश महोदय ! यदि मैं विश्वास करने वाले को न छलूँ, तो मेरी छली में और कौन आएगा ?'

नरेशो ने सरदार वल्लभभाई पटेल पर विश्वास किया और अपनी रियासते उनके हवाले कर दी। सरदार पटेल ने अपने अन्तिम क्षण तक उस विश्वास की रक्षा की। कुछ लोगो ने उन पर जोर दिया कि वह नरेशो के साथ विश्वासघात कर दे और उनको दिया वचन पूरा न करे किन्तु सरदार पटेल ने उनका डाँट कर चुप करा दिया। सरदार पटेल तो इन असत्यमार्गियों के वहकाने में नहीं आए किन्तु उत्तराधिकारी आज इस वहकावे में आ गए हैं। उनका विचार है कि अब कोई उनके सिर पर तो वचा नहीं, इसलिये वह अपनी मनमानी करने के लिये स्वतन्त्र है और मसद् की आड में अपने पर विश्वास करने वालो के साथ ठगी कर सकते हैं। शायद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके इस दुष्कर्म को निश्च के अन्त देश तो देखेंगे और उनका क्या विचार है कि इस दुर्घटना के बाद से भारत के वचनों पर एक क्षण के लिए भी विश्वास करेंगे। क्या यह दण्ड कम है कि अन्य देश भारत की किसी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार न हो। विश्व में भारतवर्ष की साख मिट जाना उसके लिए बहुत बड़ा दण्ड है।

° ° °

यदि भारत सरकार नरेशो के साथ किये गये समझौतो के फलस्वरूप उनको मिलने वाले प्रिवीपर्सों एवं विशेषाधिकारो को संविधान में संशोधन करके समाप्त कर देती है तो उसके इस कदम से श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभभाई पटेल का और मेरा अपमान होता है दूसरे शब्दों में, हम तीनों के नाम पर कलक लगता है।

यदि एक देश की सरकार कुछ पैसे वचाने के लिये अपनी ससद् में दो तिहाई बहुमत से अपने संविधान में संशोधन करने से नहीं हिचकिचाती, तो आप ननिक कल्पना कीजिये कि फिर कौन व्यक्ति या देश उस सरकार का, उस ससद् का या देश का विश्वास करने को तैयार होगा ! और यह राशि भी कोई दान-स्वरूप दी जाने वाली राशि नहीं अपितु वह पवित्र राशि है जो

भी था कि शासन के गेय क्षेत्र में वे अपने राज्यतंत्र का पूरा उपभाग करते रहेंगे। लाड माउंट बैटन ने अपने वक्तव्य में, जिसका कि यहाँ सदन लिया जा चुका है स्पष्ट किया कि यह समझना रियासतों पर किसी प्रकार का आधिकार नहीं डालना और उनके आंतरिक राज्यतंत्र या प्रभुत्व पर अतिक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें सही सविधान मानने को भी बाध्य नहीं किया जायगा।

शक्ति का कोई लाभ नहीं

इस प्रकार (स्मरण पत्र के अनुसार) नरेंगों पर अपनी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए कोई लाभ नहीं था। यह रियासत मंत्रालय ने समझ लिया था कि उस स्थिति में किसी शक्ति का प्रयोग करने का परिणाम गम्भीर होते। नरेंगों ने यदि स्वयं को एकीकरण से अलग रखा होता तो वे काफी सख्या में राजकीय कर्मचारी बनाए रखते और अपनी रियासतों के राजस्व का बिना किसी रोक टाक के उपयोग करने जसा कि वे बराबर करते रहे थे।

इसलिए कम से कम जो रियासत मंत्रालय नरेंगों का दे सकता था, वह नकुचिन क्षेत्र में नरेंगों के समाज को मान्यता और स्पष्ट रूप से सामित राज्य कर्मचारी और उचित आधार पर कुछ विंगप व्यक्तिगत विशेषाधिकार थे कि नरेंगों ने अपने समस्त शासनाधिकारों को त्याग कर वे अपना रियासतों के विलीनीकरण को स्वीकार करके अपने वक्तव्य का पूरा कर लिया है इसलिए इन समझौतों के अंतर्गत लिए गए विशेषाधिकारों को आवासना को पूरा करने की गारंटी देना भारत सरकार का कर्तव्य है। सविधान समझौतों के अनुसार विशेषतः सब प्रकार के आय करों से मुक्त थे कि नरेंगों अपने क्षेत्रों में संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थे इसीलिए उन्हें समस्त आय करों से मुक्त रखा गया।

अक्टूबर 1949 में सरकार पत्रों ने सविधान सभा में रियासत मंत्रालय का स्थिति का स्पष्ट करते हुए स्मरण पत्र में लिखी बातों का पुष्टि की—विशेषतः का समझौता नरेंगों द्वारा किये जाने वाले धर्म को, जो कि वे पहले करते रहे हैं धरकर कम से कम एक चौपट कर देगा। किन्तु आर्थिक और राजनैतिक कारणों से अधिक उठाने समझौते के राजनैतिक और नैतिक रूप पर ही अधिक बल दिया 'मानव स्मृति निबन्ध' है।

अक्टूबर 1949 में गायद हम इस समस्या की उस भयंकरता एवं गम्भीरता को भूल गए हैं जो अगस्त 1947 में हमारे सामने थी ।'

मार्चभौम सत्ता की समाप्ति पर हमें अपनी स्वाधीनता प्राप्ति के समय अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के भाग को भी स्वीकार करना ही था । इसलिये प्रवीपर्स समझौते तो शासकों को उनके सत्ता त्याग एवं अपनी रियासतों को विलय कराने की क्षत-पूर्ति के रूप में हैं । सरदार पटेल ने कहा :

“इस पर हमें कुर्तक करने की विल्कुल आवश्यकता नहीं है—मैंने जान बूझ कर थोड़े मूल्य का प्रयोग किया है जो कि हमने उस रक्तहीन क्रान्ति के लिए चुकाया है जिसने लाखों लोगों के भाग्य को प्रभावित किया है ?”

उन्होंने सविधान सभा को बतलाया कि रियासत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सशोधनों का, मैसूर, सीराष्ट्र, ट्रावन्कोर और कोचीन सभ की विधान बनाने वाली सभाओं ने परीक्षण कर लिया है । इन सभाओं द्वारा प्रस्तावित कुछ रूपान्तरों को इन सशोधनों में सम्मिलित कर लिया गया है, कुछ को इन विधान सभाओं के प्रतिनिधियों से तर्क करके समाप्त कर दिया गया है । दूसरी रियासतों और रियासतों के सभों के प्रतिनिधियों द्वारा लोगों की इच्छाओं और विधि को उसी तरह स्वीकार करना सम्भव नहीं था ।

ये रियासतों में उचित रूप से बनी हुई व्यवस्थापक सभाएँ नहीं थी, और न उनमें, भारतीय सविधान में अंतिम रूप से विलय होने से पूर्व, व्यवस्थापक सभाओं का बनाया जाना ही सम्भव था ।' इसलिये इन रियासतों में वहाँ के शासक, राज प्रमुख की अनुमति लेकर सविधान लागू करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था ।

सविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में, सविधान ग्रहण करने से पहले 26 नवम्बर 1949 को सरदार पटेल ने रियासतों की ओर से घोषणा की —

“सम्माननीय सदस्यों को याद होगा, 12 अक्टूबर को मैंने अपने वक्तव्य में नये सविधान के अन्तर्गत रियासत मंत्रालय की स्थिति को इस सदन के सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया था । रियासतों के द्वारा सविधान की स्वीकृति की विधि पर जो हमने विचार किया है वह मैं सम्मानित सदस्यों को बतला दूँ । मैं मदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हूँ, कि

व समस्त 9 रिमासतें जो सविधान की पट्टी सूचा के विभाग म विगिष्ट रूप स दी गई हैं उ होने हैदराबाद रिमासन क सहित उस सविधान का जिस कि हम प्रहरण करने जा रहे हैं उयी तरह स्वीकार करने क निय हस्ताक्षर कर लिय है जसा कि मैंने अपन वक्तव्य म 12 जनूबर का बतलाया था ।"

पटेल की अतुष्टि

रियासत मन्त्रालय के सचिव श्री बी० पी० मनन और सविधान सभा क मुख्य प्रास्य लखक (चीफ डायरेक्टर मन) श्री एस० एन० मुकर्जी क बीच लिय वर 1949म लगानार हुए पत्र व्यवहार मे यह स्पष्ट है — कि सविधान सभा अन्तिम अधिवेशन के बाद हा सविधान का रिमासत सम्बन्धी ६ राजा का लये गये अन्तिम रूप म सरदार पूरी तरह अनुष्ट नहीं थे । श्री मुकर्जी न अपन ऊपर म धारा 363 के सम्बन्ध म रिमासन मन्त्रालय का कुछ उल्टा समय का निर्देग किया मन्त्रालय ने कुछ सशोधनो का प्रस्ताव किया है जिन का मुख्य आवृति यह थी (1) प्रिवीपसों की घन राशि को चुकाने की सब सानिक गारंटी और उनकी जामकरा से मुक्ति । (2) सविलयन याजना के अन्तर्गत प्रसविदाओ जोर समझौता का कोई धारा "यायालय क अधिकार क्षय न रहे किन्तु इसक साथ ही ऐसी प्रसविदाओ और समझौतो के लिये भारत सरकार द्वारा लिये गये वचना का सवधानिक मायता दी जाय ।

श्री मुकर्जी ने कहा,

जहा तक (1) का सम्बन्ध है धारा 291 के अन्तर्गत इसका विधान स्पष्ट बनाया गया है और असद्विषय रूप से प्रिवीपस की घन राशि का भारत सरकार की सम्पत्ति निधि पर केवल अधिकार ही नहीं है बल्कि इस राशि का नुगन न भी इसा निधि से किया जायगा । इसा धारा म आगे मट भी दिया गया है कि यह घन राशि सभी प्रकार के आवकरा से मुक्त रह्या । धारा 363 किसी तरह भा धारा 291 म दा गये गारंटिया और सवधानिक वचना को समाप्त नहीं कर सकतो । धारा 362 और 363 ऊपर दिम गये अनुच्छेद (2) के भाग की धारा को पूरा करती हैं । पहली नरेणो क अधिकारा क विन्यासिकारा इत्यादि की स्पष्ट सवधानिक मायता प्रदान करता है और दूसरा समझौता और प्रस विदाओ इत्यादि की धाराओ को यायालया के अधिकार क्षय मे बाहर

रखती है। निसदेह धारा 363 अधिकार के विषय में उठे किसी विवाद या किसी उत्तरदायित्व या वचन या सविधान की किसी सधि, समझौते प्रसविदाओं इत्यादि से सम्बन्धित उठे विवादों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाती है, किन्तु धारा के प्रारम्भिक भाग में जो कुछ दिया गया है उसके लिये यह स्पष्ट रूप से एक आवश्यक उप सिद्धांत है।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर

प्रिवीपर्सों के सम्बन्ध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने के तर्क का पक्ष श्री मैनेन को दिलाया गया था जो कि रियासत मन्त्रालय द्वारा इन शब्दों में बताया गया था, “यदि इन समझौतों को न्यायालय में ले जाने की दूट दे दी गई तो यह नित्य ही दुखी होने का कारण बन जायगा।”

एक अन्तिम प्रकरण में श्री मुकर्जी ने कहा —

“प्रारूप लेखन समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) को अब सविधान के विधानों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। सविधान के किसी विधान के सम्बन्ध में सदेह का सही विश्लेषण अब अधिकार पूर्वक केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निश्चित किया जा सकता है। हम यह नहीं समझते कि किसी का भी सविधान के किसी विशेष विधान के सम्बन्ध में उसके सही अर्थ का अनुमान लगाने या क्षेत्र के विषय में दुखी होना उचित है। डाक्टर अम्बेडकर की राय में साधारणतः सविधान की किसी धारा में सशोधन करने का प्रस्ताव तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि न्यायालय में उचित रूप में इस पर विवाद न हो चुके और सर्वोच्च न्यायालय को इसका विश्लेषण करने का सुअवसर न प्राप्त हो जाये।”

यह बताना लाभदायक होगा कि सन 1937 में उसके दो वर्ष बाद तक वामपक्षीकांग्रेसी नेताओं ने नरेशों के राज्यतंत्र के विषय में अपने असयमी निर्देशों से नरेशों को मुस्लिम-लीग की गोद में जाने को विवश कर दिया था। किन्तु कम से कम यह कहा जा सकता है कि काँग्रेस उस समय रियासतों में कुछ सुधारों और जन प्रतिनिधियों की मांग कर रही थी किन्तु उसमें उनके (रियासतों) मध्य में सम्मिलित होने की शर्त भी उस मांग के साथ थी। प्रजातंत्र के मोर्चे को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक उचित और सराहनीय मांग थी।

उस वय वान सरदार पटेल ने नरेशी की इच्छा और राय से एक रवतहीन प्राति" लाने के बदले मे ' थोडा सा मूल्य ' देकर वही उससे महान उद्देश्य को प्राप्न कर लिया । समझौते के मुख्य सिद्धांतो पर भाषागित जिस परिव्याग का नरेशी से प्रस्ताव किया गया था उसके लिए केवल सरदार पटेल ही नहीं पूण सविधान समा एक पक्ष के रूप म थी उसके नियमित वापत्रम के अनुसार जो नरेशी के विरुद्ध 30 वष पहले बनाया गया था, पुन मोल भाव करने का कोई कारण नहीं है ।

श्री मुरारजी आर देसाई

उपप्रधान मंत्री माननीय श्री मुंर जी आर० देसाई ने पटेल स्मारक व्याख्यान माला के अ तगत 18 निसम्बर सन् 1963 मे ही प्रिवीपसों एव विनेयाधिकारो के विरोधिया को मुह तोड उत्तर दत हुए गतािया से प्रनी नित भारतीय एकता का अपन शाना म कितना सजीव चित्रण किया है (यह व्याख्यान आकांग वाणा नई दिल्ली से प्रसारित भी किया गया था ।)

“किंतु अगत दिसम्बर म क्या हुआ जबकि उ हाने उड़ीसा और छत्तीस गड का छोटा रियासता को मिला कर एक कर दिया तो हम स्नध्य रह गए । इमम सदह नहीं कि स्वत यना प्राप्ति से हुए परिवतना से प्रभावित होकर वन रियासता की स्थिति हमार प र मे हो गई थी और आगायें व लानसाप पूव कालीन ब्रिटिश भारत व दगी रियासतो की मीभाय पार कर गई था । इन रियासतो के पासको ने जिह ब्रिटिश सत्ता के भीतर काफी अविकार प्राप्त थे, उस परिवतन के प्रभाव को अनुभव करना मारम्भ कर लिया था । किंतु उनम स यह अनुमान किसा को नहीं था कि ५6000 वग मील म फला 70 लाख जन सख्या वाली और 2 कराड के राजस्व वाला उड़ीसा और छत्तीस गड की 39 रियासतें दा नित क भारत ती उड़ीसा और मध्य प्रांत क आमन क्षम म विनय हो जाएगी । इम उलसवि क उपरांत पहली बार सरदार पटेल ने अपनी रियासत विपक्ष नीति की शलक ली । 16 निसम्बर 1947 का दिल्ली लीटने पर उहाने कहा यह बात हर किमी को स्पष्ट हा गत जागी कि काइ मा नाकतन अपवा लोकतान्त्रिक सत्या तमी कृगवना पूवक अपना वाप कर सक्ती है जबकि उस इकाई का जिसम वह समाविष्

है, अस्तित्व समयक रूप से स्वायत्तता सम्पन्न हो । यदि कोई रियासत चाहे अपने छोटे आकार के कारण, चाहे अपनी पृथक स्थिति के कारण चाहे अपन पडौसी स्वायत्त क्षेत्र से विभिन्न सम्बन्ध होने के कारण चाहे अपेक्षित साधनों के अभाव में अपनी आर्थिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न कर पाने के कारण चाहे अपने निवासियों के पिछड़ेपन के कारण और चाहे स्व-प्रशासन के उत्तरदायित्वों को निभाने की अपनी असमर्थता के कारण, वर्तमान शासन व्यवस्था को अपनाने में समर्थ नहीं हो पाती है तो उसका लोकतन्त्रीकरण और सबिलयन करना अनिवार्य हो जाता है ।”

एकीकरण का आरम्भ बड़े अच्छे ढंग से हो चुका था और शताब्दियों से चनी आने वाली दो ऐतिहासिक असंगतताओं को देश के पिछड़े से पिछड़े भागों से हटा दिया गया था । इन क्षेत्रों में उत्पन्न की गई चिनगारी शीघ्र ही लपट का रूप ले गई । एकीकरण की ज्योति (मशाल) जो सरदार लेकर चले थे उसने अपना मार्ग शीघ्र ही दक्षिण की रियासतों, कोल्हापुर, गुजरात, पंजाब की व देश की अन्य छोटी-छोटी रियासतों में पा लिया, किन्तु उस सम्बन्ध में सरदार को सबसे बड़ी सफलता मिली काठियावाड़ में, जिसके विलय का उन्होंने गाँधी जी को वचन दिया था और जिसे गाँधी जी को अपने जीवन काल में ही पूर्ण होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था । 449 इकाइयों वाली 220 रियासतों ने बहुत से छिटरे हुए द्वीपों और राज्यों ने काठियावाड़ के मानचित्र को 860 भागों में विभक्त कर रखा था । सरदार इस कार्य की सिद्धि के लिये उत्सुक थे, किन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मतभेदों के कारण सरदार ने सरकार से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने वम्बई और अहमदाबाद जाने का निश्चय किया जिससे कि वह काय क्षेत्र के समीप रह सके, और उन्होंने श्री० वी० पी० मैनन और उनके साथी अफसरो को राजाओं से बातचीत करने के लिये काठियावाड़ भेजा । जनवरी 1941 में अहमदाबाद में श्री वी० पी० मैनन ने, काठियावाड़ को एक संयुक्त रियासत बनाने के लिये राजाओं की सम्मति की, सूचना उन्हें दी । मैंने सरदार के चेहरे पर कीर्ति और उनकी अपनी जन्म भूमि पर कार्य सिद्धि का ज्ञान देखा ।

छोटी रियासतों का वास्तविक रूप से एकीकरण पूर्ण हो जाने के बाद सरदार ने अपना ध्यान कुछ कमी वेशी के साथ, काठियावाड़ क नमूने पर, बड़ी रियासतों की समस्या की ओर लगाया । मार्च 1948 में 'कौरनरी

घोम्बोसिस' (अग में रुधिर जम जाना) व आक्रमण के कारण, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी से प्रगति किसी सीमा तक रुक गई। बावजूद इसके, बीमार दगा में भी उनके नेतृत्व में या बाद में देर-रातों में धीरे-धीरे स्वस्थ होने पर हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, पंजाब, मध्यभारत और राजस्थान की रियासतों तक, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की रियासतों व अतिरिक्त राजाओं से बड़ी चतुराई के साथ बातचीत होने पर प्रगति फल चुकी थी। एकीकरण का यह तरीका छोटी-छोटी रियासतों के अनुसंधान से ही था। छोटी रियासतों का एक सघ बना कर पड़ोस की बड़ी रियासतों के साथ मिला दिया गया था। इस प्रकार विंध्य प्रदेश का केन्द्र रोवा था, पंजाब का केन्द्र पटियाला था मध्य भारत की रियासतों के सघ में खालियार व इन्दौर बड़ी रियासतें थी, और राजस्थान की संयुक्त रियासतों का केन्द्र उदयपुर था। एकीकरण का केन्द्र बड़ी रियासतों के बीच में बनाना एक चतुराई का काम था कि इसने भारतीय रियासतों और प्रांतों के बीच में एक रूपता के प्रबंध का दृढ़ कर दिया और उसी समय शीघ्रता से उसी तरह की उपमा जय छोटी रियासतों की पूरक स्थितियों में कमी कर दी। इन सघों के नेता शासकों को बना कर, सरदार ने अपन 16 दिसम्बर 1947 के वक्त पर वाचनार्थक प्रमाण दिया जिसमें उन्होंने अपने इस विश्वास को स्पष्ट किया था कि 'नरेशों का भविष्य उनकी अपनी जनता और देश की सेवा में निहित है न कि उनके राजनय की दृढ़ता पुरक जारी रखने में।'

एकीकरण के तरीके ने रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की सीमाओं में बढ़ा दी। उससे राजनयिक दला की क्रमिक उन्नति और बड़ी रियासतों में उत्तरदायी सरकार बनने में प्रगति हुई और जिसका उपयोग छोटी रियासतों में लोकतंत्र की उन्नति करने में किया गया। सरकार के पयास केवल एकीकरण तक ही सीमित नहीं थे। वह अन्तर्गत घटने से संविधान में यह उत्तरदायी सरकारों की ओर शीघ्रता से बढ़ और उद्धान रणनीति की गति पद्धति स्थापित की जिसमें कि अधिक परिपक्व और उन्नत गति प्रजातंत्र भारतीय प्रांतों में विकसित हुआ और केन्द्र का इन नई इकाइयों में प्रजातंत्र का पनपान का सहारा मिला। इन इकाइयों और पुराने प्रांतों के बीच में एक समन्वित गति पद्धति शीघ्रता से आरम्भ की गई।

यह एक आश्चर्य की बात है कि सरदार का मस्तिष्क कितनी तजी से एकीकरण के अंतिम चित्रों की ओर पहुँच रहा था। यद्यपि वे धीरे-धीरे

प्रगति का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु चल तेजी से चल रहे थे। छोटी रियासतों के प्रान्तों में विलयन के साथ ही छोटी रियासतों का विलयन बड़ी रियासतों में कराने की ओर उन्होंने एक वर्ष से कम समय में ही प्रगति कर ली थी। उन्होंने तेजी से एक रूपता, एकता और प्रजातन्त्रीय मार्ग पर चलना आरम्भ कर दिया था। जबकि यह पद्धति जारी थी तब भी उन्होंने इन छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में, भारतीय सघ में लगभग प्रांतों की पद्धति पर, बढ़ाने के लिये सोचना आरम्भ कर दिया था।

तो भी भारतीय एकता के लिये, कश्मीर और हैदराबाद, दो रुकावटें अब भी थीं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान अपने नए रूप में, पूरी शक्ति के साथ कश्मीर पर आक्रमण की पहल कर चुका था। तब रियासत भारत में मिल गई और हम उसकी रक्षा के लिये दौड़े। इस प्रकार दृढ़ता से चुनौती का सामना करना पड़ा किन्तु रियासत का एक बड़ा भाग पाकिस्तान के हाथों में पड़ गया और संयुक्त राष्ट्र सघ ने झगड़े को रोक दिया। तब भी इसके भारत में मिल जाने के बाद रियासत ने सवैधानिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक रूप से उत्तम प्रगति की है। आज इसने भारतीय सघ के स्वाभाविक तत्वों के बीच में अपना उचित और सम्मानीय स्थान प्राप्त कर लिया है।-

हैदराबाद की रियासत तब भी एक विशेष श्रेणी की थी। यद्यपि यह विधिवत् पाकिस्तान में नहीं मिल पाई थी, इसमें कोई सदेह नहीं कि रियासत के कुछ विशेष तत्वों और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ तक कि प्रशासन के अधिकारियों तक में, कुछ भावनात्मक एवं धार्मिक कड़ी थी। वास्तव में, इसमें सदेह भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान भारत के विपक्ष में अपनी स्थिति के लिये पड़ोस रच रहा था। एक युद्ध प्रिय साम्प्रदायिक संस्था, निश्चल शान्ति की हँसी केवल रियासत में ही नहीं बल्कि उसकी सीमाओं पर भी उड़ा रही थी। सुविधाएँ, प्रोत्साहन, एवं धानि-प्रत्याय रखने पर भी हम किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त करने में अगफल हो चुके थे। उसी समय भारत की एकता एवं सुरक्षा को, भारत के पेट के उम नामूर द्वारा दी गई धमकी, जैसा कि सरदार पटेल उसे कहा करते थे, बढ़नी जा रही थी। अन्त में, इसको शल्य क्रिया द्वारा ठीक करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहा, - उस समय की घटनाओं ने मन्वी भाँति परिचित होने के कारण मैं कह सकता हूँ कि उनकी अश्लेषीय शल्य क्रिया की चतुराई उनकी

दृढ़ विचार एवं भारतीय एकता के लिये उनकी एकाग्र लगन एवं निष्ठा के बिना यह चीर फाड़ सकल नहीं हो पाती और हैदराबाद की रियासत हमारे राजनतिक शरीर में बराबर पीड़ा देने वाली बना रहती । तब भी वह विजय प्राप्त करने पर उदार थे, इसको सबसे पहले निजाम ने स्वीकार किया होगा कि उनका (निजाम के) साथ केवल उदारता का व्यवहार ही नहीं किया बल्कि सांघानाी का व्यवहार भी उस यत्नित (सरदार पटेल) के द्वारा हुआ जो कठोरता और शक्ति के लिये प्रसिद्ध था । मेरे विचार से हैदराबाद की समस्या का जो कि खतरे की दी गई धमकी के कारण सन्धी हो गई थी 'पुलिस कारवाही द्वारा समाधान करना भारतीय एकता का एकीकरण करने के लिये बड़ी देन थी कम से कम इसे दूसरी रियासतों के मिलाये जाने के बराबर का दर्जा तो दिया ही जाना चाहिये ।

एक बार मैं ही हैदराबाद का प्रश्न इस ढंग से तय किया गया जिसने भारतीय एकता और सुरक्षा को सुरक्षित किया । सरदार पटेल अब बड़ा प्रश्ना का हल करने के लिये स्वतंत्र थे, जिसकी कि उन्होंने नये संधि और अकली बड़ी रियासतों का भारत की संघानिक पद्धति में मिलाने की बहुत पहले ही विशिष्ट आकृति बना ली थी । उसके अनुसार रियासतों के संधि को, संविधान के अनुसार उन समस्त विषयों को लेकर, जिनके लिये संधि के अधिकार भारतीय प्रांतों तक बढ़ा दिये गये थे भारतीय संधि में पूर्णतः मिलाने के लिये बातचीत आरम्भ की गई । नये संधि में प्रजातन्त्रीय पद्धति के साथ प्रशासनिक समस्याओं के संघानिक एकीकरण के बीच वाले समय के बचाव के लिये, सरदार ने जिस ढंग से राज प्रमुखा और रियासतों के जन प्रिय नेताओं को अपने अनुकूल बनाया था वह कठिन सिद्ध नहीं हुआ । किन्तु आर्थिक समस्याओं ने बहुत सी कठिनाइयाँ बढ़ा दीं इसके लिए विस्तार पूर्वक ध्यान देने और देख रेख करने की आवश्यकता हुई । 'सर्व नये एक पा' नगिनयन ऐववाइरो कमेटी' (आर्थिक अवयवण कमेटी) नियुक्त का गई जिसके 'चेयरमन श्री० बी० टी० कृष्णमाचारी थे जिसकी रिपोर्ट मुझे पा' है यह नई संधि और रियासतों की आर्थिक समस्याओं पर एक विगल महत्व प्रमाण (दस्तावेज) है । कमेटी ने निम्न विस्तृत सिद्धान्त आर्थिक एकता के लिये प्रस्तुत किया और अधिकतर इन सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग रियासतों में सम्बंधित प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया है —

संधि का आर्थिक एकीकरण प्रान्तों और रियासतों के बीच में निम्न विषयों में पूर्ण समानता पर आधारित होना चाहिये —

(1) केन्द्रीय सरकार को रियासतों में वही कार्य और अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये जो वह प्रान्तों में करती है।

(2) केन्द्रीय सरकार को प्रान्तों की भाँति ही अपने प्रशासनिक सगठनों के द्वारा ही रियासतों में भी कार्य करना चाहिये।

(3) केन्द्रीय आय व अन्य साधनों का भाग दान प्रान्तों व रियासतों से एक रूपता व समानता पर आधारित होना चाहिये।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं के विषय में, और बटने वाले सयुक्त राज्य शुल्क का भाग देने के सम्बन्ध में, आर्थिक सहायता के लिये दान, "आर्थिक सहायताओं" और दूसरे प्रकार की समस्त आर्थिक एवं तकनीकी सहायताओं के लिये प्रान्तों और सरकारों के साथ व्यवहार में समानता होनी चाहिये।

मैं रियासतों के एकीकरण को प्राप्त करने के एक दूसरे आर्थिक परिणाम, शासकों के प्रिवीपसों की स्वीकृति को भी बतलाना चाहता हूँ। इन भुगतानों की कुल घन राशि, जो मूल्य देश ने नरेशों द्वारा अपने प्रभुत्व और राज्याधिकारों को समर्पण करने का चुकाया, अब भारतीय सघ को लगभग 4 करोड़ रुपया देना होता है। जब हम लामो पर ध्यान देते हैं जो कि देश को इन एकीकरणों के द्वारा प्राप्त हुये हैं और वे परिस्थितियाँ जो सन् 1947 में मौजूद थी, मैं माहस पूर्वक यह कहता हूँ कि इन समझौतों के विषय में कोई शका उठाना भी केवल अनुउदारता और सकुचित विचार ही नहीं बल्कि उन्हें अस्वीकार करना अनैतिक भी होगा। विशेष रूप से जब हम यह मानते हैं कि जिस समय ये समझौते हुये थे, उस समय दूसरा पक्ष, वर्तमान स्थिति के विरुद्ध मोल भाव करने की स्थिति में था, जब वही पक्ष वर्तमान सरकार और ससद की दया पर है। उस भाव से और उससे अधिक विकसित एकीकरण के भाव से भी, मैं सरदार पटेल के उन शब्दों में बतलाता हूँ जो कि उन्होंने नरेशों के साथ हुए समझौतों और रियासतों के एकीकरण से सम्बन्धित सविधान सभा की धारा पर बोलते हुए कहे थे। उन्होंने समझौतों को निम्न शब्दों में न्याय सगत बतलाया था—

(इससे आगे माननीय मुरारजी देसाई ने सरदार पटेल द्वारा अक्टूबर 1949 को सविधान सभा में दिये गये व्याख्यान—“मानव स्मृति से …… लेकर ……काफी आघात पहुँचायेगा ……तक को उद्धृत करके आगे कहा.” (सरदार पटेल का व्याख्यान इसी पुस्तक में पृष्ठ 57 से पृष्ठ 59 तक,

द्वारा अनुन का लिए गए कम योग का त्तर, इन अमर पवित्रयो म बद्ध कर लिया है ।

हमारी सस्वृति एक दर्शन के अनुसार अयाय करना तो पाप है ही, अयाय का सहन करना भी महापाप है । इसी बात का वतमान राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र म भीष्म पितामह क मुख से कहलवाया है

छीनता हो स्वयं कोई, और तू,
त्याग तप से काम ले, यह पाप है ।
पुण्य है, विच्छेदन कर देना उसे,
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो ॥

केवल इतना ही नहीं भारतीय दर्शन के अनुसार ता किसी दूसरे के प्रति अयाय होता देखकर चुप रहन वाला भी पाप का भागी होता है । परम पूज्य राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने भी कहा है— 'सच्चा अहिंसक सामाजिक अयाय का विरोध किए बिना नहीं रह सकता ।

इस अयाय पूर्ण प्रस्ताव का विरोध करने के लिए नरेशो ने जो गति पूर्ण एक विधिमय माग ग्रहण किया है वह उनके पद व प्रतिष्ठा के अनुकूल है और वास्तव म प्रशंसनीय भी है—

12 एवं 13 अगस्त 1967 को भारतीय नरेशो एक उनके प्रतिनिधियों का नयी दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ जिसम उन्होंने इस (अराष्ट्रीय) प्रस्ताव का एक स्वर से खण्टन किया तथा इसका सक्रिय विरोध करने के लिए स्वयं को कंसल्टेशन आफ रूलर्स फार इण्डिया' (भारतीय नरेश विचार विमश समिति) नाम स संस्थाबद्ध किया । 15 अगस्त को नरेशो ने कंसल्टेशन आफ रूलर्स आफ इण्डियन स्टेटस इन ककोड फार इण्डिया संस्था का गठन किया, जिसे संक्षेप मे ककोड फार इण्डिया या ककोड' कहते हैं ।

अंत मे समिति के समस्त सदस्यो ने एक मत होकर सभा अध्यक्ष को अधिकार देकर उनसे निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित करने का निवेदन किया

वक्तव्य

यह दुःसाध्य की बात है कि हमारी स्वयं बना की बीसवीं वर्ष गाठ की सङ्ग से नरेशो का जिनमे से बहुत सो ने सविधान सभा मे स्वयं बना क सहित्ती के रूप म पूर्ण सहयोग लिया है यहाँ उही सधि पत्रा एक समझौते के विषय मे जिहोंने सगठित भारत का निर्माण किया है उठने वाले मामलो पर विचार करने के लिए एकत्रित होना पडा है । हम वर्तमान प्रस्ताव पर शोक प्रगट करने और उस वापस लेने के लिये कहने क अनिश्चित

और कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में इन सधि पत्रों एवं समझौतों को तोड़ना विश्वासघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

भारतीय परम्परा

“दिये हुए वचनों के प्रति सच्चे रहना भारत की परम्परा है और हम यह कह सकते हैं कि यह भारतीयों के चरित्र में स्वाभाविक है। इस मामले में केवल मौखिक रूप से नहीं कहा गया है बल्कि ये पवित्र सधि पत्र हैं जो कि सावधानी के साथ विचार विमर्श करने के बाद किए गए हैं। यदि भारत सरकार इन वचनों का परित्याग करने की इच्छा करती है तो यह उन भारतीय परम्पराओं के मूल्यों को कम करना होगा जिन पर भारत के हर नागरिक को गर्व है, और इस कार्य से प्रतिज्ञा शब्द ही निरर्थक हो जाएगा। भारत सरकार राष्ट्रीय सम्मान और नैतिक मूल्यों की केवल संरक्षक ही नहीं है बल्कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा के लिए भी उत्तरदायी है।

जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है यह प्रश्न केवल प्रिवीपर्स का ही नहीं है, यद्यपि यह हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, किन्तु यह तो सिद्धान्त का विषय है। भारतीय होने के नाते इन नैतिक सिद्धान्तों से हमारा सम्बन्ध है जो कि समाज का आधार है, उस न्याय से जो कि राज्य का आधार है, उस सम्मान से जो भारत की प्रतिष्ठा का आधार है वह आधार बहक जाएगा। इन सबके लिए भारत के नरेश सगठित हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस घटना ने नरेशों में एकता की एक नई रुचि और परस्पर भाई चारे को जागृति कर दिया है।

गम्भीर समस्याएँ

सचमुच ही यह अजीब बात है, कि ये लोग ठीक वही हैं, जिन्होंने भारतीय एकता का निर्माण करने में सहायता दी। अब उन्हीं के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है जो कि किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। देश के सम्मुख गम्भीर समस्याएँ हैं, जिन पर सरकार को अति आवश्यक रूप में ध्यान देकर अपनी शक्ति लगानी चाहिए।

हम यह साधिकार कह सकते हैं कि भारत की भौगोलिक एकता के निर्माण में हमने एक छोटी सी भूमिका पूरी की है और यह विचार करते हैं कि जो योगदान हमने अभी हाल ही के भूतकाल में दिया है वह केवल कर्तव्य निभाने की उत्सुकता थी जिसे कि हमें भारतीय जनता के लिए करना चाहिए था क्योंकि हमारे सामने राष्ट्र को सुदृढ़ एवं स्मृद्धिगाली बनाने का कार्य था। जैसे कि हम सदैव से, इस देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और देश की सेवाओं के लिए, अपनी परम्पराओं के अनुसार सजग रहे हैं।

हम यह अत्यधिक प्रसन्नता है कि जब भी वे लोग मौजूद हैं जो नैतिक मूल्यों और दिए हुए वचनों की पवित्रता को थोड़ा मानते हैं और उसमें हम भारत के स्वतंत्र पत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जो कि अपने निष्ठा दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में स्पष्ट और निश्चय रहे हैं।

इस अवसर पर हमें अपनी विश्वास प्रकट करते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस महासम्मेलन जो कि अपनी यहूद देश भक्ति और परम्परा के लिए दृढ़तापूर्वक कह सकती है इस विषय पर उचित रूप से पुनः विचार करेगी और अधिक गति वित्त एवं सत्यता के साथ इस पर कार्य करेगी।



जनवारी

भारतीय दशन में नैतिक व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया गया है और इसे ऋत कह कर पुकारा गया है। ऋग्वेद में ऋत को सत्य से पहले उद्भूत बतलाया गया है ऋत च सत्य चाभीद्वातपसोऽयजायत (ऋग्वेद 10/190/1)। भारतीय मनीषियों ने ऋत को मानव जीवन के लिए नित्यता का नैतिक माना है।

असत्य से हट कर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होना मनु हरि के अनुसार 'यायपथ' का अनुसरण करना है। नीति शतक में मनु हरि ने कहा है कि घोर पुरुष यायपथ से अपना पग कभी पीछे नहीं हटाता 'याम्यात् पथ प्रविचलति पदं न घोर'।

अपने प्राण्य से सतुष्ट न होकर दूसरों के सुख या धन को हर लेने की प्रवृत्ति 'स्तय' कहलाती है। हमारे यहाँ इसे दानवी प्रवृत्ति कहकर त्याग्य बतलाया गया है। इसके विपरीत जीरो को हँसत देखो मनु हंसो और सुख पाओ की प्रवृत्ति अस्तेय है। भारतीय जीवन की सचालिका प्रवृत्ति यही है। हमारे यहाँ तो बड़े माष्ट शब्दों में उद्घोष दिया गया है सर्वेऽपि सुखिनः सतु सर्वे सतु निरामयाः। सर्वेभद्राणि पश्यतु मा कश्चिद् दुःखमाग भवेत् ॥' अर्थात् सभी सुखी हो, सभी निरोग हों सभी कल्याण के दर्शन करें और कभी किसी को किसी प्रकार का दुःख न हो।

जिस राष्ट्र के जीवन में ऋत की प्रधानता हो जिस राष्ट्र के वाता (घोर पुरुष) यायपथ से पग पीछे न हटाते हों और जिस राष्ट्र के जीवन की सचालिका प्रवृत्ति अस्तेय हो उस राष्ट्र में तथाकथित समाजवाद की दुहाई देकर पचास करोड़ 'यक्तियों' द्वारा किये गए समझौते और दिए गए वचनों को भंग करने की कुछ ह्वालाओं की कुमत्रणा किस प्रकार मफल हो सकती है।

सत्यमेव जयते जिस राष्ट्र का गौरव चिह्न है, अग्रिम (भाग) जिस राष्ट्र का सर्वोपरि जीवन मूल्य हो तथा 'प्राण जाहूँ पर वचन न जाई' जिस राष्ट्र का मौखिक मूल स्वर है उस राष्ट्र में मुद्गीभर स्तैषी की दुर्भावना पचास करोड़ की समप्रियता के सामने कहीं टिक सकती है।

